Government of India
PLANNING COMMISSION
LIBRARY

CLASS NO. 338.95406
BOOK NO. T 39R

C5739
PLANNING COMMISSION
LIBRARY

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

16 जनवरी, 1997 को

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई

# राष्ट्रीय विकास परिषद्

की 47वीं बैठक

# सारांश रिकार्ड

योजना आयोग
Planning Commission
प्राप्ति सं. C-5739
Acc. No.
ता. 7/8/97
Date
पुस्तकालय
LIBRARY

भारत सरकार

योजना आयोग

# राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) की 47वीं बैठक की कार्रवाई का सारांश रिकार्ड

नौवीं योजना (1997–2002) के दृष्टिकोण पत्र के मसौदे पर विचार करने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् की 47वीं बैठक, दिनांक 16 जनवरी, 1997 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री तथा परिषद् के अध्यक्ष श्री एच० डी० देवेगौड़ा की अध्यक्षता में हुई।

2.1 बैठक में भाग लेने वाले महानुभावों की सूची संलग्न है।

3.1 योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो० मधु दण्डवते ने बैठक में भाग लेने वाले महानुभावों का स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के मसौदे पर विचार करने तथा नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नीतियां तथा कार्यक्रमों का मसौदा तैयार करने के लिये योजना आयोग को जिन निदेशों का पालन करना है उनके बारे में मतैक्य के लिए बुलाई गई है।

3.2 विकेन्द्रीकरण योजना प्रक्रिया के संदर्भ में उपाध्यक्ष ने कहा कि यद्यपि नौवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र योजना आयोग ने तैयार किया था, इसके लिये पर्याप्त निवेश राज्य सरकारों द्वारा किया गया जिनका प्रतिनिधित्व संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों, उनकी पंचायत राज संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी निकायों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा किया गया। उन्होंने यह कार्य नौवीं योजना की अग्रताओं उद्देश्यों तथा नीतियों से सम्बद्ध मामलों में योजना आयोग से अपनी परस्पर क्रिया के माध्यम से किया। वास्तव में यह सहकारी संघवाद तथा विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का भाव होना चाहिए जिसका नौवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने तथा एक उपयुक्त संमाधन सुनिश्चित करने हेतु ठोस उपाय प्रस्तुत करने का लक्ष्य था।

3.3 उपाध्यक्ष का यह भी कहना था कि नौवीं योजना के प्रस्तावित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह था कि विकास तथा समानता व सामाजिक न्याय एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे को इस प्रकार प्रभावित कर सकते है कि निकट भविष्य में आय के दोनों स्तरों के सापेक्ष वितरण में पर्याप्त सुधार हो। इसके लिये यह जरूरी है कि आर्थिक निर्णयों का विकेन्द्रीकरण इस प्रकार हो जिससे यह सुनिश्चित हो कि हमारी विकास प्रक्रिया में जितने भी प्रमुख प्रणधारी हैं उन्हें यह अधिकार हो कि वे निर्णय फटाफट और लचीलेपन के साथ ले सकें। सामाजिक दायित्वों को पूरा करने तथा सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने में राज्य की मार्गदर्शी भूमिका पर निर्भरता, समानतावाद के एक साधन के रूप में सरकारी क्षेत्र पर निर्भरता, पूंजी निर्माण तथा प्राइवेट निवेशों के लिए बाजार तंत्र का उपयोग तथा विशेषकर अवस्थापना के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति जहां टेक्नालाजीगत कमियां हैं, हमारी नीतियों तथा परिप्रेक्ष्यों के स्वरूप का निर्धारण करेंगे।

3.4 उपाध्यक्ष ने कहा कि घरेलू बचतों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त वित्तीय नीतियां तथा उपाय, मौजूदा लेखा घाटे को विवेकपूर्ण स्तर पर बनाए रखना तथा पूंजी व श्रम गहन उद्योगों के बीच उपयुक्त संतुलन के माध्यम से पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि से दृष्टिकोण दस्तावेज में जी०डी०पी० में 7 प्रतिशत वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया है उसे प्राप्त किया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि श्रम गहन लघु क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे मजबूत करना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में 1.7 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला है इसका राष्ट्रीय उत्पादन में 35 प्रतिशत तथा निर्यातों में 45 प्रतिशत हिस्सा है।

3.5 उपाध्यक्ष ने कहा कि दृष्टिकोण पेपर में कृषि को उच्चतम अग्रता दी गई है क्योंकि इस क्षेत्र का जी०डी०पी० में लगभग 30 प्रतिशत तथा देश में रोजगार के संबंध में 65 प्रतिशत का योगदान है। व्यापक भूमि सुधारों से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और इसका लाभ ग्रामीण गरीब वर्ग को मिलेगा। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश से उत्पादनकारी रोजगार का सृजन होगा और गरीबी समाप्त होगी। कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में अवस्थापना पर जोर दिए जाने से इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में आवश्यक वृद्धि से कृषि विकास की लक्षित दर को प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी निर्धारित कृषि विकास दर को बनाए रखने के लिए औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों से पर्याप्त मांग होनी चाहिए। इसलिए देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़े बगैर और अधिक कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

3.6 उपाध्यक्ष ने कहा कि नौवीं योजना के प्रस्ताव में पूर्व योजनाओं से जो मुख्य अन्तर है वह यह कि इसमें बुनियादी नागरिक सुविधाओं तथा सेवाओं पर जोर दिया गया है जो हमारे लोगों के रहन-सहन को प्रभावित करती है। इसका प्रत्यक्ष बोध हुआ है जो बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रतिभाषित होता है। अब वह अवस्था आ पहुंची है जबकि सरकार को अपने संसाधन एक ओर आय तथा उपभाग सहायता पर तथा दूसरी ओर व्यापक और समयबद्ध विधि से बुनियादी सुविधायें प्रदान करने पर खर्च के लिए निर्णय लेने हैं।

3.7 गरीबी उन्मूलन के संबंध में उपाध्यक्ष की राय थी कि एक द्रुत तथा निरन्तर विकास की प्रक्रिया गरीबी तथा बेरोजगारी जैसे बुनियादी मामलों का समाधान करेगी और इसलिए सीधे ही गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर उन प्रदेशों तथा वर्गों पर अधिक जोर देना होगा जहां विकास प्रक्रिया का शीघ्र लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोजगार बीमा स्कीम जिसका संपूर्ण देश में कार्यान्वयन का प्रस्ताव था तथा सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने

वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा जायेगा। गरीबी का अनुमान संशोधित लकडांवाला विधि से लगाया जायेगा जिससे गरीबी का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा। सामाजिक अवस्थापना की व्यवस्था को अधिक व्यापक आधार पर शुरू किया जायेगा और ऐसे कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिये जाने की आवश्यकता है। उनकी राय थी कि सामाजिक तथा मानवीय योजना आर्थिक योजना का आधार होनी चाहिए।

3.8 उपाध्यक्ष का विचार था कि विकास की गति को तेज करने में दो बुनियादी बाध्यकारिताए थी। यह सभव नहीं लग रहा था कि महज उच्च विकास दर में प्राइवेट बचतो में जी०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में पर्याप्त वृद्धि हो जावेगी। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिये यह जरूरी होगा कि बढ़ी हुई जरूरतो को पूरा करने के लिये बाहरी साधनो की मदद ले। सार्वजनिक बचतो मे आवश्यक वृद्धि करना सरकार के किसी एक स्कन्ध के बूते की बात नही है। इसके लिए केन्द्र, राज्यो तथा स्थानीय निकायो व सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मिलकर प्रयास करने होंगे।

3.9 ससाधन जुटाने के बारे में उपाध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रो मे अपेक्षित सार्वजनिक निवेश तभी उपलब्ध हो सकेंगे जबकि केन्द्रीय राज्य तथा स्थानीय स्तरो पर राजस्व जुटाने की जरूरी इच्छा प्रकट हो तथा बिना हिसाब का जो धन पडा है उसे उत्पादनकारी चैनलों मे लगाया जाये। इसके लिए बेहतर कर अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे और समाज के ऊपरी वर्ग को कर के दायरे मे लाना होगा।

3.10 अपने आरम्भिक भाषण को समाप्त करते हुए उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन मे नीतियों के ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनसे प्राय पक्षपातपूर्ण रूखो के प्रतिरोधो का ज्ञान होता है। आजादी के बाद की अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मामलो "गुटनिरपेक्षता" की नीति ऐसा क्षेत्र था। उनका विचार था कि दोनो के सम्बन्ध में कुछ मतभेदो के बावजूद आज के राष्ट्रीय वातावरण मे हमारी योजना की दशा तथा उसका जोर व्यापक आम मतैक्य का क्षेत्र हो सकता है। उन्होने राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यो से अनुरोध किया कि नौवी पचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज पर इस भाव से विचार करें।

4 1 भारत के प्रधान मत्री तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के अध्यक्ष, श्री एच० डी० देवेगौडा ने राष्ट्रीय विकास परिषद की 47वी बैठक मे भाग लेने वाले महानुभावो का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, चूकि नौवी पचवर्षीय योजना तथा स्वाधीनता का 50वा वर्ष साथ-साथ शुरू हो रहे है, जबकि देश 21वी सदी मे पदार्पण कर रहा है। यह एक ऐसा अवसर है जबकि अपनी उपलब्धियो तथा असफलताओ पर गौर करना है तथा विकास का एक ऐसा रास्ता निकालना है जो हमारे देश के लोगो को समृद्धि की ओर ले जाए और उनके जीवन स्तर मे सुधार हो।

4 2 अधिक खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि सयुक्त मोर्चा सरकार ने छ माह के अन्दर एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करने का वायदा किया है। जिसमे नौवी योजना की अग्रताओ तथा कार्यक्रमो का जिक्र होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस मसौदा दृष्टिकोण पत्र के प्रस्तुतीकरण द्वारा यह वायदा पूरा कर दिया गया है। इस सरकार के आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यो के बारे मे कितने ही अन्य वायदे भी किए गए थे। इनमे से अधिकतर की विस्तृत जाच कर ली गई है तथा विचाराधीन दस्तावेज मे उनका जिक्र है

4 3 प्रधान मत्री ने नौवी योजना के दृष्टिकोण के व्यापक उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि समुचित रूप से इसे "समानता के साथ विकास" कहा जा सकता है। द्रुत और निरतर विकास के बिना गरीबी तथा बेरोजगारी के बारे मे कोई गभीर प्रयास नही किए जा सकते। अर्थ-व्यवस्था की विकास दर मे पर्याप्त वृद्धि के लिए साहसपूर्ण प्रयास करने होंगे। फिर भी, इस बात को अवश्य मानना होगा कि गरीब तथा अलाभकारी स्थिति के लोगो तक विकास के लाभ पहुचने मे कुछ समय अवश्य लगेगा। साथ ही, कोई भी विकास नीति तब तक स्थायी नही हो सकती जब तक कि हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग यह महसूस न करे कि विकास प्रक्रिया मे वे सक्रिय रूप से भागीदार है और इसका लाभ उन्हे मिलेगा हमे समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करना होगा और ऐसे रास्ते खोजने होंगे, जिनसे अलाभकारी स्थिति वाले लोगो को इन कार्यक्रमो मे प्रत्यक्ष लाभ हो

4 4 प्रधान मत्री ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था के द्रुत विकास की यह अपेक्षा है कि सुधारो की वर्तमान प्रक्रिया को तेजी से कार्यान्वित किया जाए। अधिक बचतो तथा निवेश के प्रोत्साहन देने के लिए तथा अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे कुशलता मे वृद्धि करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। उनका विचार था कि व्यापार तथा निवेश मे उभरते हुए अवसरो का पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता है जबकि आत्म निर्भरता के अतिम लक्ष्य को ध्यान मे रखना है

4 5 समानतावादी विकास के लिए कृषि तथा ग्रामीण गैर-कृषि आर्थिक कार्यक्रमो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। द्रुत तथा समानतावादी विकास मे कोई विरोधाभास नही है। हमारे लिए इस विश्वास पर अडे रहने का भी कोई कारण नही है कि प्रगति तथा विकास केवल औद्योगिकीकरण के माध्यम से ही हो सकता है। एक गतिशील ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिकीकरण मे सहायक होगा तथा यह क्षेत्र अपने आप मे एक उपलब्धि है।

4 6 अवस्थापना क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि द्रुत तथा समानतावादी विकास की उपलब्धि मे सबसे बडी बाध्यकारिता यह है कि अवस्थापना क्षेत्र अपर्याप्त तथा खराब दशा मे है। इस स्थिति से निबटने के लिए त्वरित उपाय करने होंगे। इस सम्बन्ध मे जिस नीति के अनुसरण का प्रस्ताव है, उसके बारे मे बहुत सी गलत धारणाए है। यह बात बिलकुल साफ होनी चाहिए कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने उत्तरदायित्व को निभाती रहेगी। फिर भी भारत जैसी व्यापक आकार की अर्थ-व्यवस्था पर ससाधनो का दबाव है। माग इतनी अधिक है कि हर समय उनके लिए संसाधनो का पर्याप्त आबटन संभव नही है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक तथा प्राइवेट, दोनो क्षेत्रों मे नए निवेशो को प्रोत्साहन देना होगा। इसके अतिरिक्त मौजूदा अवस्थापना परिसम्पत्तियों की कुशलता तथा क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए गभीर उपाय करने होंगे।

4.7 इस बात पर जोर देते हुए कि अकेले विकास मात्र से हमारे लोगों की हालत में सुधार नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण है और यह अधिकतर सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस बात पर बल देते हुए कि कार्यक्रम तत्व और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के वित्तपोषण तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों व अल्प सख्यकों के कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों में काफी सुधार हुआ है, प्रधान मंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों को बेहतर नियोजन, गहन मानीटरिंग के साथ जारी रखना है और इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समठन को कड़ा करना है। इन सब कार्यों के समयबद्ध ढंग से करने के तौरतरीकों पर बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई और उन पर सहमति हुई जो नौवी योजना के लिए विकास नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी।

4.8 इस बात पर ध्यान देते हुए कि सरकारी ससाधनों मे केन्द्र तथा राज्य, दोनो स्तरों पर गंभीर कमी है। प्रधान मंत्री ने कहा कि विवेकपूर्ण तथा स्थायी मैक्रो-आर्थिक वातावरण के अभाव मे कोई भी विकास नीति जारी नही रह सकती। पिछली वित्तीय नीति की एक ऐसी परम्परा है, जिसे ठीक करने मे कुछ समय लगेगा। कुछ समय तक सरकारी ससाधनो पर दबाव रहेगा और विकास नीति को इस गभीर कारण को ध्यान मे रखना होगा।

4.9 प्रधान मंत्री ने कहा कि योजना आयोग ने इन मामलों पर विस्तृत रूप से विचार किया है। आयोग का विचार है कि यदि उन हालातो को न्यूनाधिक रूप मे जारी रहने दिया जाए, जो कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान रहे हैं तो अर्थव्यवस्था की सभावित विकास दर नौवी पचवर्षीय योजना के दौरान 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ज्यादा होने की सभावना नही है। यह आठवी योजना के 5.6 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक है परन्तु इससे हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे है, वे पूरे नही होगे। विकास दर कम से कम 7 प्रतिशत तक लाने के लिए हर सभव प्रयास करने की आवश्यकता है।

4.10 इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने विकास दर को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक लाने की सभावना की जाच की है और इसे सभव पाया है बशर्ते कि सरकार के सभी सम्बद्ध स्तरों पर कुछ निर्णय लिये जाए और उनका मुस्तैदी से पालन किया जाए। इन वचनबद्धताओं को विचार हेतु विस्तृत रूप से रखा गया है। इनके लिए कुछ कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होगी परन्तु यदि हमे लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास करने है तो ये अपरिहार्य है।

4.11 इस दृष्टिकोण पत्र मे दिए गए बहुत से निर्णय ऐसे हैं, जो अलग अलग राज्यो, यहा तक कि खुद केन्द्रीय सरकार के लिए भी कठिन है। यह कार्य तब ही हो सकता है जबकि इसमें सभी मिलजुलकर निर्णय ले अर्थात् केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारे और सरकार के अन्य स्तर अथवा पचायत राज्य संस्थाएं शामिल हो। उन्होने कहा कि 7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित विकास नीति के प्रति सामूहिक वचनबद्धता के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की इस बैठक में निर्णय लेना होगा। लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें सकल्प तथा सामूहिक वचन-बद्धता की आवश्यकता है।

4.12 प्रधान मंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया कि यद्यपि कुछ वर्गों द्वारा प्रस्तावित उपायों का विरोध किया जा सकता है जैसा कि पिछले कुछ वर्षों मे हमारा अनुभव रहा है। इसके बावजूद हमारे देश तथा हमारे लोगों के दीर्घकालीन हितो के कुछ लोगो के विरोध के कारण अनदेखा नही किया जा सकता। यदि अधिक लोगो की भलाई के लिए कुछ लोगो को अस्थायी रूप से कुछ त्याग करना पड़े तो हमे अपनी स्थिति पर दृढ रहना है और दबाव के आगे नही झुकना है। प्रधान मंत्री का विचार था कि यदि लोगो को ईमानदारी से स्थिति से अवगत कराया जाए तो लोग स्थिति को समझेगे और अपना सहयोग देंगे।

4.13 प्रधान मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमडल ने इन मामलो पर विस्तृत रूप से विचार किया है तथा विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीतियो तथा विधियों के प्रति केन्द्रीय सरकार की वचनबद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया है और यह निर्णय इस प्रत्याशा से लिया है। कि सभी राज्य इसी प्रकार की वचनबद्धता प्रदान करेगे।

4.14 लक्ष्यो की पूर्ति के लिए केवल केन्द्रीय सरकार की वचनबद्धता न केवल अपर्याप्त है बल्कि राज्यो से इस प्रकार की वचनबद्धताओं के बगैर मैक्रो-आर्थिक अस्थिरता हो सकती है। विकल्प साफ है। या तो द्रुत तथा अधिक समानतावादी विकास के लिये अपेक्षित नीतियो का अनुसरण करने के लिए हम सामूहिक रूप से तथा कृत-संकल्प होकर निर्णय ले अथवा ऐसे विकास लक्ष्य को चुने जो सभावित स्तर से कम हों।

4.15 प्रधान मंत्री ने जोर देकर आग्रह किया कि इस मामले मे कोई समझौता नही किया जाना चाहिए। हमारे देश तथा हमारे लोगो की समृद्धि तथा उनकी भलाई के स्तर तक ले जाने के लिए हमे सामूहिक रूप मे सकल्प लेना है जो हमारी शक्तियों के भीतर अपेक्षित है। प्रधान मंत्री ने कहा कि नौवी पचवर्षीय योजना का जो प्रारूप दृष्टिकोण पत्र हमारे सामने रखा गया है हम उसका अनुमोदन करे और नौवी योजना की अवधि के दौरान 7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजना प्रस्ताव तैयार करने मे योजना आयोग को अपना सहयोग दे। प्रधान मंत्री ने सुझावो तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद् के समर्थन की अपेक्षा व्यक्त की और देश को आगे ले जाने के लिए सहयोग तथा सकल्प के लिए अपील की।

5.1 आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू ने योजना आयोग प्रक्रिया की गति को बनाए रखने के लिए प्रधान मंत्री तथा योजना के उपाध्यक्ष की प्रशसा की। उन्होंने कहा कि नौवी पंचवर्षीय योजना का विशेष महत्व है। हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के वर्ष मे योजना बनाने में इस बात का आभास होना चाहिए कि 50 वर्षों के दौरान हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, मजबूती और

कमियों का विश्लेषण होना चाहिए । हमें इस बात का अनुमान होना चाहिए कि विश्व के राष्ट्रों में हमारी स्थिति क्या हो ।

5.2 मुख्य मंत्री ने देश के सामने मौजूद अनेक चुनौतियो तथा नौवी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का उल्लख किया । उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण-पत्र में बहुत से अच्छे प्रस्ताव हैं, जिनकी बहुत पहले से अपेक्षा थी । जनोन्मुखी विकास, शक्ति तथा वित्त के विकेन्द्रीकरण तथा सामाजिक सहयोग पर जोर देने से अधिक समानतावादी समाज के विकास मे मदद मिलेगी । सहकारी संघवाद के सिद्धांत से केन्द्र-राज्य संबंध बेहतर होंगे । सरकारों की वित्तीय स्थिति, अवस्थापना के इष्टतम उपयोग, अधिक पारदर्शी सहायताओं आदि पर जोर देने मे अधिक जिम्मेदार शासन की आशा की जा सकेगी ।

5.3 सहकारी संघवाद के भाव का स्वागत करते हुए मुख्य मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश में जन्म भूमि कार्यक्रम का जिक्र किया जिसमें निर्णय लेने मे लोगों की भागीदारी और लोगों के प्रति प्रशासन की जवाब देही है । उनका विचार था कि सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं समाप्त की जानी चाहिए और उनकी निधियां राज्यो को हस्तांतरित की जानी चाहिए ।

5.4 नौवी योजना के दृष्टिकोण पत्र मे दिये गये लक्ष्यों से सहमत होते हुए मुख्य मंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि लक्ष्यों में उत्पादकता का भी जिक्र होना चाहिए क्योंकि निम्न उत्पादकता आर्थिक विकास की बड़ी कमजोरियो मे एक है और नौवी योजना के दौरान 7 प्रतिशत जी.डी.पी. की विकास दर को किन्ही भी परिस्थितियों में कम नही होने देना चाहिए ।

5.5 मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्यों को योजना सहायता के यथा अपेक्षित वितरण के लिए गाडगिल फार्मूला समय की कसौटी पर खरा उतरा है और यह जारी रहना चाहिए क्योंकि यह गरीब राज्यों के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल है । नौवी योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षा को दी गई अग्रता को ध्यान मे रखते हुए उन्होंने तर्क दिया कि केन्द्रीय योजना सहायता ऋण-अनुदान अनुपात जो 70:30 है, वह 50:50 होना चाहिए ।

5.6 मुख्य मंत्री का यह भी विचार था कि विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप एक सही टेक्नोलाजी नीति में आयातित टेक्नोलाजी पर जोर दिया जाना चाहिए और साथ-साथ इसके विकास को प्रोत्साहन दिया जाता रहे । उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन प्रबन्धन पर दृष्टिकोण तथा विकास प्रयासों के पारिस्थितिकीय समेकन को बनाए रखने पर दिए जा रहे बल का समर्थन किया । लघु बचत अभियान को मदद देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्य मंत्री ने मौजूदा परिसम्पत्तियों को साज-सज्जा और उनके आधुनिकीकरण के लिए निवेश को अग्रता प्रदान करने पर दिए जा रहे जोर से सहमति व्यक्त की ।

5.7 उनका यह भी विचार था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि न केवल उन्नत तकनीकों तथा अधिक ऋण उपलब्ध करके हो बल्कि बंजर भूमि का विकास भी किया जाए ।

5.8 सहकारिताओं के स्वस्थ विकास के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आन्ध्र प्रदेश में एक नए कानून, जिसका नाम परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी अधिनियम है के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में इस दिशा में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं । उनका यह भी मत था कि जब विकास पर एक राष्ट्रीय सदर्भ के विकास पर भी विचार करते समय अंतर-नदी तलहटी हस्तांतरण के मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । इसमें पूरे देश को एक मानकर विचार किया जाना चाहिए ।

5.9 उद्योगों के संबंध में राज्य सरकारों की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया कि सभी राज्य यह घोषणा करें कि उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए सहायता तथा प्रोत्साहन समाप्त किए जायेंगे और इसके स्थान पर अवस्थापना पर घ्यान दिया जायेगा तथा निवेशकों को अनुमति दी जायेगी कि वे आर्थिक कारको पर अपने निर्णय खुद करें ।

5.10 मुख्य मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की कि युवकों तथा महिलाओं के अलावा बालिकाओं की शिक्षा पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । मुख्य मंत्री द्वारा विकास की प्रक्रिया मे बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के महत्व पर जोर दिया गया ।

5.11 मुख्य मंत्री का यह भी कहना था कि सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । मुख्य मंत्री ने दृष्टिकोण पत्र अथवा यदि ऐसा संभव न हो तो नौवी योजना के प्रारूप पर चर्चा के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय सेमिनार के आतिथ्य की पेशकश की ।

5.12 इस बीच प्रधान मंत्री ने कहा कि चूंकि लगभग सभी मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल अपने-अपने भाषण लिखित रूप में पहले ही दे चुके हैं, उन्हें केवल उन्ही मुद्दों पर बोलना चाहिए, जो उनके लिखित भाषणों में कवर नहीं हुए हैं या छूट गए हैं । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समय को बचाने के लिए उनका यह एक सुझाव है ।

6.1 पश्चिम बगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने कहा कि नौवी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत स्वतंत्रता के 50वें वर्ष मे की जा रही है और हमारे देश के बहुत से लोगों को योजना से बहुत आशाएं है, विशेषकर बदलते हुए राजनैतिक परिदृश्य मे । गत समय में नीतियों के कारण बेरोजगारी, मुद्रास्फीति तथा पेयजल की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा और आवास से संबंधित समस्याएं हैं, जो हल नही की गई है । अनाज के उत्पादन की समस्या थी और अब औद्योगिक विकास की धीमी गति की समस्या है । आठवी योजना के दौरान सिंचाई, बिजली तथा सड़कों से संबंधित अवस्थापना सुविधाएं अपर्याप्त रहीं । भुगतान संतुलन की समस्या के हल के लिए विदेशों से भारी ऋण लिए गए जिनमें भारत की प्रभुसत्ता पर प्रभाव डालने वाली शर्तें थी ।

6.2 मुख्य मंत्री ने कहा कि नौवीं योजना के लक्ष्य एक आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए । इन सभी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक हल किया जाना

चाहिए और ग्राम आदमी का बोझ कम होना चाहिए । इन उद्देश्यों के पश्चात् अग्रताओं के बारे में तथा इनके कार्यान्वयन एवं इनकी मानीटरिंग के लिए वित्तीय व्यवस्था के बारे मे स्पष्ट बयान होने चाहिए ।

6.3 मुख्य मंत्री का विचार था कि नौवी योजना के मूल उद्देश्यों में समानता के साथ विकास की बात कहीं गई है, जिसके चार घटक हैं अर्थात् उत्पादनकारी रोजगार का सृजन आत्म-निर्भरता, नागरिकों का जीवन स्तर तथा क्षेत्रीय संतुलन । समानता के साथ विकास के मूल उद्देश्य के अनुरूप उनकी इच्छा थी कि मूल्य स्थिर होने चाहिए तथा असमानता घटनी चाहिए जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के प्रतिशत मे कमी शामिल है । इन्हें ये दो अतिरिक्त घटकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ।

6.4 उन्होने कहा कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा रोजगार के संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरत है कि विभिन्न क्षेत्रो में कार्यकलाप कुशलतापूर्वक तरीके से हों । विभिन्न क्षेत्रों में अधिक समान प्रतियोगिता की ओर बढ़ने की जरूरत है । विशेषकर विकेन्द्रीकृत योजना के दायरे के भीतर जिसमें सामाजिक दिशा प्रदान की गई हो । केवल इन उद्देश्यो का जिक्र कर देना काफी नही है । इन उद्देश्यो के आधार पर प्रमुख मुद्दों तथा क्षेत्रों के बारे मे अग्रताओं का तय करना जरूरी है ।

6.5 मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र मे पूजीगत उत्पादन अनुपात मे वृद्धि के विकल्प में निहित अग्रताओ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय था । आई. सी. ओ. आर. को कम करने पर सोच-समझकर नीतिगत निर्णय लेने से न केवल क्षेत्रो की विकास दर मे वृद्धि होगी अपितु, प्रत्येक क्षेत्र मे अधिक रोजगार के सृजन के साथ टैक्नोलाजी का उपयुक्त विकल्प भी होगा । रोजगार सृजन के लक्ष्यो को दृष्टिकोण पत्र मे और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए था । रोजगार सृजन के विकास की लक्षित दर के बारे मे केवल बयान-बाजी पर्याप्त नही है, अपितु, रोजगार चाहने वाले लोगो की संख्या मे होने वाली वृद्धि की तुलना मे कितना रोजगार सृजित होगा, राज्यवार आकड़ो सहित यह बताया जाना चाहिए । इसके पश्चात् रोजगार सृजन के सबंध मे उपलब्धि के उपयुक्त स्तरों पर नियमित मानीटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । उत्पादनकारी रोजगार के सृजन के इन लक्ष्यो मे जुड़ा एक लक्ष्य यह भी है कि गरीबी की रेखा से नीचे का जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी हो और इसमे होने वाली प्रगति की नियमित मानीटरिंग हो ।

6.6 मुख्य मंत्री का विचार था कि निर्यातों को बढ़ावा देने मे देश की जरूरतों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, विशेषकर अनाज के मामले में । उन्होंने यह भी कहा कि अधिक समान प्रतियोगिता की ओर कदम बढाते समय आत्म-निर्भरता तथा विदेश व्यापार में संतुलित भागीदारी की जरूरत है । इस व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उपभोज्य वस्तुओ तथा पूजीगत वस्तुओं की सूची तैयार की जानी चाहिए और यह भी बताया जाना चाहिए कि उनका देश में उत्पादन अथवा आयात करने में से कौनसा अधिक लाभकारी है । संतुलित दृष्टिकोण के संदर्भ मे अग्रता स्पष्ट की जानी चाहिए, न कि बैंक के उदारीकरण के संदर्भ में ।

6.7 संसाधन जुटाने के संबंध मे मुख्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए संसाधन जुटाने के संदर्भ में अग्रता विदेशी ऋणों की तुलना मे स्व-देशी संसाधनों को दी जानी चाहिए । उन्होंने काले धन का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया जिससे कि प्रमुख अवस्थापना संबंधी विकास के लिए देश के भीतर संसाधन जुटाए जा सकें ।

6.8 मुख्य मंत्री ने समान स्तरों तथा बिक्री कर की सीमित दरों, घरेलू बचतो, औद्योगिक अग्रताओ, पूंजी बाजार मे अतिरिक्त संसाधनों तथा कृषि अग्रताओं पर भी जोर दिया ।

6.9 पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा मुद्रास्फीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, साक्षरता, प्रारम्भिक शिक्षा तथा आवास की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों, सेवाओं का मूल्य तय करने, सहायताओ, महिलाओं अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, तथा अल्पसंख्यकों, शहरी योजना, पर्यावरण, क्षेत्रीय असमानता मे कमी, विकेन्द्रीकरण आदि से संबंधित मामलो पर भी जोर दिया गया ।

7.1 अरूणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जीगोंग अपाग ने कहा कि वह पहले से उठाए गए मुद्दों पर पूर्णरूप से सहमत है । उन्होंने महसूस किया कि सड़कों, संचार आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओ के उपलब्ध न होने के कारण अरूणाचल प्रदेश के विकास में रुकावट आई है । अरूणाचल प्रदेश मे जिसकी अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं चीन और बर्मा से जुड़ी है, सड़कें नही बनाई जा सकी क्योंकि उन पर रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा रखी थी और इसीलिए पर्यटन और बिजली के क्षेत्र में राज्य की विकास क्षमता का लाभ नहीं उठाया जा सका । उन्होंने योजना आयोग को निमंत्रण दिया कि एक दल भेजा जाए, जो राज्य का दौरा करे तथा लोगो से मिले और अरूणाचल प्रदेश के विकास मे वास्तविकताओं को खुद देखे ।

7.2 उनके लिखित भाषण मे मुख्य मंत्री ने कहा कि जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाए प्रदान करने के लिए राष्ट्र ने पहले ही एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया है । लोगो मे कार्यक्रमो के बारे में बहुत जोश है और इस कार्यक्रम को वास्तविकता मे परिणित करना हम सब का कर्तव्य है ।

7.3 नौवीं योजना के लिए राज्य स्तरीय उद्देश्यों का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में दिए गए वचन के अनुसार 7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए प्रयासों की जरूरत है ।

7.4 उन्होंने इस बात पर आभार प्रकट किया कि दृष्टिकोण पत्र में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की जरूरत को स्वीकार किया गया और इस तथ्य को भी माना गया कि

आर्थिक विकास के लाभ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को इतना नहीं हुआ जितना देश के अन्य भागो में। उनका यह भी मानना था कि योजना बनाने वाले असमानता के तत्वों के बारे में कारंवाई करने में सफल नही हुए। भारत एक विशाल देश है जिसका उपमहाद्वीप के रूप मे जिक्र किया जाता है। अल्पकालिक योजना प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम आदमी की न्यूनतम बुनियादी जरूरतो को पूरा करने के लिए तथा ससाधन का लाभ उठाने के लिए दीर्घकालीन योजना प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक अवस्थापना के सृजन की जरूरत है।

7 5 मुख्य मंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया कि उत्तर-पूर्वी राज्यो में अवस्थापना क्षेत्रो में जो कमी है उसे पूरा करने के लिए तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में विशेषकर पनबिजली के उत्पादन के क्षेत्र मे "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए नई पहल" के अन्तर्गत निवेश में की गई वृद्धि का स्वागत करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि बुनियादी अवस्थापना के सृजन के लिए प्रारंभिक निवेश जरुरी था, विशेषकर सड़कों के रुप में जिनसे राज्य म पन-बिजली की व्यापक क्षमता के लिए ऐसे निवेशो में वृद्धि हो।

7.6 पर्यावरण तथा वन नीति का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश मे वन क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसके लिए क्षेत्रविशिष्ट वन नीति बन.ई जानी चाहिए। मुख्य मंत्री ने कहा कि दृष्टिकोण पत्र मे यह सही कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए परिवहन तथा सचार व्यवस्था बहुत जरूरी है, जिसमे कि द्रुत तथा स्थायी विकास का लाभ दूर दूर तक पहुच सके। राज्य को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन पहलुओ पर जोर देते हुए मुख्य मंत्री ने इस बात पर पुन: जोर दिया कि सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जानी चाहिए।

7 7 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के बारे मे जो राज्यो को सौंपे गए विषयों में आती हैं, मुख्य मंत्री ने कहा कि ऐसी स्कीमों को समाप्त कर दिया जाए और अधिशेष निधियों को केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दे दी जाए। राज्यो को पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना में भी मदद दी जाए। पिछड़े क्षेत्रों में कागज तथा सीमेंट आदि के क्षेत्र मे पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। राज्य मे विकेन्द्रीकृत योजना किया की शुरूआत के बारे में तथा "इनमाइग्रेशन" की समस्या के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि देश मे निरक्षरता समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है।

7.8 अपने भाषण के अंत में मुख्य मंत्री ने कहा कि देश में आबादी में बेहिसाब वृद्धि को रोकने के लिए कानूनी उपाय करने का समय आ गया है।

8.1 उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री जानकी बल्लभ पटनायक ने कहा कि दृष्टिकोण पत्र में कृषि पर जोर दिया गया है। चूंकि कृषि मौसम पर निर्भर करती है, इस क्षेत्र में विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू बचतों में वृद्धि करना जरूरी होगा। दालों के बारे मे भी आत्मनिर्भरता प्राप्त की जानी चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के हिस्सों में अन्धाधुंध कटौती की गई है और उपचारात्मक उपाय किए जाने तक यही स्थिति जारी रहेगी।

8.2 अवस्थापना विकास के बारे में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर का सहयोग लिया जाना चाहिए। साथ ही बुनियादी सेवायें मुहैया कराते समय राज्यो की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा द्रुत ग्रामीण विद्युतीकरण को आठवीं बुनियादी जरूरत समझा जाना चाहिए।

8.3 पावर सेक्टर के बारे में मुख्य मंत्री का विचार था कि राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। उनकी इच्छा थी कि ग्रामीण गरीबी सुधार कार्यक्रम तथा ग्रामीण रोजगार योजना से नियमित रोजगार उपलब्ध होने चाहिए। मलेरिया, कुष्ठ रोग तथा तपेदिक जैसी महामारियों की रोकथाम के लिए विशेष जोर देना जरूरी था। पर्यावरण सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी अग्रता दी जानी चाहिए। मुख्य मंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस योजना में विकास में वृद्धि का जो वायदा किया गया है और देश की तीव्र विकास प्रक्रिया मे राज्यो की सक्रिय भागीदारी का जो आश्वासन दिया गया है उसके साथ नौवीं योजना 21वी सदी मे प्रविष्ट होगी।

8.4 मुख्य मंत्री ने अपने लिखित भाषण मे एक दिशा-निर्देशन वाला पत्र तैयार करने पर योजना आयोग को बधाई दी जिसमे बहुत सी आर्थिक चिंताओ पर जोर दिया गया है। अपने सार तत्व के रूप बहुत से साहसपूर्ण नीतिगत पहलुओ पर जोर दिया गया है और उन्हें जारी रखने के लिए कहा गया है, जो आठवी योजना मे शुरू की गई थी। आठवी योजना के दौरान, निष्पादन, उपलब्धियो तथा कमियो से शिक्षा लेते हुए, दृष्टिकोण पत्र मे बताई गई व्यापक नीति रूपरेखा तथा अग्रताए विशेष नही है। मुख्य मंत्री का विचार था कि सार्थक तथा प्रभावी नीतियो तथा कार्यक्रमो को तैयार करने में जो महत्वपूर्ण कार्य था, वह योजना आयोग द्वारा विस्तृत कार्यसूची को कार्यान्वित करना था।

8.5 मुख्य मंत्री ने कहा कि उड़ीसा मे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि असमानता को कम करने की बात को नौवी योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उन्हे डर था कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान समाधनो की कमी की समस्या और उग्र होगी। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि विभिन्न राज्यो को केन्द्रीय सहायता उस अनुपात मे दी जानी चाहिए जिससे कम विकसित क्षेत्र विकसित राज्यों के स्तर को प्राप्त कर सकें। योजना सहायता के एक हिस्से को इन राज्यों मे अंतर को पूरा करने के लिए अलग रख दिया जाए जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लक्ष्य की वास्तविक पूर्ति हो सके। राज्य के भीतर के क्षेत्रो मे भी असमानता की समस्या को भी इसी प्रकार की समस्या माना जाए।

8.6 मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों तथा औद्योगिक विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित अवस्थापना का विकास पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का प्रमुख घटक होना चाहिए। आठवी योजना के दौरान अवस्थापना सेक्टर में निवेश के विकास में बहुत कमियां रहीं हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस सेक्टर को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में मुख्य मंत्री ने कुछ मुद्दों का जिक्र किया जो उचित मूल्य निर्धारण

लागत वसूली जिससे प्रत्यक्ष निवेश मे रूकावट आती है । मुख्य मंत्री ने इस क्षेत्र मे सीधे विदेशी निवेश का भी जिक्र किया ।

8.7 मुख्य मंत्री ने प्रशासकीय खर्च मे किफायत की जरूरत का भी जिक्र किया और व्यापक बेरोजगारी तथा वैकल्पिक रोजगार के सीमित क्षेत्र का जिक्र किया जिसमे बहुत सी मानवीय तथा व्यावहारिक समस्याएं हैं । उनका प्रस्ताव था कि यदि राष्ट्रीय विकास परिषद् चाहे तो इस प्रश्न पर गहराई मे विचार कर ले तथा परिषद् को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की जा सकती है ।

8.8 रोजगार बीमा के बारे मे मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया कि इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा यह होगी कि नौवी तथा बाद की योजनाओ के दौरान मानव शक्तियो की जरूरत का सही पुर्वानुमान लगाना है, जिससे कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए जा सके ।

8 9 अपने भाषण के अंत मे मुख्य मंत्री ने दृष्टिकोण पत्र मे दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया तथा इस विस्तृत पत्र को तैयार करने के लिए योजना आयोग की पुन प्रशंसा की ।

9 1 तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करूणानिधि ने नौवी पचवर्षीय योजना में लोगों की बुनियादी न्यूनतम जरूरता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की वचनबद्धता का स्वागत किया और कहा कि वे नौवी योजना के लक्ष्यो तथा कृषि एव ग्रामीण विकास, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, सामाजिक क्षेत्रो तथा अवस्थापना के क्षेत्रो की इसके द्वारा की गई पहचान से वे सहमत है ।

9.2 उन्होंने नौवी योजना के दृष्टिकोण पत्र में प्रस्तुत तीव्र विकास परिप्रेक्ष्य की प्रशसा की जो 7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर पर आधारित था । यद्यपि, इसमें ससाधनो पर भारी बोझ पडा है, इसमे भी ऊची विकास दर का लक्ष्य रखा जाना चाहिए, जिससे गरीबी उन्मूलन मे तथा बेरोजगारी तथा अल्प-बेरोजगारी की समस्याओ मे निबटने के लिए हमारे प्रयास जारी रहे । कम स कम समय मे गरीबी हटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार होगा ।

9 3 उनका विचार था कि अवस्थापना तथा अन्य पूजीगत कार्यक्रमों, विशेषकर इन क्षेत्रो में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की चर्चा के बारे मे अवस्थापना तथा अन्य पूजीगत कार्यक्रमो के वित्तपोषण के लिए बजटेत्तर समाधन जुटाने के लिए वित्त क्षेत्र मे राज्यो की भागीदारी मे कोई आपत्ति नही होगी । नौवी योजना मे ग्रामीण विकास तथा सामाजिक क्षेत्रों में विशेष जोर दिए जाने के साथ, जिनमे राज्यो की पर्याप्त वृद्धि की जाए ।

9 4 सिचाई विकास क्षमता का सृजन और इसके उपयोग पर जोर देना जरूरी है जैसा दृष्टिकोण पत्र मे बल दिया गया है । फिर भी उन्होने इस मामले मे सावधानीपूर्वक कार्य करने का आग्रह किया । मुख्य मंत्री ने इस बाबत पुरजोर आग्रह किया कि बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने के लिए आबंटन मे गरीबी की घटनाओं पर ध्यान दिया जाये न कि प्रतिव्यक्ति आय पर अथवा इन सेवाओ के स्तरो में जो अंतर है उन पर ।

9.5 उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए यह अनिवार्य है कि आई. आर डी पी तथा टी.आर.वाई.एस.ई.एम. के अंतर्गत कार्यक्रमो पर अधिक जोर दिया जाये । योजना बनाने मे पंचायत राज सस्थाओ की भागीदारी के दृष्टिकोण का मुख्य मंत्री ने स्वागत किया और कहा कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओ की व्यवस्था मे इन सस्थाओ की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

9.6 उनका यह भी विचार था कि दृष्टिकोण पत्र मे रखे गये विकास के उच्च स्तर अवस्थापना विकास में अधिक निवेश किये बगैर प्राप्त नही किये जा सकते । उन्होने बताया कि केन्द्रीय निवेश मे तमिलनाडू का हिस्सा लगातार घट रहा है अर्थात सत्तर के दशक मे 8 प्रतिशत से घटकर इस समय 5 प्रतिशत रह गया । इस कमी से राज्य के विकास मे रुकावट आई है तथा नौवी योजना मे इसे ठीक करना जरूरी है

9 7 उन्होने योजना प्रक्रिया के इतिहास मे पहली बार दृष्टिकोण पत्र मे सहकारी सघवाद पर एक अध्याय शुरू करने का स्वागत किया तथा इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि दस्तावेज मे उक्त दृष्टिकोण का आभास मिलता है और राष्ट्र निर्माण मे राज्यो की भूमिका का महत्व भी माना गया है केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमो के कार्यान्वयन के प्रबन्ध का कार्य राज्य सरकारो को सौपना एक वाछनीय परिवर्तन है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों के लिये राज्यो को संसाधन हस्तातरित करने मे उनकी पात्रता का हिसाब लगाने की विधि स्पष्ट रूप मे निश्चित की जाये ।

9 8 उन्होने योजना के आकार को तय करने में राज्यो को अधिक जिम्मेदारी देने के दृष्टिकोण का स्वागत किया । फिर भी मुख्य मंत्री ने इस बात से सावधान किया कि इसका परिणाम यह न हो कि योजना आयोग की भूमिका ही समाप्त हो जाये । उन्होंने बहिवर्ती क्षेत्रो मे यात्रियो की बढती हुई जरूरतो को पूरा करने के लिए चेन्नई के लिए मास रेपिड ट्रांसिट सिस्टम II के कार्यान्वयन की जरूरत पर जोर दिया और नौवीं पचवर्षीय योजना मे इन कार्यक्रमो को पर्याप्त रूप से वित्त पोषण के लिए आग्रह किया ।

9.9 मुख्य मंत्री ने कहा कि जबकि दस्तावेजो मे समानता के साथ विकास तथा बेरोजगारी घटाने पर जोर दिया गया है सहायता के आबटन मे दो सकेतको को नजरन्दाज किया गया अर्थात गरीबी की रेखा से नीचे के लोग तथा बेरोजगारी दर जो योजना की सफलता का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है । योजना को अतिम रूप देने से पहले इन सकेतको को महत्व प्रदान करने के फार्मूले का पुनर्मूल्यांकन राज्यो की प्रमुख आवश्यकता थी । उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय सहायता के घटक को बढाकर 50 प्रतिशत करने के औचित्य है जिस नौवी पचवर्षीय योजना मे बढ़ाए जाने की उन्होंने प्रशसा की । उन्होंने आपद राहत निधि को बढ़ाने के लिये उपयुक्त वित्त पोषण पद्धति के लिए जोर दिया ।

9.10 मुख्य मंत्री ने बताया कि यह उन राज्यों में से है जिन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में अनुमानित स्तर के अपने संसाधन जुटाने की वचनबद्धता को पूरा किया है और यह इच्छा जाहिर की कि सभी केन्द्रीय करों को विभाजनीय पूल में लाने तथा राज्यों के हिस्से में वृद्धि करने की दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों के ससधानों में वृद्धि करने में बहुत मददगार होंगी और ये सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र योजना के राज्य के हिस्से को पूरा करने में राज्यों की सहायता करेगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से पहले इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा।

9.11 अपने भाषण के अंत में मुख्य मंत्री ने कहा कि लक्ष्य यह सुनिश्चित करने का होना चाहिए कि अगले कुछ दशकों में भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की 47वीं बैठक में विचार-विमर्श से राष्ट्र इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर हो।

10.1 महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री मनोहर जोशी ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि हम पिछले 50 वर्षों के दौरान उपलब्धियों और असफलताओं का लेखा-जोखा लें। मुख्य मंत्री ने कहा कि दृष्टिकोण पेपर में लगभग सभी अच्छे मुददे शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आबादी पर काबू नहीं पाया जाता, योजना सफल नहीं होगी। मुख्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कम से कम अगले पांच वर्षों में पूर्ण साक्षरता की स्थिति आनी चाहिये। रोजगार बीमा तथा बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जरूरी है और इनके लिये सरकार जिम्मेदार है।

10.2 मुख्य मंत्री ने कहा कि विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए मुम्बई में देश के सभी भागों के लोग रह रहे है तथा इनकी जरूरत के मुताबिक सेवाएं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आवास की समस्या तथा शहर के सुधार के लिये धन की मांग की। उन्होने आगे कहा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्या हल करने की आवश्यकता है और इस समस्या के लिये केन्द्र को भी निधियां उपलब्ध करनी चाहिये।

10.3 मुख्य मंत्री ने कहा महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य साक्षरण परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया था जिसने 26 जिलो में काम शुरू कर दिया था। इस संबंध में केन्द्र को भी कुछ सहायता देनी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये वित्तीय अनुशासन स्थापित किया है। कृष्णा घाटी योजना के लिये जारी किये गये बोंडों में लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

10.4 मुख्य मंत्री का विचार था कि नौवी योजना के दौरान देश की निवेश की आवश्यकताएं पर्याप्त विदेशी निवेश के बिना पूरी नहीं होंगी। इसलिये केंद्र तथा राज्यों दोनों की नीतियां इस प्रकार की हों जो विदेशों से धन को आकर्षित करें। स्कीमों को मंजूरी देने में केन्द्र द्वारा जो विलम्ब किया जाता है वह नहीं होना चाहिये। राष्ट्रीय राजमार्गो की देख रेख राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। उसे इस संबंध में सभी शक्तियां राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिये। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र को अपना पूरा सहयोग देगी।

10.5 मुख्य मंत्री के लिखित भाषण में उनका कहना था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना निसन्देह दो कारणों से देश की योजना प्रक्रिया में एक वाटरशेड होगी, प्रथम यह कि यह योजना पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए क्रान्तिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि, आर्थिक उदारीकरण की नीति तथा प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही थी, दूसरे यह पंचवर्षीय योजना हमें 21 वीं सदी में ले जायेगी जबकि भारत निसंदेह एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान बनायेगा।

10.6 राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि, बिजली उत्पादन, सिंचाई, सड़कों, भू तथा जल संरक्षण, पेयजल, सफाई तथा मल निकासी, स्वास्थ्य शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुमुखी प्रगति हुई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सुझाव पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने राज्य योजना बोर्ड के अधीन ख्याति प्राप्त तथा विशेषज्ञों के 26 अध्ययन दल गठित किये गये हैं जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को अंतिम रूप दे देंगे जिन्हें राज्य की नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में ध्यान में रखा जायेगा।

10.7 मुख्य मंत्री की राय थी कि संघीय प्रणाली में, एक साझा दृष्टि की आवश्यकता थी कि हम 21वीं सदी के आरंभ में देश को किधर ले जाना चाहते हैं परन्तु साझा दृष्टि में जिम्मेदारियां तथा बोझ भी बांटी जानी चाहिये विशेषकर राष्ट्रीय समस्याओं के मामले में।

10.8 संतुलित क्षेत्रीय विकास के बारे मे मुख्य मंत्री ने दृष्टिकोण पत्र में क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करने की बात पर दिये गये जोर से सहमति प्रकट की तथा यह आग्रह किया कि क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर निधि के आवंटन में महाराष्ट्र की उपेक्षा न की जाये।

10.9 मुख्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे शहरीकृत राज्य में शहरी गन्दी बस्तियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। मुम्बई में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क आवास देने के लिय केन्द्र सरकार को सक्रिय तथा सार्थक सहयोग देना चाहिए।

10.10 मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि बेरोजगारी को विशेषकर युवा बेरोजगारों के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वचनबद्धता के साथ इसका कार्यान्वियन होना चाहिए। शिक्षा के संबंध में मुख्य मंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि आठवी योजना के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अंतर्गत सृजित प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के सभी पदों के लिय नौवीं पचवर्षीय योजना के दौरान समस्त खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाए।

10.11 मुख्य मंत्री ने परिवार कल्याण, वित्तीय प्रयास निजीकरण, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय सहायता से संबंधित मामलों पर भी अपने विचार रखे तथा प्रधान मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का धन्यवाद किया। मुख्य मंत्री ने कहा कि नौवीं पचवर्षीय योजना, योजना प्रक्रिया में एक मील का पत्थर है क्योंकि यह पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर बनाई जा रही है और हमें नई शताब्दी में ले जा रही है। इस योजना में जो नींव रखी गई है वह अगले साल के शुरू की

अवधि में देश के विकास की गति को निर्धारित करेगी। दृष्टिकोण पत्र में बहुत से लक्ष्य ऐसे हैं जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा खुद के लिये निर्धारित प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिये योजना में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गये हैं, महाराष्ट्र सरकार उनके कार्यान्वयन में पीछे नहीं रहेगी।

11.1 बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि योजना प्रक्रिया में त्रुटियों को दूर करना है क्योंकि योजना प्रक्रिया के 50 वर्षों के बाद भी गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गरीबी की समस्या पर विचार करने के लिये उन व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई जाय जो गरीबों के उत्थान के कार्य से जुड़े है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में स्कालरों को जोड़ा जाये। मुख्य मंत्री की राय थी कि जोतने वालों को भूमि के मालिकाना हक दिये जायें। भूमि तथा धन का वितरण न्यायसंगत आधार पर हो। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं की कमी का जिक्र किया। मुख्य मंत्री ने कहा कि देश के धन को गरीबों में बांट दिया जाय।

11.2 उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ईमानदारी तथा न्याय की नितान्त आवश्यकता है जिससे समानता के आधार पर समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने चाहा कि आवास, शिक्षा तथा अल्पसंख्यकों आदि के लिये परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिय।

11.3 लिखित भाषण में मुख्य मंत्री का विचार था कि यह बैठक जो 21वीं सदी की शुरूआत में हो रही है, इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हमारे देश के लोगो की आकांक्षाओं की पूर्ति कहा तक हुई है। इस प्रकार के मूल्यांकन से स्थाई संतुलित विकास, आर्थिक अवसरों के सृजन तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिय सामूहिक प्रयासों की दिशा निर्धारित करने का अवसर भी मिलेगा।

11.4 यह बहुत चिन्ता की बात है कि आजादी के 50 वर्षों बाद तथा आठवीं योजना के कार्यान्वयन के बावजूद भारत विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। न केवल क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र पीछे रखे जा रहे हैं जो खराब योजना प्रक्रिया का परिणाम है।

11.5 उन्होंने यह भी कहा कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र के विकास के लिये पूरे राष्ट्र के समग्र हित को ध्यान में रखकर कदम उठाए जाने चाहिए। वास्तव में विकास का मार्ग ऐसा होना चाहिए कि नई प्रौद्योगिकी के विकास से कुछेक विशेष क्षेत्रकों को छोड़कर श्रम विस्थापित नहीं होना चाहिए। तैयार की गई वस्तुए ऐसी होनी चाहिए कि इनमें से अधिकांश जन-उपयोग की वस्तुएं हो ताकि वितरण सबधी न्याय कायम किया जा सके। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का गरीब लोगों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तथा इससे आर्थिक असमानताए नहीं बढ़नी चाहिए।

11.6 मुख्य मंत्री ने परिषद् का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिकीकरण की पिछली नीतियों के बावजूद बिहार का औद्योगिक विकास वांछित सीमा तक नहीं हो पाया। अब भी अधिकांश पूंजी निवेश उन्हीं राज्यों को जा रहा है जिनमें विकसित अवस्थापना पहले से ही उपलब्ध है।

11.7. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि बिहार राज्य विशाल खनिज संसाधनों से भरपूर है वहां कितनी भूमि उपजाऊ है, जल व मानव संसाधन भी अनेक हैं, यह विरोधाभास की बात है कि स्वतन्त्रता की अवधि के भीतर बिहार में निवेश अन्य राज्यों की तुलना में कम रहा है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के अधिकांश राज्यों से न्यूनतम थी। बिहार और देश के अन्य राज्यों के बीच अन्तर पिछले चार दशकों में बढ़ा है। राज्य में सामाजिक – आर्थिक अवस्थापना का विकास भी राष्ट्रीय औसत से पिछड़ गया है।

11.8. मुख्य मंत्री का यह भी कहना था कि देश के क्षेत्र तथा आबादी में बिहार का 10 प्रतिशत हिस्सा है और बिहार में राष्ट्रीय नियोजन तथा विकास का अनुभव चिन्ता का विषय है। चार दशक के योजना विकास के बावजूद बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐसी है, जिसने नियोजित विकास की नीति पर प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेना है कि बिहार जैसे पिछड़े तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को संसाधनों की अपेक्षित राशि इस प्रकार मुहैया की जा सकती है, जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन में आगे और वृद्धि न हो।

11.9. उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् से अनुरोध किया कि उन कारणों का अध्ययन करने के प्रश्न पर विचार किया जाए कि बिहार में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति धीमी क्यों रही है और बिहार में अगले 10–15 वर्षों में गरीबी उन्मूलन के लिए बहुआयामी ढांचा तैयार किया जाए। बिहार के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम अन्य पिछड़े और आर्थिक दृष्टि मे कमजोर राज्यों की विकास नीतियों को तैयार करने में भी सहायक होगा।

11.10. मुख्य मंत्री ने कहा कि राजनीतिक प्रणाली मे निर्णय लेने में प्रभावी नागरिक भागीदारी स्थायी विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है। बेमेल विकास से उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान के लिए निहित क्षमता, पर्याप्त संसाधन सृजित करने वाली आर्थिक प्रणाली तथा निरन्तर तकनीकी जानकारी का विकास, उत्पादन तथा तकनीकी प्रणाली, जो वातावरण के अनुकूल हो, अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली, जो व्यापार तथा निवेश की समानतावादी पद्धति पर आधारित हो तथा विवेकशील प्रशासन अन्य पूर्वापेक्षाएं है।

11.11. मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, जरूरतमन्द लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को अपनाना जरूरी है।

बिहार में गरीबी की तीव्रता को तब ही कम किया जा सकता है, जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना में अर्थ-व्यवस्था की विकास दर 7 प्रतिशत हो और उसके बाद 8 से 9

प्रतिशत । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबसे गरीब वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों, छोटे तथा उपान्तक किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिएं तथा विकास दर के साथ-साथ श्रम-गहन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए तथा क्षेत्रीय विकास में संतुलन होना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए, कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलें और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवा में इस समय जो भेद-भाव बरता जा रहा है, वह समाप्त हो।

11.12 मुख्य मंत्री ने कहा कि नौवीं योजना में पेयजल की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, गरीबों के आवास, स्कूली बच्चों के लिए पोषण, स्वस्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें गरीबों पर जोर दिया गया हो तथा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था जैसी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

11.13. मुख्य मंत्री की राय थी कि गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गम्भीर है। यह जरूरी है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का ढांचा ऐसा हो, जिससे अधिकतम रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध हों । कृषि विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में निवेश पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । कृषि की योजना, कृषि-जलवायु / कृषि-पारिस्थितिकीय जोन के आधार पर बनाई जानी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने में ग्रामीण औद्योगिकीकरण का विशेष महत्व होगा।

11.14 उन्होंने राज्य में सड़क निर्माण तथा सेतु निर्माण का विशेष समस्याओं का जिक्र किया तथा पावर सैक्टर में एकीकृत नीति के विकास का स्वागत किया । कोयला खनन की प्रक्रिया में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना होगा । "कोल बीयरिंग राकट" के अधीन भूमि अधिग्रहण पर विचार करना भी जरूरी है तथा कोयले की रायल्टी के प्रश्न पर भी केन्द्र द्वारा विचार किया जाना चाहिए। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में मुख्य मंत्री का कहना था कि राज्य सरकारें अपनी अग्रताओं को खुद तय करने की स्थिति में होनी चाहिए और यदि योजनाओं को पिछले निर्णयों के अनुसार जारी रखना हो तो राज्य के लिए निश्चित की गई राशियां प्रत्येक राज्य को दे दी जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए प्रणालियों तथा कार्यविधियों की समीक्षा की जानी चाहिए ।

11.15 मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि आज के संदर्भ में सामाजिक न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है । विकास कार्यक्रमों को तैयार करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी अनिवार्य है क्योंकि अपनी जरूरतों को वे ही बता सकते हैं । उन्हें कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में भी शामिल किया जाना चाहिए तथा विकासात्मक कार्यकलापों, राजनीति तथा प्रशासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा ।

11.16 मुख्य मंत्री की यह भी राय थी कि केन्द्रीय सरकार तथा प्रायोजिक बैंकों की मदद से कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति मजबूत करने की जरूरत है ।

11.17 मुख्य मंत्री ने कहा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो अन्य प्राथमिकताएं होंगी वे हैं : मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, प्रशासन में लोगों की भागीदारी, पंचायत राज्य के अधीन विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया तथा विकास प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना । भौतिक तथा सामाजिक अवस्थापना का विकास करने तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, कृषि तथा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बिहार जैसे गरीब राज्यों को नौवीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी ।

11.18 अपने भाषण के अंत में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए योजना आयोग की प्रशंसा की और यह आशा व्यक्त की कि विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई योजना से अगली शताब्दी में संतुलित तथा स्थायी विकास हो सकेगा और समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभ पहुंचेगा ।

12.1 डॉ० फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर को एक राष्ट्रीय समस्या समझा जाना चाहिए । पर्यटन कश्मीर की मुख्य समस्या है । राज्य में पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी । यद्यपि, राज्य में हरेक गांव में बिजली लगाई जा चुकी है परन्तु लोगों को बिजली मुहैया नहीं है । राज्य में लगभग 15000 मैगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है परन्तु इस क्षमता का उपयोग न कर पाना नौवीं योजना में चिंता का मुख्य विषय होना चाहिये ।

12.2 मुख्य मंत्री का कहना था कि जिस राज्य में प्राइमरी से विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है, वह पढ़े-लिखे लोगों को काम नहीं दे पाया ।

12.3 मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि वानकी आपके साधनों में से एक है परन्तु राज्य की विशिष्ट समस्याओं से निबटने के लिए संसाधनों की जरूरत है । लोगों को शिक्षित कर देने के बावजूद राज्य में बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सका ।

12.4 उनके लिखित भाषण में मुख्य मंत्री का विचार था कि एक चुनी हुई मिली-जुली सरकार सफल सिद्ध हो सकती है और सम्भवतः बेहतर साबित हो सकती है, विशेषकर आर्थिक विकास के क्षेत्र में तथा आम आदमी की समस्याओं के संदर्भ में । वर्तमान सरकार द्वारा संकलित नौवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बुनियादी विचार धारा की पृष्ठभूमि में हैं तथा आम राय की जो भावना है, उससे जीवन के सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन मिलेगा और आगे वाले वर्षों में केन्द्र-राज्य संबंध सुधरेंगे ।

12.5 मुख्य मंत्री का यह भी कहना था कि जम्मू तथा कश्मीर के लोगों के लिए तथा व्यक्तिगत रूप से उनके अपने लिए जम्मू तथा कश्मीर में चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करना बहुत खुशी की बात है । ऐसा 9 वर्षों के अन्तराल के बाद हुआ है । जम्म तथा कश्मीर के लोगों के व्यापक समर्थन से समस्त विश्व में यह प्रमाणित हो गया है कि कश्मीरी लोग एक शान्तिपूर्ण धर्म-निरपेक्ष तथा अनुशासित सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति चाहते हैं । कश्मीर

में एक ऐसा वातावरण है, जो कश्मीर की समस्याओं पर चर्चा के लिए एक पारदर्शी तथा स्वस्थ अवसर प्रदान करता है और लोगों में इस बात की आम चाह है कि पिछले 7 वर्षों में जो समय गवांया जा चुका है, उसे पूरा करेंगे। राज्य के लोग यह आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार उनके लिए उदार नजरिया अपनाएगी और इस बारे में प्रधान मंत्री के आश्वासन से लोगों में विश्वास की भावना पैदा हुई है। उन्होंने परिषद् के सदस्यों को आश्वस्त किया कि राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और राज्य में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल की जायेगी। उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर में सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापना के पुनः निर्माण के लिए देश में अन्य सभी राज्यों को मदद का आह्वान किया।

12.6 मुख्य मंत्री को राय थी कि नौवीं पचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र विचार-विमर्श के लिये परिचालित किया गया है, उसमें देश के आर्थिक तथा वित्तीय मामलों को कुशलतापूर्वक समझा गया है। आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्धियां मिली-जुली रही हैं, यद्यपि समग्र रूप से विकास दर निर्धारित लक्ष्य दर से अधिक रही है, जिसका मुख्य कारण यह है कि मानसून लगातार अनुकूल रहा है जिससे कृषि पैदावार में वृद्धि हुई है। दृष्टिकोण पत्र में विकास के समानतावादी पहलू, बेहतर जीवनस्तर, क्षेत्रीय संतुलन तथा आत्म-निर्भरता पर जोर दिया गया है। विकास नीति के एक नए घटक के रूप में आर्थिक उदारीकरण से इन मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। कृषि पर जोर देना बहुत सामयिक है। एक संघीय प्रणाली में विकास नीति में आम राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति बचनबद्धता जो राजनीति से ऊपर उठकर की गई है, वह विश्व के राष्ट्रों में भारत के आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

12.7 अवस्थापना के संबंध में मुख्य मंत्री का कहना था कि अवस्थापना प्रक्रिया एक मुख्य घटक है और अब वह समय आ गया है जबकि देश में बिजली, परिवहन, पेट्रोलियम, दूर-संचार, पत्तनों आदि की बुनियादी जरूरतों आदि का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी अवस्थापना में सुधार करने पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

12.8 अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा निजीकरण की प्रक्रिया का केवल केन्द्रीय स्तर पर होनी चाहिए अपितु इसे राज्यों न भी अपनाया जाना चाहिए। प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिससे कि राज्यों की एतिहासिक गरीबी पर काबू पाने तथा अधिक साधन सृजित करने में व्यापक प्राइवेट निवेश का पिछड़े राज्यों में लाभ उठाया जा सके।

12.9 मुख्य मंत्री ने ध्यान दिया कि यह बहुत संतोष की बात है कि नौवीं योजना में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, उससे दीर्घकालीन वित्तीय नीति का विकास होगा जिससे केन्द्र तथा राज्य सरकारों का वित्तीय घाटा पहले तो कम होगा और बाद में खत्म हो जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नौवीं योजना के लिए केन्द्रीय योजन सहायता विशिष्ट वर्ग के राज्यों के बजट के घाटे से नहीं जुड़ी होगी, उस पर अलग से विचार किया जायगा और उसे नजर-अन्दाज नहीं किया जायगा जैसा कि पहले किया जाता रहा है।

12.10 पंचायत राज संस्थानों तथा विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके राज्य का यह प्रयास होगा कि विकास योजना प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन के घटक को पंचायत राज निकायों को हस्तांरित कर दिया जाए तथा उन्हें राजस्व जुटाने की शक्तियां प्रदत्त की जायें जिससे वे प्रभावी बन सकें। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से संबंधित दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ज्यादा रियायतें दिए जाने से राज्यों तथा योजना आयोग के बीच जो तालमेल है, उस पर असर न पड़े।

12.11 अपने भाषण के अंत में मुख्य मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में आर्थिक विकास विभिन्न क्षेत्रों में लाभ हुआ है और ये मार्गदर्शी सिद्ध हुए हैं और ये नौवीं योजना में जारी रहने चाहिए। उन्होंने देश में नौवीं पचवर्षीय योजना की सफलता की कामना की।

13.1 कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री जे० एच० पटेल ने कहा कि आठवीं योजना की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए नौवीं योजना बनाई जानी चाहिए। योजना प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को उपयुक्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दृष्टिकोण पत्र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में असमनताओं में जो असंतुलन है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। उद्योगपतियों को जो अन्धाधुन्ध सहायता दी जा रही है, राज्यों को उसे बन्द करना चाहिए। इसके बजाय औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं दी जानी चाहिए। शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य, सिंचाई तथा भूमि सुधार को योजना प्रक्रिया में समुचित स्थान मिलना चहिए। मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारी बढ़ती हुई आबादी की बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बढ़ते हुए उत्पादकारी रोजगार, गरीबी घटाने तथा पर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों के सृजन के लिए 7 प्रतिशत की विकास दर आवश्यक है।

13.2 अपने लिखित भाषण में मुख्य मंत्री का कहना था कि आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में योजना प्रक्रिया में बहुत उन्नति हुई है। यह प्रसन्नता की बात थी कि जी.डी.पी. प्रति वर्ष 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में क्रमशः लक्षित स्तर प्राप्त हुए।

13.3 कृषि तथा सिंचाई के क्षेत्रकों के बारे में उनकी राय थी कि विकासक्षम कृषि तथा तत्संबंधी कार्य-कलापों के लिए नौवीं योजना में ऋण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता आवश्यक थी। उनका कहना था कि राज्य सरकार नौवीं योजना के उद्देश्यों से सहमत हैं और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर जो जोर दिया गया है, वह सही है। क्योंकि उक्त सुविधाएं लोगों को समयबद्ध ढंग से उपलब्ध होनी चाहिये। उन्होंने सुझाव दिया कि विकासशील देशों के लिए यह जरूरी है कि वे प्राइमरी क्षेत्र पर निर्भर करने की बजाय द्वितीय तथा तृतीय सेक्टरों की मदद लें।

13.4. मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्रों में बिजली के नए संयंत्र लगाने के लिए

अनुमति देने हेतु सरकारी प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिए। सार्वजनिक बचतों तथा सार्वजनिक निवेश के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए, जिससे नौवीं योजना के दौरान 7 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

13.5. अवस्थापना सैक्टर के संबंध में मुख्य मंत्री का कहना था कि महत्वपूर्ण सेक्टरों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि देश में अभी प्राइवेट सेक्टर निवेशों के बारे में पहल तथा विश्वास उत्पन्न होना है। इसके साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था के विकास में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिन निधियों को परिसम्पत्ति सृजन के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है, उन्हें स्वयं की मदद वाले ग्रुपों के तन्त्र के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए, जिससे उनका उद्देश्य पूरा हो तथा गरीब से गरीब आदमी विकास तथा आत्म-निर्भरता के पथ पर अग्रसर हो सकें।

13.6. मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक निवेश के बजट सहायता के घटक का वित्तपोषण राज्य के लिए भारी कार्य होगा। कर्नाटक सदैव अपनी कर क्षमता पर निर्भर करता रहा है और राज्यों को संवैधानिक रूप से अनुमत ऊंचाइयों से राजस्व जुटाता रहा है और आगे भी वित्तीय उपायों के माध्यम से खुद के संसाधन जुटाता रहेगा सरकार ने प्रभावी ढंग से अपने बिक्री कर ढांचे को युक्ति-संगत बनाया है। पिछले बजट में केवल चार दरें रखी हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अभी दशवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना है, जिसमें केन्द्रीय राजस्व में से 29 प्रतिशत राज्यों को देने की सिफारिश की गई है। मुख्य मंत्री ने केन्द्र से यह अनुरोध किया कि राज्यों के सामने जो कठिन स्थिति है, उसे ध्यान में रखा जाए, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में राज्य सरकारों पर बहुत बोझ आ पड़ा है।

13.7. मुख्य मंत्री ने कहा कि सिंचाई, बिजली आदि में उपभोक्ता प्रभारों को केवल तब ही स्वीकार किया जायेगा, जबकि इन यूटिलिटियों के प्रबन्धन तथा मानीटरिंग में प्रयोक्ताओं की भागीदारी हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में मुख्य मंत्री का कहना था कि इन यूनिटों में निवेश को युक्तियुक्त बनाना नौवीं योजना के लिए प्राथमिक मुद्दा है। इस क्षेत्र में ढांचे में सुधार करने से निवेशों से प्राप्त होने वाले मुनाफे में सुधार होगा तथा विकासक्षम और सफल उपक्रमों के कार्यकरण में स्वायतता बढ़ेगी। मुख्य मंत्री ने भागीदारी नियोजन तथा साझा दृष्टिकोण के विकास का स्वागत किया। योजना आयोग जो पहले अनुमोदन करने वाली ऐजेन्सी के रूप में था, अब परामर्शदाता तथा विशेषज्ञ निकाय बन गया है—यह कदम सही दिशा में है।

13.8. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के बारे में मुख्य मंत्री इस पक्ष में थे कि राज्यों के विवेक में वृद्धि होनी चाहिए और उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस संबंध में कार्रवाई से प्रमुख परिवर्तन हो सकेंगे, जो केवल अतिरिक्त संसाधनों के हस्तांतरणों से नहीं होते। उनका यह भी कहना था कि विशेष घटक योजना तथा जन-जातीय उप-योजना के अधीन निश्चित निधियां संचित की जा रही थीं और उनका उपयोग लघु सिंचाई, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा पर किया जा रहा था और यह आशा थी कि इससे उनके जीवन पर स्तर तथा सामाजिक स्थिति में नाटकीय परिवर्तन हों।

13.9. आपने भाषण के अन्त में मुख्य मंत्री ने कहा कि नौवीं योजना में नियोजित विकास के हमारे दृष्टकोण में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वह यह है कि लोगों की भागीदारी तथा पंचायत राज संस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। इन निकायों को संसाधन जुटाने संबंधी कुछ शक्तियां दिए जाने से इन संस्थाओं के कार्यकरण में पूरी स्वायत्ता आ सकेगी। इसके दौरान गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी ग्रुपों तथा जल प्रबन्धन निकायों जैसे प्रयोक्ताओं की योजना बनाने तथा मानीटरिंग के कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रभावी तरीके अपनाएं जाएं।

14.1 केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम् ने कहा कि नौवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 7 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। प्रधान मंत्री तथा वास्तविक रूप से प्रत्येक मुख्य मंत्री ने इससे कम विकास दर के विकल्प अस्वीकार कर दिया। इस बात का कोई प्रश्न नहीं कि हमें बढ़ते हुए उत्पादनकारी रोजगार गरीबी को कम करने तथा बढ़ती हुई आबादी की बुनियादी सामाजिक सेवाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों के सृजन के लिए विकास की इस दर को प्राप्त करने की आवशकता है।

14.2 प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के विचारों से सहमत होते हुए वित्त मंत्री ने लक्षित 7 प्रतिशत की विकास दर के आशय-आवश्यक स्थितियों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 7 प्रतिशत की विकास दर अपने आप नहीं हो जायेगी, इसके लिए अधिम निवेश की आवश्यकता होगी। देशी तथा विदेशी दोनों स्रोतों से बचत में वृद्धि करनी होगी तथा जो पूंजी लगाई है, उसमें अधिक कुशलता और उत्पादकता की आवश्यकता होगी। इन सब अपेक्षित नीतिगत उपायों के लिए कठोर राजनैतिक निर्णयों की जरूरत होगी, जो देश तथा लोगों के लिए, विशेषकर गरीब लोगों के हित में अवश्य लिए जाने चाहिए।

14.3 और विस्तार में जाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दृष्टिकोण पत्र के अनुसार अर्थ-व्यवस्था के निवेश दर आठवीं योजना में जी०डी०पी० 25 प्रतिशत थी। उसे नौवीं योजना बढ़ाकर 28.6 प्रतिशत कराना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए एक ऐसे नीतिगत ढांचे की जरूरत है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र तथा प्राइवेट क्षेत्र, दोनों को प्रोत्साहन मिले। सार्वजनिक धनराशि सीमित है, इसलिए दृष्टिकोण पत्र में यह पूर्वानुमान लगा लिया गया है कि कुल निवेश का 2/3 भाग प्राइवेट क्षेत्र द्वारा किया जायेगा, इसमें देशी और विदेशी, दोनों निवेश शामिल हैं। इसके लिए निवेशक के अनुकूल कर नीति, वित्त, विदेश व्यापार तथा भुगतानों, श्रम तथा भूमि के उपयोग की आवश्यकता है। सबसे अधिक बिजली सड़कों, रेलवे, पत्तनों, सिंचाई, दूर-संचार आदि में पर्याप्त तथा कुशल अवस्थापन सेवाओं की आवशकता है। हाल ही प्रकाशित भारत अवस्थापना रिपोर्ट ने अवस्थापना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्ल्यू प्रिंट" दिया है। इसमें अगले पांच वर्षों में 120 बिलियन अमेरिकी डालर

(430,000 करोड़रुपये) के निवेश की जरूरतों का अनुमान लगाया है । इस उत्कृष्ट रिपोर्ट के आधार पर नीतियां बनाई तथा कार्यान्वित की जानी चाहिए । अवस्थापना सेक्टर में पर्याप्त निवेश के बिना उच्च दर के राष्ट्रीय निवेश की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो 7 प्रतिशत के लक्षित विकास को प्राप्त करने के लिए जरूरी है ।

14.4 वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमें अवस्थापना के प्रति पुन विचार की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि प्रत्येक राज्य द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो अगले कुछ वर्षों में बिजली की समस्या बहुत बढ़ जायेगी । बहुत से बिजली बोर्ड समाप्ति की कगार पर हैं। राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा प्रशासकीय ढ़ाचे में तथा उनकी नीतियों में नाटकीय तथा त्वरित परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे कि राज्य बिजली बोर्ड अपनी दरों में वृद्धि कर सकें । आपूर्ति के स्तर में सुधार कर सकें, बिजली की चोरी को रोक सकें तथा वित्तीय रूप से विकास-सक्षम हो सकें । राज्य बिजली बोर्डों तथा प्राइवेट बिजली कम्पनियों स्वतंत्रता-पूर्वक कार्य करने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्यों के कानूनों को बदलना होगा ।

14.5 वित्त मंत्री ने कहा कि जब तक हम बचतों में वृद्धि करने में सफल नहीं होंगे तब तक ऐसी नीति ढांचा तैयार करने से आवश्यक निवेश की उच्च दरें संभव नहीं होंगे जो निवेश को बढावा दें और हमारी अवस्थापना संबंधी रुकावटों को दूर करें । हमें परिवारों तथा निगमित निकायों की बचतों तथा सार्वजनिक बचतों में वृद्धि करनी होगी । परिवार अनुकरणीय बचत करता है । निगमित क्षेत्र में बचत दर मामूली है । सरकार खर्च करने के मामले में बदनाम है । सरकार द्वारा बचत न करने का अभिप्राय यह है कि हम खर्च तथा निवेश दोनों के लिए कर्ज ले रहे हैं । सरकार जो कर्जे ले रही है । उसकी भी सीमाएं हैं । साझा न्यूनतम कार्यक्रम में घाटे को 4 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है । हमें सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय स्थिति 2 वर्षों में ठीक हो जाए । यह तब ही संभव हो सकेगा जब सरकार राजस्व घाटे को समाप्त कर दे ।

14.6 वित्त मंत्री की राय थी कि सार्वजनिक बचतों में वृद्धि करने के लिए कर सुधार जारी रखे जाएं । कम प्राथमिकता वाले खर्चों को समाप्त किया जाए । सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता और मुनाफे में वृद्धि की जाए तथा सहायता केवल उन्हें दी जाए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है । घरेलू बचतों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सेक्टर में और अधिक सुधार करने होंगे । संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार अवस्थापना विकास तथा वित्तीय सेक्टर सुधार एक दूसरे से निकट से जुड़े हैं । अवस्थापना के लिए दीर्घकालीन धनराशि की आवश्यकता है संयुक्त मोर्चा सरकार वित्तीय सेक्टर का और सुधार करेगी, जिससे कि अवस्थापना सेक्टर में देशी तथा विदेशी निधियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों । विश्व के अधिक प्रगति वाले भागों में घरेलू बचतें अधिकतर बीमा तथा पेंशन निधियों के माध्यम से होती हैं, जो पारिवारिक बचतों का प्रमुख हिस्सा है । दीर्घकालीन ऋण बाजार के विकास में इनका बहुत महत्व पूर्ण योगदान है । प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, नये उत्पाद शुरू करना, बेहतर निधि प्रबंधन तथा क्रेता की जरूरतों को समझना जरूरी है । उक्त सुधार तथा बैंकिंग, धन बाजार तथा पूंजी बाजारों में अन्य सुधार जरूरी है ।

14.7 वित्त मंत्री ने बल देते हुये कहा कि दृष्टिकोण पत्र में यह माना गया है कि हमें बचत दर जो आठवीं योजना में जी.डी.पी. के 24 प्रतिशत से कम थी, उसे नौंवी योजना में 26.2 प्रतिशत तक बढ़ाने में हम सफल होंगे । इसके बाद घरेलू बचतों तथा निवेश की उच्च दर के बीच जी.डी.पी. का लगभग 2.4 प्रतिशत का अंतर रह जाता है । आठवीं योजना के दौरान अंतर जी.डी.पी. 1.3 प्रतिशत था । नौंवी योजना में जो अधिक अंतर है, वह अधिक विदेशी बचतों की जरूरत के कारण है, जो नौंवी योजना के विकास लक्ष्यों के लिये निवेश को पूरा करने के लिये जरूरी है । इन बचतों तथा निवेश अंतर का प्रत्यक्ष काउंटरपार्ट भुगतान संतुलन के चालू लेखों में होने वाला घाटा है । भुगतान संतुलन में इतना बड़ा घाटा जो नौंवी योजना तथा उसके बाद जारी रहेगा, के लिये कम से कम दो बातों की जरूरत है ।

- निर्यातों में प्रतिवर्ष 14–15 प्रतिशत की वृद्धि तथा
- विदेशी निवेश आगमन में पर्याप्त वृद्धि ।

14.8 वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जैसा कि न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि विदेशों से प्राप्त होने वाला निवेश, जिसका स्तर इस समय 2 से 3 बिलियन डालर प्रतिवर्ष है, उसे बढ़ाकर 10 बिलियन डालर करना होगा । इसका अभिप्राय है कि ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिनसे विदेशी निवेश आकर्षित हो । वित्त मंत्री का विचार था कि यह सुनिश्चित किया जाये कि विदेशी निवेश के आगमन को शासित करने वाले विनियम ऐसे हों, जो एशिया के अन्य देशों की तुलना में पारदर्शी तथा आकर्षक हों । इस संदर्भ में फैरा की समीक्षा की जा रही है ।

14.9 वित्त मंत्री का यह भी कहना था कि दृष्टिकोण पत्र में अनुमान लगाया गया है कि नौंवी योजना में हमारा पूंजी उत्पादन अनुपात निम्न रहेगा अर्थात 4 से कुछ अधिक । यह भी अपने आप नहीं होगा । उनकी राय थी कि सार्वजनिक खर्चे, विशेषकर सार्वजनिक निवेश से अधिक उत्पादनकारी बनाया जाना चाहिये । पुरानी परियोजनाओं के पूरा होने से पहले ही नई योजनायें शुरू करने तथा पुराने कार्यक्रमों के पूरा होने से पहले नये कार्यक्रम शुरू करने की जो व्यापक प्रथा चली आ रही है, उससे बचना चाहिये । परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिये तथा कुछ कार्यक्रम छोड़ देने चाहिये । कुशलता को बढ़ाने तथा रोजगार के अधिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये शहरी भूमि परिसीमन अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम, औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम तथा विभिन्न अन्य आर्थिक कारणों तथा विनियमों की समीक्षा की जानी चाहिये । नौंवी योजना के सभी प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कृषि तथा उससे संबधित सेक्टरों का विकास तेजी से, कुशलतापूर्वक तथा समानता के आधार पर होना जरूरी है । ग्रामीण अवस्थापना में अधिक निवेश के लिये संसाधन जुटाये जाने चाहिये । कृषि उत्पादन में 4.5 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये कृषि उत्पादों पर देशी तथा विदेशी व्यापार में जो नियंत्रण लगाये गये हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये ।

14.10 अपने भाषण के अन्त में वित्त मंत्री ने 7 प्रतिशत को विकास दर, 28.6 प्रतिशत निवेश दर, 26.2 प्रतिशत बचत दर तथा 4.08 की अनुमानित आई.सी.ओ. का अनुमोदन किया है। वित्त मंत्री ने परिषद के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इन लक्ष्यों के आशयों को समझें और यह भी अनुरोध किया कि ऐसे कठोर राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णय लेने का संकल्प करें, जो इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को विचारधारा के कारण नहीं किया जाना है बल्कि अधिक उत्पादन, रोजगार तथा विकास के लिए लगाए गए संसाधनों से लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसा करना जरूरी है।

15.1 गुजरात के मुख्य मंत्री श्री शंकर सिंह वघेला ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की यह बैठक देश के सामने आ रही जटिल समस्याओं को हल करने हेतु नये दृष्टिकोण पर विचार करने के लिये बुलाई गई है उनका विचार था कि अब समय आ गया है कि जब हमें पहले से चली आ रही पद्धतियों का पुनः मूल्यांकन करके तथा उनमें संशोधन करके योजना नीतियों को फिर से तैयार करें। यह जरूरी हो गया है क्योंकि देश में बढ़ते हुये शहरीकरण के कारण गांव बहुत पिछड़ गये हैं। पिछली गलतियों को स्वीकार करना एक नई दिशा की शुरूआत होगी। एक आत्म निर्भर और साफ-सुथरे गांव के लिये गरीबों के उत्थान हेतु सहायता योजनाओं की केन्द्र तथा राज्य स्तर पर समीक्षा की जाये।

15.2 मुख्य मंत्री यह भी कहा कि नौवी योजना का प्रमुख कार्य जनोन्मुखी के नये युग की शुरूआत करना है जिसमें न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपितु लोग विशेषकर गरीब लोग पूरी तरह भाग लें। समानता को सुनिश्चित करने तथा अर्थ व्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के लिये भागीदारी वाली योजना प्रक्रिया एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा अधिक रोजगार का सृजन करना एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमि तथा जल संसाधनों की कमी तथा बार-बार सूखे के बावजूद गुजरात औद्योगिक विकास की संतोष जनक दर बनाये रखने तथा अपनी कृषि अर्थबव्यवस्था को बहुमुखी बनाने में सफल रहा है। लघु क्षेत्र के लिये एक नई औद्योगिक नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है। प्रस्ताव है कि गुजरात में ऐसे दस्तकार आधारित केन्द्रों को चुना जाये। जिनका टेक्नोलोजी तथा व्यापार संबंधी निष्पादन अच्छा है अथवा जो राष्ट्रीय तथा विश्व बाजार से पहले से जुड़े हैं और उन्हें मजबूत करके अधिक प्रभावी बनाया जाय मुख्य मंत्री ने आशा व्यक्त की कि केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय तथा योजना आयोग इस प्रकार स्कीमों में सहायता करेंगे।

15.3 मुख्य मंत्री का विचार था कि जीवन स्तर में सुधार करने के लिए तथा आर्थिक विकास को तेज करने के लिए, विशेषकर बिजली, संचार, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल आदि के लिए अवस्थापना सुविधाओं की दिशा में और प्रयास करने होंगे। उन्होंने बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने तथा बेहतर जीवन स्तर के कार्यक्रमों को दृष्टिकोण पत्र में दी गई प्राथमिकताओं का अनुमोदन किया। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक विकास के लिए अवस्थापना का विकास बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बिजली परियोजनाओं का विकास है। विकास के लिए जो अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं, वे हैं, सिंचाई, पत्तन, सड़कें, दूर-संचार तथा रेलवे नेटवर्क। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण तथा नीति के अनुरूप नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास में प्राइवेट सेक्टर का लाभ उठाया जाना चाहिए।

15.4 वित्तीय संसाधनों तथा घरेलू बचतों के बारे में उनका विचार था कि नौवीं योजना में उपलब्धियों के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक समान राष्ट्रीय नीति विकसित करने के लिए संकल्प तथा इच्छा की आवश्यकता है, विशेषकर सिंचाई, बिजली तथा अन्य प्रयोक्ता प्रभारों को व्यावहारिक आधार पर तय करने के लिए।

15.5 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि सिद्धान्त रूप में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें केवल ऐसी होनी चाहिए जो अन्तर-राज्य स्वरूप की हों, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों के बारे में हों, कुछ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में हों, जिनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो तथा बहु-राज्य विदेशी सहायता परियोजनाएं हों या संक्रियात्मक कारणों से केन्द्रीय समन्वय आवश्यक हों। ऐसी योजना के अलावा सभी स्कीमें निधियों सहित राज्यों को हस्तांतरित कर दी जायें।

15.6 कृषि तथा इससे सम्बद्ध कार्यकलापों के बारे में मुख्य मंत्री कृषि क्षेत्र के विकास की नीति से सहमत थे, जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होने यह भी सुझाव दिया कि कृषि बहुमुखीकरण तथा आय तथा रोजगार व सृजन की प्रक्रिया के लिए अवस्थापना का सृजन किया जाना चाहिए, विशेषकर किसान को सहायता देने के लिए विपणन तथा संचार के सम्बन्ध में।

15.7 मुख्य मंत्री ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि आठवीं योजना के दौरान उससे कुछ लाभ हुए हैं तथा कुछ सम्मिलित प्रयासों द्वारा नौवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। गुजरात में बिजली की कमी है। जबकि बिजली के उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। अतिलिखत बिजली की भारी जरूरतों को सार्वजनिक क्षेत्र से पूरा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, गैर-अ धारित बिजली के प्रस्तावों तथा विकेन्द्रीकृत बिजली उत्पादन व सहकारी क्षेत्र में हस्तांतरित करने के प्रस्तावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। बिजली उत्पादन के वर्ष में कमी लाने पर जोर दिया जाना चाहिए। बड़े-बड़े पत्तनो पर बढी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं नहीं हैं तथा सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता है।

15.8 मुख्य मंत्री ने कहा कि आदर्श परिवार के मानक को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों तथा समुदायों में प्रोत्साहन का विचार स्वागतयोग्य है। राज्य इस बात में मदद करेगा कि इस कार्यक्रम के लिए जन्म दर को रोकने हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। जन्म दर को नियंत्रण में रखने के प्रयास में सफल जिलों तथा पंचायतों को अतिरिक्त धनराशि देना एक सकारात्मक कदम है।

15.9 अपने भाषण के अंत में मुख्य मंत्री ने कहा कि पंचायत राज तथा नगरपालिका पर 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन में विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया गया है। फिर भी यह जरूरी है कि ऐसे निकाय आर्थिक रूप से विकासक्षम हों। योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण, विकास

प्रक्रिया में लोगों को भागीदारी के लिए एक निश्चित तथा प्रभावी तरीका है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन की गति बढ़ेगी ।

16.1 हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बीरभद्र सिंह ने कहा कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जा सकती है । ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार बहुत जरूरी है और उन्हें लागू किया जाना चाहिये। कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण लोगों की आमदनी में वृद्धि के लिये सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । उनका विचार तथा था कि देश के नियोजित विकास के बावजूद, जो उपलब्धियां हुई हैं उनका लाभ जनसंख्या में हुई वृद्धि से बराबर हो गया । आठवीं योजना के दौरान हुई प्रगति को नोट करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि नियोजित आर्थिक विकास के लिये योजना आयोग की व्यापक भूमिका होगी ।

16.2 मुख्य मंत्री की राय थी कि विशिष्ट वर्ग के राज्यों के लिए अनुदान-ऋण अनुपात एक समानता पर आधारित उपाय हैं जिससे असमानता समाप्त होगी और इसे किसी प्रकार कम नहीं होने देना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि विशिष्ट वर्ग के राज्यों को उनकी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण तथा केन्द्र से अधिक सहायता के रूप में अविमान की आवश्यकता है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि पहाड़ी राज्यों द्वारा इकालाजी के संरक्षण, फोरेस्ट कवर में सुधार जैव-प्रजननता तथा फ्लोरा तथा फौना की सुरक्षा से लाभ हुआ है जो नीचे के मैदानी राज्यों को पहुंचा है। इन सभी बातों का एहसास राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए तथा हिमालय पहाड़ी राज्यों के विकास की जिम्मेदारी सरकार को होनी चाहिए । यह इसलिए भी जरूरी है कि पहाड़ी राज्यों में वित्तीय संसाधनों की स्थिति खराब है और विकास की लागत अधिक है। उनकी इच्छा थी कि हिमालय के पहाड़ी राज्यों की समस्याओं के बारे में नौवीं योजना के दौरान विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

16.3 मुख्य मंत्री इस दृष्टिकोण से सहमत थे कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमें संसाधनों सहित राज्यों को हस्तांतरित कर दी जायें और उन्हें अधिक स्वतंत्रता दी जाये । उन्होंने यह भी कहा कि परेषण कर की उगाही क्रियान्वित की जाये तथा निगम कर को करों के पूल में मिला लिया जाये तथा दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को आबंटित कर दिया जाये । हिमाचल प्रदेश की वित्तीय समस्याओं को तुरंत दूर किया जाना चाहिये ।

16.4 पावर सेक्टर के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 20,000 मे०वा० क्षमता की हाइडल विकास क्षमता है जिसमें से केवल लगभग 4000 मे०वा० उत्पन्न की गई है । उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे आगे आएं और आपसी हितों की शर्त पर हिमाचल प्रदेश में पावर परियोजनाओं में निवेश करें । उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन सैक्टर के विकास के लिये रेलवे नेटवर्क में सुधार किया जाना चाहिये ।

16.5 अपने लिखित भाषण में मुख्य मंत्री का कहना था कि आठवीं योजना का ट्रेक रिकार्ड एक संतोष की बात थी क्योंकि भारत की अन्तरराष्ट्रीय साख फिर से बन गई तथा नौंवीं योजना में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति संतोषजनक स्तर की थी । खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता से भारत की अर्थ-व्यवस्था मजबूत हुई । नौंवीं योजना के दौरान राज्य की कला टेक्नालाजी तथा औद्योगिक विकास का लाभ उठाया जाना चाहिये । जन संख्या वृद्धि को छोड़कर, यहां तक कि गरीबी तथा बेरोजगारी पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

16.6 मुख्य मंत्री की यह भी राय थी कि विकास का रास्ता निर्धारित करने के लिये बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये और नीतियों इस प्रकार तैयार करनी चाहिये कि गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्तरक्षेत्रीय असमानता पर नौंवीं योजना के दौरान पर्याप्त ध्यान दिया जा सके । पिछले निष्पादन के विश्लेषण तथा भावी रास्ते का पूर्वानुमान लगाने में वास्तविकता को नजरअन्दाज न किया जाये । ऊभरते हुये परिदृश्य की यह मांग है कि जो कुछ हो रहा है उसे जारी रखा जाये और जहां-जहां कमजोरियां रहीं हैं वहां सम्मान तथा कार्य-विधियों में परिवर्तन किया जाये जिससे भारत विश्व में पिछड़ा न रहे और साथ ही लोगों के लिए सामान्य समृद्धि के नये युग में प्रवेश करने में सफल हो ।

16.7 मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि दृष्टिकोण पत्र में कुछ मुद्दों पर जोर दिया गया है जिन पर सरकार तथा नीति निर्धारकों को सर्वाधिक ध्यान देना है तथा यह रेखांकित किया है कि यदि विकास की समस्या का सार्थक हल निकालना है तो मुद्दों को दर-किनार नहीं किया जा सकता यह बात समस्त विश्व में मानी जाती है कि गरीबी, बेरोजगारी तथा आमदनी व स्थानिक असमानता का हल सबसे अच्छे ढंग से तेजी से विकसित होने वाली अर्थ-व्यवस्था में किया जाता है तथा यह पहलू नौंवीं योजना में जिन नीतियों के अनुसरण का प्रस्ताव है उनका केन्द्र बिन्दु होना चाहिये।

16.8 मुख्य मंत्री ने कहा कि वे इस बात पर योजना आयोग से सहमत हैं कि योजना प्रक्रिया बहुत ही संगत है भले ही साधनों में परिवर्तन हो जाये । योजना आयोग तथा राज्यों के बीच वार्तालाप के संदर्भ में दृष्टिकोण पत्र में योजना प्रक्रिया में परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है । तेजी से बदलते हुये परिदृश्य में मुख्य मंत्री का विचार था कि मौजूदा प्रणाली को जारी रखने की आवश्यकता को नजर-अन्दाज न किया जाये ।

16.9 यह नोट करते हुये कि "समानता के साथ विकास" एक प्रशंसनीय लक्ष्य है । मुख्य मंत्री ने कुछ सुझाव दिये । आबादी को रोकने के मुद्दे को प्राथमिक लक्ष्य माना जाये तथा विकास के स्तर में अन्तरक्षेत्रीय असमानताएं समाप्त की जायें । उन्होंने हिमालय के पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया और कहा कि हिमाचल प्रदेश की वन सम्पदा लगभग 60,000 करोड़ रुपये है तथा बहुत से मुल्यवान शंकुधारी वन इस स्वरूप के हैं कि यदि उन्हें काट कर समाप्त कर दिया गया तो मानव द्वारा इनका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकेगा । वाणिज्यिक दृष्टि से वनों की कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिये । राज्य को इसके कारण जो हानि हुई है उसकी प्रतिपूर्ति की जाये । बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये केन्द्रीय सहायता के आबंटन के संदर्भ में, यह सामान्य आबंटन स्कीम द्वारा शासित होता रहे ।

16.10 अपने भाषण के अंत में मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हो रही है कि दृष्टिकोण पत्र में उन आवश्यक कदमों पर जोर दिया गया है जो थर्मल हाइडल मिक्स की लगातार बिगड़ती हुई हालत के कारण हमारी ऊर्जा सप्लाई में सुधार करने के लिये जरुरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आठवीं योजना के अंत में हिमालय की पहाड़ियों में जीवन स्तर उससे बेहतर है जिनकी शुरु में योजना बनाई गई थी। उनकी राय थी कि सामाजिक सेवाओं के लिये किये गये निवेश से मानव पूंजी में बहुत सुधार होगा और इसे बढ़ावा देना चाहिये जिससे कि समाज की उत्पादकता बढ़े। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के संदर्भ में पावर सेक्टर की विविधता पर जो बल दिया गया है वह सही है। उन्होंने कहा कि कृषि जलवायु क्षेत्रीय नियोजन प्रक्रिया में होने वाले निवेश से हिमाचल प्रदेश में प्रक्रिया में तेजी आयेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य द्वारा दिये गये सुझावों को इस परिषद द्वारा जो अन्तिम दृष्टिकोण पत्र स्वीकार किया जायेगा उसमें शामिल किया जायेगा।

17.1 राजस्थान के उप मुख्य मंत्री श्री हरि शंकर भाभरा ने आगे यह भी कहा कि विकास की गति में तेजी लाए जाने की जरुरत है और उन्होंने नौवीं योजना के दृष्टिकोण के प्रति सहमति व्यक्त की जिसमें प्रयासों और निर्धनता उन्मूलन, दुर्बल वर्गों का समर्थन, पिछड़े प्रदेशों का विकास, स्थायी विकास और उत्पादनशील विकास योजनाओं पर बल दिया गया है जो कि उचित भी है। उन्होंने इसी क्रम में यह भी कहा कि 1992–97 की अवधि राजस्थान में नियोजित विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि रही है जिसमें केवल यही नहीं कि राज्य की आठवीं योजना के आकार की पूर्ती की गई बल्कि उससे भी बढ़कर प्रगति हुई। चल रही सभी परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए दृष्टिकोण पत्र में यथाअनुशासित दृष्टिकोण के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की।

17.2 उप मुख्य मंत्री ने आगे यह भी कहा कि राज्य के लगभग आधे जल संसाधन अन्तर्राज्यीय नदियों में उसके हिस्से के बल पर प्राप्त हुए थे और राज्य के जो दावे बहुत लम्बे समय से विचाराधीन पड़े हैं, उन्हें शीघ्र निबटाए जाने की जरुरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में सुविधाओं के समान वितरण और बेहतर परियोजना प्रबन्ध क्षमता भी उत्पन्न की जानी जरूरी है। आर्थिक उदारीकरण और सुधार के फलस्वरूप औद्योगिक विकास में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। पिछड़े राज्यों को आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसमर्थन की जरुरत थी ताकि वे अपने-अपने राज्यों में उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बेहतर तथा अधिक विकसित राज्यों के साथ होड़ कर सकें।

17.3 दृष्टिकोण पत्र में कृषि को दिए गए महत्व का स्वागत करते हुए उप मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य में निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार आया है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि राष्ट्रीय विकास परिषद् को निर्धनता आधारित केन्द्रीय निधियों के आबंटन पर उसी प्रकार रोक लगा देनी चाहिए जिस प्रकार जनसंख्या अनुपात पर 1971 के स्तर पर रोक लगा दी गई थी ताकि जो राज्य अपने यहां निर्धनता घटाने में सफल रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। उन्होंने यह कहा कि बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और अधिक मात्रा में केन्द्रीय सहायता की जरुरत है। लोगों का बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए जाने और शैक्षिक तथा स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को सुदृढ़ बनाए जाने की जरुरत है।

17.4 उप मुख्य मंत्री का यह भी कहना था कि पंचायती राज संस्थानों जैसे निकायों को संसाधन मुहैया करा के सुदृढ़ बनाए जाने की भी जरुरत है। गाडगिल मुखर्जी फारमूला पिछड़े राज्यों के अनुकूल नहीं रहा और जब तक कोई मौलिक बदलाव नहीं लाया जाता, तब तक पिछड़े और उन्नत राज्यों के बीच की दूरी बराबर बढ़ती रहेगी।

17.5 उन्होंने इसी क्रम में यह भी कहा कि बेरोजगारी और निर्धनता के साथ-साथ प्रादेशिक विषमताओं का मुद्दा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केन्द्र सभी सहमत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को संसाधनों सहित राज्य सरकार को अन्तरित कर देगा। यह जरुरी है कि विकास जन केन्द्रित हो और उन्नति, समानता तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि को ध्यान में रखकर किया जाए।

17.6 अपने लिखित वक्तव्य में उप मुख्य मंत्री ने यह कहा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना, आयोजना के क्षेत्र में 50 वर्षों के अनुभव की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत की जा रही है और यह योजना हमारे राष्ट्र के विकास की दिशा में कई दृष्टिकोणों से युगान्तरकारी होगी। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा देश राष्ट्रमण्डल में एक गौरवपूर्ण स्थान का अधिकारी हो, तो तेजी लाए जाने की जरुरत है और यह काम केवल विकेन्द्रीकृत आयोजना, बेहतर परियोजना कार्यान्वयन के माध्यम से तथा उच्च उन्नति के क्षेत्रों, आधारभूत संरचनाओं के विकास, मानवीय संसाधन विकास और निर्धनता जैसे क्षेत्रों की ओर ध्यान केन्द्रित करके किया जा सकता है। नवीं योजना के दृष्टिकोण में अपनाई गई प्रस्तावित कार्यनीति को लेकर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की।

17.7 उप मुख्य मंत्री ने यह कहा कि राज्य में और अधिक आय तथा रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में राज्य सरकार ने अनेक नई नीतिगत पहलें की हैं। विद्युत क्षेत्र में सुधार की कार्रवाई भी शुरु कर दी गई है। एक इजरायली परामर्शदाता कम्पनी के सहयोग से पानी के उपभोग के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यद्यपि खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच चुका है, फिर भी कृषि उत्पाद में अत्यधिक कमी-बेशी अक्सर देखने में आती है और यह कमी-बेशी राजस्थान के सूखा प्रवण राज्य में विशेष रूप से देखने में आती है। अनियमित मानसून को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क खेती पर अधिक बल दिए जाने से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि होगी। सिंचाई सुविधाओं का और अधिक समान वितरण तथा सिंचाई की ड्रिप और छिड़काव पद्धतियों के जरिए पानी का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने की दृष्टि से लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल देना जरुरी होगा। साथ ही, यह भी जरुरी है कि पिछले कुछ वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के फलस्वरूप जो गति आई है, उसे अधिक विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए कायम रखा जाए।

17.8 उप मुख्य मंत्री ने कहा कि आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूण सुधार लाया गया है। उप मुख्य मंत्री ने यह अभिमत व्यक्त किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं को लाभ को व्यवहार्य माता प्रदान की जानी आवश्यक है ताकि उपभोक्ताओं तक नियन्त्रित वस्तुओं का प्रवाह सुनिश्चित हो सके। यद्यपि गांव की संयोजकता में सुधार हुआ है, फिर भी राज्य राष्ट्रीय औसत से अभी भी नीचे बना हुआ है। सड़कों की बेहतर सयोजकता के उद्देश्य से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिये एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम होनी चाहिए।

17.9 इसी क्रम में, उप मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में साक्षरता की निम्न दर है, लेकिन उसने नवीं योजना के अन्त तक इस कलंक को धोने का पक्का निश्चय कर लिया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए और अधिक माता में केन्द्रीय सहायता आवश्यक होगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारित संरचना और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के प्रसार को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। सरकार निवारक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रही है।

17.10 जहा तक सहभागितापूर्ण विकास का सम्बन्ध है, उप मुख्य मंत्री ने यह बताया कि इस दिशा में काफी प्रगति की गई है। क्योंकि विकेन्द्रीकृत आयोजना अत्यावश्यक है, इसलिए पंचायती राज्य संस्थानों और नगरपालिकाओं के प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ बनाया जाना आवश्यक है।

17.11 उप मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरणात्मक सरक्षण तथा अनावश्यक खर्च को कम करने की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक संसाधन उत्पन्न करने का प्रश्न है उप मुख्य मत्री ने यह बताया कि विद्युत, जल, परिवहन आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना आवश्यक है। राज्य में पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से पर्यावरणात्मक तथा परिवहन परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय वित्तीय मत्रालय को चाहिए कि वह बैंकों और वित्तीय सस्थानों को राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में और अधिक निवेश करने के लिए विवश करे। उपमुख्य मत्री का यह सुझाव था कि नौंवों पचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों के रहन-सहन में सुधार लाने के लिए क्या कुछ आवश्यक है—इस संबंध में चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक उप समिति स्थापित की जानी चाहिए। निर्धनता और बेरोजगारी राष्ट्र के समक्ष सबसे विशाल चुनौतियां है। इस सदर्भ में उन्होंने यह कहा कि उच्च पूंजीगत तथा निम्न श्रम उत्पादन वाले उद्योगों में निवेश की प्रवृत्ति की दिशाओं को बदला जाना आवश्यक है।

17.12 उप मुख्य मत्री ने यह आशा व्यक्त की कि योजना आयोग राजस्थान में राज्यान्तरिक पिछड़ेपन की ओर ध्यान देने के लिए विशेष आबटन मुहैया कराएगा। उन्होंने यह बताया कि योजना आयोग द्वारा आठवीं पचवर्षीय योजना के लिए अरावली के परिस्थितिक विकास के निमित्त स्थापित किए गए कार्यकारी समूह ने यह सिफारिश की थी कि इसे पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए और उप मुख्य मंत्री ने इस सिफारिश को तत्काल स्वीकार किए जाने का सुझाव दिया।

17.13 अपने वक्तव्य का समापन करते समय उप मुख्य मंत्री ने आयोजना प्रक्रिया में आवश्यकता आधारित तथा विकेन्द्रीकृत ढ़ंग से किए जाने वाले सुधार का समर्थन किया। उन्होंने यह कहा कि हालांकि सरकार का हस्तक्षेप अधिकाशत: "सुसाध्यकारी" रूप में होना चाहिए, तथापि पर्यटन के क्षेत्र में अपेक्षित आधारित संरचना नेटवर्क विकसित किया जाना होगा। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि स्थायी विकास के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से सरकारी-निजी क्षेत्र की सहभागिता पर नौंवीं योजना में अधिक बल दिया जाएगा। उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्धनता, बेरोजगारी और अभावग्रस्तता जैसी चिन्ताओं की ओर ध्यान देने के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध होने चाहिएं। अर्थ व्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के फलस्वरूप हम अनुभव, जनशक्ति और निधियों के अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों का और अधिक लाभ उठा सकेंगे ताकि देश में आधारित संरचना के विकास से निबटा जा सके। उन्होंने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय विकास परिषद् को, जो कि इस सम्बन्ध में देश का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों सहित दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार कर लेना चाहिए।

18.1 असम के मुख्य मंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार महन्त ने यह कहा कि दृष्टिकोण पत्र में आठवीं योजना की उच्च वृद्धि दर को स्वीकार किया था और उन्होंने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, उत्पादनशील रोजगार के उत्पन्न करने, क्षेत्रीय संतुलन तथा आत्मनिर्भरता और सहभागिता पूर्ण आयोजना प्रक्रिया के लक्ष्यों की समानता के साथ पूर्ति की दिशा में उन्नति प्राप्त करने के उद्देश्यों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की। उपलब्ध आधारित संरचना जैसे कि बिजली प्रजनन, संचार, रेलवे, सड़क आदि में काफी अन्तर है। असम में जहां निजी क्षेत्र की उपस्थिति नाममात्र को है, वहां इस अन्तर को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आवश्यक है। अपने हाल के एक दौरे में माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर पूर्वी प्रदेश के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी और यह आशा व्यक्त की थी कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित निधियां नवीं योजना के योजना आबंटन के अलावा उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य स्तरीय संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ तथा शांति एवं व्यवस्था कायम रखने की समस्या पर खर्च कर दिया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को संसाधनों सहित राज्यों को आन्तरिक किए जाने का उन्होंने स्वागत किया।

18.2 जहां तक आधारित संरचना का प्रश्न है, मुख्य मंत्री ने कहा कि विद्युत एक महत्वपूर्ण बुनियादी आधारित संरचना है जिसकी अपर्याप्तता का विकास प्रक्रिया पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उन्होंने यह अनुरोध किया कि केन्द्र 360 मैगावाट अम्गुरी विद्युत परियोजना के संबंध में जो एन.टी.पी.सी. को दे दी गयी थी, आवश्यक अनुमोदन प्रदान करेगा। पैट्रोलियम मंत्रालय को सभी मौजूदा विद्युत परियोजनाओं और प्रस्तावित अम्गुरी विद्युत परियोजना के लिए गैस की पूरी माता प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई करनी होगी। राज्य में बिजली की दरों की सतत् पुनरीक्षा की जा रही है ताकि उन दरों को अधिक यथार्थ स्तर तक लाया जा सके। उन्होंने कहा कि तीव्रण कार्य के साथ-साथ, शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 972 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी।

18.3 मुख्य मंत्री ने इसी क्रम में यह भी कहा कि जब तक जनसंख्या की उच्च वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक आर्थिक विकास का लाभ काफी सीमा तक धीमा रह जाएगा । इस सम्बन्ध में परिवार नियोजन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाती है और महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता तथा बच्चों के कल्याण में तेजी लाने के निमित्त एक व्यापक कार्यनीति अपनाई जानी आवश्यक है । भारतीय संदर्भ में आयोजना का लक्ष्य यह होना चाहिए : निर्धनता उन्मूलन, रोजगार प्रदान करना, समानता सहित उन्नति करना और जीवन स्तर में सुधार लाना । उपयोगी रोजगार के अभाव में सामाजिक अशांति तथा अस्थिर स्थिति उत्पन्न हो गई थी । आयोजना की प्रक्रिया यह प्रयास करती है कि अर्थ व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके अन्तिम लक्ष्य ये होना चाहिएं : सामाजिक विषमताएं दूर करना, भूखे को भोजन, बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना, भारत के लाखों करोड़ों व्यक्तियों का कल्याण और एक समृद्धिशाली राष्ट्र के लिए शक्ति का आधार प्रदान करना ।

18.4 अपने लिखित वक्तव्य में मुख्य मंत्री ने एक सुविचारित दस्तावेज, जिसने अपने आपको अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर केन्द्रित किया था और जिसने आम आदमी की बेहतरी की अपनी आधारभूत चिन्ता को प्रमुखता दी थी, उसके लिए प्रधानमंत्री और योजना आयोग को बधाई दी और नौवीं योजना के दृष्टिकोण, लक्ष्यों और अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों के लिए हार्दिक समर्थन व्यक्त किया ।

18.5 मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यद्यपि अन्तर-प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करना सदैव हमारी आयोजना प्रक्रिया का लक्ष्य रहा है, फिर भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का आर्थिक स्तर राष्ट्रीय स्तर से काफी निम्न बना हुआ है । कहना न होगा कि आर्थिक विकास के लाभ उत्तर पूर्वी क्षेत्र को उस ढंग से नहीं पहुंच सके जिस ढंग से देश के बाकी राज्यों को पहुंचे हैं । असम राज्य के पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं, किन्तु राज्य के हित में उनका लाभ नहीं उठाया जा सका । आधारभूत सुविधाओं के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का लाभकारी प्रयोग नहीं किया जा सका और फलतः यह राज्य वित्तीय संसाधनों का अभाव झेलता रहा । उन्होंने पूर्ण वित्तपोषण तंत्र सहित क्षेत्रक परिव्ययों में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया ।

18.6 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रधान मंत्री ने जो चिन्ता व्यक्त की थी, उसके सम्बन्ध में उन्होंने उनका आभार प्रकट किया और यह अनुरोध किया कि 1990–91 तक की योजना अवधि के लिए बकाया केन्द्रीय ऋण को बट्टे खाते डाल दिया जाए । राज्य की योजना का आकार संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि इसे योजना वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है । अत्यल्प औद्योगीकरण के फलस्वरूप, असम की कर संभावनाएं अत्यन्त सीमित हैं । चाय, पैट्रोलियम उत्पाद और लकड़ी–ये तीनों प्रमुख संसाधन हैं, किन्तु स्टाक अन्तरण के कारण इनसे कोई शुल्क उगाहा नहीं जा सका । प्रेषण शुल्क लागू करने का जो मामला अभी भी केन्द्र में विचाराधीन है, उसे तनिक भी देरी लगाए बिना अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए ।

18.7 मुख्य मंत्री ने इसी क्रम में आगे यह भी कहा कि पैट्रोलियम कच्चे तेल की रायल्टी राज्य के राजस्व का एक अन्य प्रमुख स्रोत है और उन्होंने केन्द्र से यह अनुरोध किया कि संशोधन की आवधिकता तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष किए जाने के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएं । उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रादेशिक असन्तुलन न बना रहे, यह वांछनीय होगा कि योजना के वित्तपोषण के मामले को विशेष श्रेणी राज्यों की संसाधन जुटाने की क्षमता के साथ न जोड़कर विकासात्मक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तय किया जाए । मुख्य मंत्री ने संसाधनों सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्यों को अन्तरित किए जाने के सुझाव का स्वागत किया । तथापि, इस प्रकार का अन्तरण योजना के अलावा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें केवल विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए योजना के पहले से ही पूर्व निर्धारित आकार का हिस्सा बना दिया जाए । इसके अलावा, इस प्रकार अन्तरित निधियों में वार्षिक आधार पर वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि मूल्य वृद्धि आदि जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए उसे जारी रखा जा सके ।

18.8 मुख्य मंत्री का यह मत था कि असम में बाढ़ की समस्या से निबटने के लिए केन्द्रीय सहायता आवश्यक है । उनका यह भी कहना था कि नौवीं योजना में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन तथा पुष्प कृषि जैसे कृषि तथा सम्बन्धित क्रियाकलापों में समुचित निवेश करके उनकी समृद्ध संभावनाओं का भी लाभ उठाया जाए । अर्थ व्यवस्था में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक आधार भी सही ढंग से निर्मित किया जाना चाहिए । मुख्य मंत्री ने यह कहा कि बंगलादेश होते हुए ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसके कारण इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य में काफी तेजी आ जाएगी । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में गुवाहाटी हवाई अड्डे का उन्नयन करने के निमित्त केन्द्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

18.9 अपने वक्तव्य का समापन करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इस प्रदेश में उद्योग, पर्यटन तथा आधारित संरचना के विकास के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज जरूरी होगा और उत्तर पूर्व की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखकर इस प्रदेश के त्वरित विकास के प्रयोजन से गुवाहाटी में मुख्यालय सहित एक जोन स्थापित किया जाना चाहिए । मुख्य मंत्री ने आगे यह भी कहा कि रोजगार के प्रावधान और आर्थिक आधारित संरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन–इस आशय की दोहरी कार्यनीति के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तेजी लाई जानी चाहिए । विकास प्रक्रिया में एक प्रभावी भूमिका निभाने की दृष्टि से पंचायती राज निकायों को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है और यह भी कि आयोजना प्रक्रिया बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध करा के समाज के दुर्बल और सुविधाविहीन वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए । उन्होंने नौवीं योजना के लक्ष्यों के प्रति उन्होंने अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और यह आशा व्यक्त की कि राज्य की विशिष्ट समस्याओं और सुझावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगी ।

19.1 गोवा के मुख्य मंत्री श्री प्रतापसिंह राबजी राणे ने यह कहा कि नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में समूची अर्थ व्यवस्था के लिए 7 प्रतिशत की वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। क्योंकि इस आशय की पूरी संभावना है कि घरेलू बचत के बल पर निवेश के अपेक्षित स्तर के 25 प्रतिशत से अधिक का वित्तपोषण नहीं किया जा सकेगा, इसलिए बचत और निवेश के बीच के अन्तर को पाटने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवश्यक होगा। तथापि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खपाना अनिवार्यतः सामाजिक और भौतिक आधारित संरचना की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की उन पाकेटों की पहचान करना जरूरी है जो कि सहज रूप में स्तरीय आधारित संरचना के निकट पहुंच सकी है।

19.2 उनका यह विचार था कि देश की पश्चिम और उत्तरी पट्टी के पास एक अपेक्षतया अधिक विकसित आधारित संरचना, विशेष रूप से सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध है, लेकिन इन क्षेत्रों में भौतिक आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ बनाया जाना जरूरी है। तथापि, सन्तुलित प्रादेशिक विकास जो कि विकासपरक योजनाओं का आधार स्तम्भ है, इस काम को बाधित करता है। इन लक्ष्यों की पूर्ति की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों का आबंटन पिछड़े राज्यों में केन्द्रित रहा है। लेकिन पिछड़े राज्य केवल यही नहीं कि पिछड़े बने रहे बल्कि उन्होंने पश्चगामी विकास की प्रवृत्ति का भी परिचय दिया है। जिस नीति तंत्र ने निधियों के अन्त्य प्रयोग की सर्वथा अनदेखी करते हुए एक असन्तुलित निधि आबंटन किया था, उक्त स्थिति उसी नीति तंत्र की असफलता की परिचायक है।

19.3 मुख्य मंत्री ने यह कहा कि संघ सरकार सीधे ही दुर्लभ निधियों का प्रभावी अन्त्य प्रयोग सुनिश्चित नहीं कर सकती और यह पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार प्रोत्साहनों की एक ऐसी पद्धति लागू करके जिससे सभी राज्य अपने-अपने संसाधनों को अधिकतम बनाने के लिए प्रोत्साहित हों, संसाधनों के अन्त्य प्रयोग की अप्रभाविता को न्यूनतम कर सकती है। यह उल्लेख्य है कि अन्त्य प्रयोग की प्रभाविता में वृद्धि लाकर ससाधन-आधार को व्यापक बनाना आर्थिक दूरदर्शिता की कार्रवाई है। इस प्रकार, अन्त्य प्रयोग की पद्धति को वित्तीय दूरदर्शिता के मानदण्डों के रूप में संहिताबद्ध किया जा सकता है। इन मानदण्डों को वित्त और योजना आयोग के तत्वाधान में हस्तांतरण की स्कीमों में भली-भांति शामिल किया जा सकता है। वित्तीय दूरदर्शिता के पुरस्कृत होने पर पिछड़े राज्यों के विकास का भार सुनिश्चित करने के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। वित्तीय दूरदर्शिता के आर्थिक लाभ चहुंमुखी उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक अभिप्रेरण जुटा सकते हैं।

19.4 मुख्य मंत्री का यह कहना था कि जबकि राज्यों के लिए फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता में वित्तीय दूरदर्शिता के मानदण्डों को पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना जरूरी है, जनसंख्या आधार का मूल्यांकन भी जरूरी है। गोवा जैसे छोटे आकार के राज्य अपने कतिपय ऐसे "विशाल" पूंजीगत खर्चे की, जिसका जनसंख्या के आकार से कोई सीधा संबंध नहीं था, पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। पर्यटन तथा सिंचाई के लिए आधारित संरचनात्मक समर्थन के लिए इस खर्चे की जरूरत है। पर्यटन मौसम में राज्य की जनसंख्या दुगुनी हो जाती है जिसके फलस्वरूप आधारित संरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

19.5 मुख्य मंत्री ने यह कहा कि मौजूदा गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में राष्ट्रीय आरक्षित निधि में प्रत्येक राज्य द्वारा दिए गए विदेशी मुद्रा के योगदान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि जनसंख्या मानदण्ड में संशोधन किए बिना विवेकाधीन कोटे में से गोवा के लिए एक विशेष उपाय के रूप में आबंटन किया जाए।

19.6 मुख्य मंत्री ने देखा कि सरकार ने अपने दृष्टिकोण पत्र में सहकारी संघवाद तथा राज्य योजना तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में राज्यों को छूट देने पर बल दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार निर्धनता उन्मूलन, रोजगार उत्पादन और बाल विकास जैसे कार्यक्रम तैयार कर सकती है और राज्य सरकारों को स्थानीय स्थितियों के अनुरूप कार्यक्रम लक्ष्यों के अनुसार स्वयं अपनी स्कीमें तैयार करने की छूट दे सकती है प्रत्येक राज्य में विकास का स्तर भिन्न-भिन्न है और ऐसी ही स्थिति मूल्य स्तर की भी है। इसलिए, राज्य विशिष्ट संदर्भों में निर्धनता संकेतक तैयार करना उचित होगा। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मामले में गोवा सहित अपेक्षतया छोटे राज्यों का हिस्सा नगण्य होता है। आमतौर पर यह कहा जाता रहा है कि छोटे राज्य लाभ की अपेक्षातया न्यून मात्रा ही खपा सकते हैं जिसमें किसी भी दाता देश/संस्थान की विशेष रूचि नहीं होगी। दाता एजेंसियों के साथ निकट सम्बन्ध होने के कारण वित्त मंत्री प्रत्येक राज्य के ई.ए.पी. प्रस्तावों को प्रभावी रूप से संप्रेषित कर सकते हैं और ऐसी एजेंसियों से संयुक्त उपक्रमों की संभावनाओं की बाबत पता कर सकते हैं।

19.7 अपने वक्तव्य का समापन करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को जिस दिशा में आगे बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाने हैं योजना आयोग को वह दिशा निर्धारित करनी चाहिए। भारत के संघीय स्वरूप की बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी पंचवर्षीय योजना की नींव के निर्माण की दृष्टि से योजना लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में संघ और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों दोनों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में आश्वस्त थे कि जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं उन पर गाडगिल फार्मूले द्वारा यथानिर्धारित निधि आबंटन की मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य के लिए हार्दिक सहयोग की पेशकश की।

20.1 हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल ने कहा कि संसाधन उत्पन्न करने की दृष्टि से परेक्षण शुल्क और बिक्री कर का युक्ति युक्तकरण परम आवश्यक है। राज्य द्वारा ऋण लिए जाने की क्रियाविधि को भी युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए और राज्यों को इस माध्यम से संसाधन

निर्मित करने की छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने विद्युत की अत्यधिक गंभीर स्थिति पर काबू पाने तथा कृषि क्षेत्र की मांग पूरा करने के लिए जलविद्युत उत्पादन के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने यह कहा कि राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को राज्यों के बीच विद्युत की एकसमान मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। सड़क क्षेत्र के विकास के निमित्त मार्ग कर लगाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

20.2 मुख्य मंत्री ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक परियोजना शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए। दिल्ली में भीड़भड़क्का कम करने की दृष्टि से दिल्ली के आसपास अनुषंगी शहर प्रोत्साहित किए जाने चाहिएं। हरियाणा के रेलमार्गों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने शर्करा नीति के युक्तियुक्तकरण के लिए भी आग्रह किया। उनका कहना था कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।

20.3 अपने लिखित वक्तव्य में मुख्य मंत्री ने कहा कि आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में हमारे प्रयासों में नौवीं योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना की शुरूआत हमारी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में और इसकी पूर्ति 21वीं शताब्दी में होगी। उनका ऐसा मानना था कि राष्ट्रीय विकास परिषद में हुआ विचार-विमर्श और विचार-विमर्श के बाद के निष्कर्ष राष्ट्र निर्माण प्रयासों में राष्ट्र को नई दिशा की ओर ले जायेंगे। और उनके बल पर विकास की प्रक्रिया में इतनी तेजी आ जाएगी कि भारत एशिया तथा विश्व में एक गौरवपूर्ण स्थान पा सकेगा। दृष्टिकोण पत्र में वर्णित दृष्टिकोण लक्ष्यों और कार्यनीतियों का आमतौर पर समर्थन करते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि आर्थिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा संसाधनों की अपर्याप्तता तथा उनका अविवेकपूर्ण एवं निष्प्रभावी प्रयोग है। इस सन्दर्भ में उन्होंने अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने की दृष्टि से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की प्रभावी पद्धति सहित बिक्री कर में समानता तथा कर की दरों की संख्या में कटौती किए जाने का आग्रह किया। मुख्य मंत्री ने बिक्री कर की समानता के सवाल के अलावा, उद्योग को बढ़ावा देने के नाम पर राज्यों के बीच रुग्ण प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या का भी उल्लेख किया।

20.4 उन्होंने कहा कि योजना आयोग और उद्योग मंत्रालय को राज्यों को प्रोत्साहनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने चाहिएं और राज्यों द्वारा उन सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के काम को फरवरी 1997 के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें नौवीं योजना के शुरू होने से पहले लागू किया जा सके। जो राज्य भी इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करें उसकी केन्द्रीय योजना सहायता में समुचित कटौती कर के उसे दण्डित किया जाना चाहिए।

20.5 मुख्य मंत्री ने वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच तालमेल स्थापित किए जाने और यहां तक कि संविधान के ढांचे के भीतर इन दोनों का विलय किए जाने का भी सुझाव दिया। केन्द्र द्वारा राज्यों को अंतरित संसाधनों की जवाबदेही और यह सुनिश्चित किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है कि इस कारण या तो जीवन स्तर में सुधार हो या सेवाओं का स्तर उन्नत हो या प्राप्तकर्ता राज्यों की संसाधन उत्पादन क्षमता का सुदृढीकरण हो। मुख्य मंत्री ने कहा कि गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को केन्द्रीय सहायता 50:50 के आधार पर दी जानी चाहिए।

20.6 मद्यनिषेध की चर्चा करते हुए मुख्य मंत्री ने योजना आयोग से अनुरोध किया कि हरियाणा जैसे जिन राज्यों ने पूरी ईमानदारी से मद्यनिषेध लागू किया था, उनकी राजस्व हानि की पूरी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। यह बात योजना दस्तावेज में ही शामिल कर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो संविधान में इस आशय के संशोधन कर दिए जाए ताकि राज्य खुले बाजार से अधिक मात्रा में और अधिक जल्दी निधियां प्राप्त कर सकें जिससे कि विकास की गति में तेजी लाई जा सके।

20.7 आधारिक संरचना की चर्चा करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि एन टी पी सी तथा एन एच पी सी को सरकार का पूर्ण समर्थन बराबर मिलता रहना चाहिए तथा सड़क नेटवर्क की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री ने कहा कि एस वाई एल नहर का काम केन्द्र द्वारा नामित किसी ऐजेन्सी द्वारा तत्काल पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि इस परियोजना में पहले ही किया गया भारी निवेश बेकार जा रहा है। बेहतर नागरिक सुविधाओं और स्वच्छता के बेहतर स्तर की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि समुचित सेवा प्रभार की वसूली की एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए जिससे कि कम से कम सेवाओं की परिचालन लागत तो वसूल हो सके। आवास और आधारित संरचनात्मक विकास के लिए ब्याज की दरें समुचित सीमाओं के भीतर रखने और निधियों की उपलब्धता की दिशा में ठोस नीतिगत पहल की जानी होगी। उन्होंने आग्रहपूर्वक यह कहा कि शर्करा के विपणन के साथ-साथ, शर्करा उद्योग को परिणामी अविनियमन के सहित लाइसेंसमुक्त करने का तात्कालिक निर्णय लिया जाना चाहिए।

20.8 अपने वक्तव्य का समापन करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अन्तर्राज्यीय प्रकृति स्कीमों, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों, चुनिंदा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और ऐसी बहुल-राज्य बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं तक, जिनमें केन्द्रीय समन्वय जरूरी है, सीमित रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण-पत्र में वर्णित बराबरी के साथ उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति सराहनीय है जो राज्य नीति के चार महत्वपूर्ण आयामों अर्थात् नागरिकों का जीवन स्तर, उत्पादनशील रोजगार की उत्पत्ति, प्रादेशिक संतुलन तथा आत्मनिर्भरता का पूर्ण समर्थन करता है। यह जरूरी है कि स्कीमें तैयार करते समय विशेष रूप से समाज के सुविधाविहीन वर्गों तक पहुंचने और सभी लोगों को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं मुहैया कराने के निमित्त किए गए निवेश का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में अतिरिक्त प्रयास किए जाए। उन्होंने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निहित सिफारिशों की पुष्टि की।

21.1 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी ने कहा कि सर्वप्रथम वे प्रधान मंत्री की हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करना चाहेंगे जिनके योग्य नेतृत्व में योजना आयोग ने नवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र-तैयार किया था ! दृष्टिकोण दस्तावेज़ बहुत स्पष्ट और व्यापक है और उसमें नीतियों से लेकर क्षेत्रक कार्यक्रम समाहित है तथा आयोजना और विकास के क्षेत्र में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से जुड़े कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं। योजना के कतिपय वृहद्-आयामों सम्बन्धों कतिपय अनुमान लगाने के अलावा, दृष्टिकोण दस्तावेज़ ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से इन बातों की ओर इंगित किया है : हमारी अर्थ व्यवस्था की शक्तियां और दुर्बलताएं, ऐसे क्षेत्र जिनमें निष्पादन वांछित स्तर से कम रहा है और वह दिशा जिसमें आने वाले कुछ वर्षों में सुधार अपेक्षित है। दस्तावेज़ ने योजना के निर्माण कार्यान्वयन से संबंधित क्रियाविधि सम्बन्धी तथा महत्वपूर्ण मामलों में अत्यन्त साहसी सिफारिशें प्रस्तुत की है। राज्यपाल का यह अभिमत था कि दस्तावेज़ योजना आयोग के अत्यधिक तथा सतत् प्रयासों का परिचायक है और उन्होंने थोड़े से समय में इतना उत्तम काम करने के लिए योजना आयोग को बधाई दी।

21.2 राज्यपाल ने इसी क्रम में, यह कहा कि वे दस्तावेज़ में यथावर्णित दृष्टिकोण से आमतौर पर सहमत हैं और उनके विचार से दस्तावेज़ में निर्दिष्ट प्राथमिकताएं और कार्यनीतियां मौजूदा स्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हैं उनका यह सुझाव था कि योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में कृषि और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान-इन दो प्रमुख लक्ष्यों के साथ-साथ विद्युत के त्वरित विकास का लक्ष्य भी शामिल किया जाना चाहिए। विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग के पैमाने के अनुसार व्यापक प्रादेशिक विषमताएं केवल यही नहीं कि मौजूदा हालात में बनी रहेंगी बल्कि यह भी कि समग्र विकास के स्तरों में प्रादेशिक विषमताओं पर इसके प्रतिक्षेप के कारण वे और भी व्यापक हो जाएंगी। राज्यपाल ने योजना आयोग से यह आग्रह किया कि इस योजना में कतिपय ऐसे नीतिगत उपाय सुनिश्चित किए जाएं जिसके चलते केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों में कम अधिक अथवा समान स्तर का विद्युत विकास लाए जाने की दिशा में कार्रवाई की जानी जरूरी हो जाए और उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्यों को अपने प्रयासों के बल पर और आगे विकास करने की छूट दे दी जाए।

21.3 राज्यपाल ने नवीं योजना में वर्णित 7 प्रतिशत के वृद्धि के लक्ष्य का समर्थन किया। हाल के वर्षों में कृषि को वृद्धि दर में कमी आ गई थी और नवीं योजना में कृषि में प्रतिवर्ष की 4.5% उच्चतर वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्र को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ओर किंचित विशेष ध्यान देना होगा। अपर्याप्त निवेश के कारण सरकारी निवेश में राज्य के हिस्से में आई गिरावट एक चिन्ता का कारण है और राज्यपाल का यह सोचना था कि योजना आयोग को कुछ ऐसे सुनिश्चित उपायों की बाबत सोचना चाहिए ताकि इस स्थिति को टाला जा सके और इन राज्यों के लिए न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित हो सके। इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई का योजना में सुस्पष्ट वर्णन होना चाहिए और उसे एक समुचित नीतिगत तंत्र के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

21.4 राज्यपाल का यह विचार था कि एक निश्चित समय अवधि के भीतर राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा सरकारी खर्च के वित्तपोषण के निमित्त जो ऋण उठाया जाता है, उसकी मात्रा को घटाकर नियंत्रण योग्य बनाए जाने की दिशा में प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। उनका यह कहना था कि केन्द्रीय घटक में ऋण घटक जिसका मौजूदा अनुपात 70 प्रतिशत है, उसे घटाकर लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक कर दिया जाना चाहिए ताकि राज्य को ब्याज सम्बन्धी देनदारी में भारी कमी लाई जा सके।

21.5 राज्यपाल ने इसी क्रम में यह कहा कि पर्यटन को लेकर एक राष्ट्रीय नीति होनी नितान्त आवश्यक है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आधारित संरचनात्मक व्यय किए जाने की आवश्यकता है और संसाधनों के प्रयोजन से निजी निवेश सर्वोत्तम साधन होना चाहिए। राज्यपाल ने शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाए जाने पर बल दिया। उनका कहना था इन क्षेत्रों का स्थिति में सुधार के लिए भी निजी क्षेत्र निवेश सहायता कर सकता है। उनके विचार से योजनागत तथा गैर-योजनागत भेद किए जाने से अनेक अस्वास्थ्यकर परिपाटियां उत्पन्न हो गई हैं और क्योंकि परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर जो कि विकास की दृष्टि से नई परिसम्पत्तियों के निर्माण जितना ही महत्वपूर्ण है, अधिकाधिक बल दिया जा रहा है, इसलिए विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक क्षेत्रों में सरकारी खर्च को लेकर एक अधिक सार्थक निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए। इस दिशा में नवीं योजना के पहले वर्ष में ही शुरूआत की जा सकती है।

21.6 राज्यपाल ने योजना आयोग की भूमिका और कार्यों को लेकर दृष्टिकोण-पत्र-में यथा परिकल्पित बदलावों का और राज्यों को अपेक्षतया अधिक स्वायत्तता के बदलते हुए परिदृश्य में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के भविष्य का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन के चल रहे कार्यक्रम की पंचायती राज संस्थानों के संदर्भ में पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

21.7 राज्य के आकार और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्यपाल ने आगे चलकर यह कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में समझा जाना चाहिए और सर्वोच्च स्तर पर भी उसे इसी रूप में समझा जाना चाहिए। अपेक्षतया कम निवेश और आर्थिक तथा सामाजिक-दोनों क्षेत्रों में आधारिक संरचना के अपर्याप्त विकास के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में बना रहा। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा संवितरित संचयी ऋण में राज्य का हिस्सा मात्र लगभग 8 प्रतिशत है। उन्होंने राज्य के पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने का आग्रह किया।

21.8 राज्यपाल ने इसी क्रम में यह भी कहा कि कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं और पन-बिजली उत्पादन को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य अधिकांश राज्यों से पिछड़ा हुआ है। रोजगार

सृजन, श्राय में वृद्धि और कार्य बल को कृषि से हटाकर अधिक लाभकारी मजदूरी वाले रोजगार में लगाने का सुकर बनाए जाने की दृष्टि से राज्य में उद्योग का और अधिक त्वरित विकास जरूरी है ।

21.9 अपने वक्तव्य का समापन करते हुए राज्यपाल ने यह अभिमत व्यक्त किया कि आधारिक संरचनात्मक विकास में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है और इस सम्बन्ध में राज्य को केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है । उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, उनको और समुचित ध्यान दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि देश की उन्नति तभी होगी जबकि उत्तर प्रदेश उन्नति के मार्ग पर बढ़ेगा । उन्होंने पूरे मन से नवीं योजना के दृष्टिकोण का समर्थन किया और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इसका अनुमोदन किए जाने की सिफारिश की ।

22.1 केरल के मुख्य मंत्री श्री ई.के. नयनार ने इस बात को लेकर सरकार को बधाई दी कि वह नवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत को स्थगित करने के प्रलोभन में नहीं पड़ी और इसलिए भी कि उसने सत्ता में आने के बाद थोड़े ही समय के भीतर राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक का आयोजन किया । उन्होंने दृष्टिकोण पत्र में अपनाए गए इस कथन के प्रति सहमति व्यक्त की कि "नवीं योजना का मुख्य उद्देश्य जनोन्मुखी आयोजना के नए युग में पदार्पण करना है जिसमें केवल केन्द्रीय और राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि जनसाधारण विशेष रूप से निर्धन तबके भी पूरी तरह भाग ले सकते हैं ।" उन्होंने इस सम्बन्ध में भी अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि "समता सुनिश्चित करने और साथ ही अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की दर में तेजी लाने की दृष्टि से सहभागितापूर्ण आयोजना प्रक्रिया एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है ।" उन्होंने इसी क्रम में यह कहा कि केरल ने इस दिशा में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है और यह निर्णय लिया है कि नवीं योजना के परिव्यय का 40 प्रतिशत स्थानीय निकायों को अन्तरित कर दिया जाएगा ।

22.2 उन्होंने इस विश्वास को लेकर योजना आयोग के साथ पूर्ण सहमति व्यक्त की कि संसदीय प्रणाली में आयोजना का मुख्य काम राष्ट्रीय लक्ष्यों के सम्बन्ध में एक साझा दृष्टि और एक साझी प्रतिबद्धता विकसित करना है । निश्चय ही, बुनियादी तौर पर सर्वोपरि लक्ष्य जैसा कि दृष्टिकोण पत्र में बताया गया है, "समानता के साथ उन्नति" ही रहेगा । मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की कि पिछले पांच वर्षों में केवल यही नहीं कि कृषि और आधारभूत सुविधाओं में निवेश में अत्यधिक गिरावट आई है। बल्कि यह भी कि जो उन्नति हुई थी, उससे निर्धन और सुविधाविहीन लोग लाभान्वित नहीं हो सके थे । साथ ही, रोजगार वृद्धि भी लक्ष्य से निम्न रही और उच्चतर मुद्रास्फीति के साथ क्षेत्रीय आय विषमताएं बढ़ गई । गेंहू, चावल तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि के कारण निर्धन वर्ग पर अत्यन्त प्रतिकूल असर पड़ा है । इस मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नवीं योजना में अपनाए जाने वाली नीतियों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं ।

22.3 समानता के साथ आर्थिक उन्नति के लक्ष्य पर बल देते हुए मुख्य मंत्री ने आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किए जाने का आग्रह किया और इस बात पर बल दिया कि आत्मनिर्भरता की एक प्रमुख पूर्वापेक्षा यह है कि घरेलू बचतों को जबरदस्त भूमिका प्रदान की जाए । उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के राजस्व घाटों को पूरी तरह समाप्त किए जाने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में उनका यह कहना था कि उच्च राजस्व घाटे का मुख्य कारण ब्याज सम्बन्धी देनदारियां थीं जिनमें ब्याज दर के बारे में पिछले 5 वर्षों की नीतियों के कारण वृद्धि हुई थी ।

22.4 मुख्य मंत्री इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने की केंद्र की गुंजाइश प्रायः समाप्त हो चुकी है लेकिन राज्य काफी मात्रा में अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं । उन्होंने यह सुझाव दिया कि कथित घोषित वस्तुओं की सूची समाप्त कर दी जानी चाहिए और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए जाने चाहिएं और राज्यों को परेषण अंतरण, चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर शुल्क लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और राज्यों के हित में सेवाओं सम्बन्धी शुल्क वापस ले लेना चाहिए जिससे कि और अधिक संसाधन जुटाने के काम में राज्यों की मदद की जा सके । उन्होंने यह आग्रह किया कि उत्पादनशील प्रयोजनों के लिए घरेलू ऋणों की प्राप्ति सम्बन्धी बाधाएं दूर की जानी चाहिएं और उन्होंने प्रोत्साहनों के पुनर्स्थापन तथा उनमें वृद्धि के जरिए बड़े पैमाने पर छोटी बचतें जुटाए जाने का पक्षपोषण किया ।

22.5 मुख्य मंत्री ने घरेलू बचत की पूर्ति के लिए विदेशी पूंजी का स्वागत किया, लेकिन उनका यह कहना था कि पोर्टफोलियो निवेश में पूंजी का अनियमित प्रवाह खतरों से खाली नहीं है । उन्होंने पूंजी लेखे की शीघ्र परिवर्तनीयता के प्रति विरोध व्यक्त किया । उन्होंने आगे यह भी कहा कि आधारिक संरचनात्मक निवेशों में विशेष रूप से विद्युत सम्बन्धी निवेश में सरकारी क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और यह भी कि इन निवेशों में निजी क्षेत्र का सहयोजन ऐसी शर्तों पर होना चाहिए जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों पर खरी उतरें और जो देश के हित के अनुकूल हों ।

22.6 मुख्य मंत्री ने यह कहा कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् निम्न सुझावों पर विचार कर सकती है :

(i) सरकारी क्षेत्र के समग्र योजना परिव्यय में राज्य योजना परिव्यय का हिस्सा कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए ;

(ii) राज्य को निधियों की तदनुरूपी सुलभता का आश्वासन दिया जाना चाहिए और सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें निधियों सहित राज्यों को अन्तरित कर दी जानी चाहिएं । जिन स्कीमों के बारे में यह निर्णय लिया गया था कि उन्हें केन्द्र द्वारा अपने पास रखा जाएगा, स्थानीय निकायों को कार्यान्वयन के क्षेत्र में पर्याप्त नमनशीलता दी जानी चाहिए ;

(iii) केन्द्र को समग्र सरकारी ऋण में राज्यों के साथ समान रूप से भागीदार होना चाहिए ;

(iv) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के निमित्त अतिरिक्त निधियों का अन्तर्राज्यीय आबंटन इन सेवाओं में मात्र अभिज्ञात अन्तरालों" के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन सेवाओं में अन्य अन्तरालों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ;

(v) केन्द्रीय निवेश राज्यों के बीच समान रूप से वितरित किए जाने चाहिएं; तथा

(vi) वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के अन्तर्राज्यीय आबंटन और बैंक ऋण की मात्रा में वृद्धि को लेकर भी अधिक समानता अपनाए जाने की आवश्यकता है ।

22.7 अपने वक्तव्य का समापन करते हुए, मुख्य मंत्री ने यह कहा कि दृष्टिकोण-पत्र में वस्तुतः पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों से हटकर किसी बात का पक्षपोषण नहीं किया गया है । पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप जो कुछ हुआ था, वह इस प्रकार है:— मूल्यों में विशेष रूप से खाद्यान्नों के मूल्यों में लगातार वृद्धि, खाद्यान्नों का उपलब्ध न होना, निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी, वास्तविक मजदूरी में गिरावट, बुनियादी आधारिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, पेयजल और निर्धन वर्गों के जीने की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए वास्तविक आबंटन में गिरावट ।

23.1 मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा से यह पता चला था कि योजना का वृहद निष्पादन सन्तोषजनक रहा था किन्तु सूक्ष्म स्तर पर अन्तःराज्यीय विषमताओं में वृद्धि हो गई थी। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच विषमताओं के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए गांव को आयोजना की मूल इकाई मान कर योजना निर्माण किया जाना चाहिए । उनका यह कहना था कि गाडगिल फार्मूले में जनसंख्या के साथ-साथ निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों की जनसंख्या, बेरोजगारी और महिलाओं, की निरक्षरता के स्तर पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका आग्रह था कि जनसंख्या का मानदण्ड सर्वथा निर्दोष नहीं है और उसकी बजाय राज्यों के मानव संसाधन विकास सूचकों तथा भौगोलिक क्षेत्र आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए । दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधि अन्तरण के मामले में राज्य के हिस्से में, उड़ीसा और राजस्थान की भांति गिरावट आई है ।

23.2 मुख्य मंत्री ने यह कहा कि उनका राज्य नवीं योजना में 7 प्रतिशत वृद्धि दर के परिलक्षित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेगा। यह एक विरोधाभास ही है कि बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा जैसे राज्य खनिजों, कोयले और लौहे जैसी प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर होते हुए भी सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं । इस स्थिति को देखते हुए रायल्टी की दरों में हर तीसरे वर्ष आवधिक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है । उन्होंने खनन वाले क्षेत्रों के विस्थापित लोगों के लिए एक पुनर्स्थापन नीति की आवश्यकता पर भी बल दिया । यह नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे विस्थापितों को रोजगार प्राप्त करने तथा नीति के अन्य लाभ उठाने में मदद मिल सके । इसी क्रम में, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का 34 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है और निम्न वन क्षेत्रों के वनरोपण के लिए निजी पूंजी निवेश की आवश्यकता है । मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि एकीकृत ग्राम विकास की दृष्टि से बुनियादी न्यूनतम सेवाएं एक उत्तम आधार बन सकती हैं । ग्राम पंचायत को सरकार से सीधे ही निधि प्राप्त होनी चाहिए और निधि आबंटन के प्रयोजन से प्रवासी श्रमिकों को भी जोड़ा जाना चाहिए । ग्रामीण उद्योग अधिकतर रोजगार मुहैया करा सकते हैं और ऐसे उद्योगों का पता लगाया जाना चाहिए तथा ऐसे क्रियाकलापों के लिए समग्र पैकेज तैयार किया जाना चाहिए । उन्होंने यह सुझाव दिया कि खादी और ग्रामोद्योग, ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा उद्योगों के लिए एक केन्द्रीय विपणन संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि ऐसे उद्योगों को उन्नति करने और रोजगार सृजित करने के काम में मदद मिल सके । शहरी कचरे (द्रव्य और ठोस) के प्रयोग के लिए आयोजना की जरूरत है ताकि ऐसे कचरे को पुनः प्रक्रियागत किया जाए और इस प्रकार से ऊर्जा के एक समृद्ध स्रोत में बदल दिया जाए। इससे रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी।

23.3 मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हालांकि प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को योजना का एक लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन निधि सम्बन्धी प्रतिबद्धताएं की जानी बाकी हैं। राज्य द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की आवयकता है जिसमें कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद तथा होमियोपैथी की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। जनजातीय लोगों को सामर्थ्यवान बनाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । उन्होंने कहा कि खर्चे के योजनागत तथा गैर-योजनागत विभाजन की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से इस अन्तर को समझ सके । विद्युत, सिंचाई, पेयजल आदि के उपभोक्ता प्रभार राजनीति के सीमा-क्षेत्र से बाहर रखे जाने चाहिएं। वित्तीय वर्ष और कृषि वर्ष—दोनों का समापन एक समय होना चाहिए।

23.4 मुख्य मंत्री का यह अभिमत था कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार जरूरी बन गया है और उन्होंने भ्रष्टाचार की मात्रा पर अंकुश लगाने का आग्रह किया।

23.5 अपने लिखित वक्तव्य में मुख्य मंत्री ने यह कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक इसलिए एक महत्वपूर्ण मौका है क्योंकि देश एक ऐसी नई योजना की दहलीज पर खड़ा है जिसका समापन इतिहास की आगामी सहस्राब्दी में होगा । उनका यह कहना था कि योजना निर्माण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि आयोजना एक समन्वयी भूमिका का निर्वाह करे । ग्रामीण

और शहरी स्थानीय निकायों को पुन: सक्रिय बनाए जाने और जिला आयोजना समितियों के सृजन किए जाने के फलस्वरूप अनिवार्य सेवाओं तथा लोगों के सहयोजन की नई संभावनाएं उभरी हैं । आने वाले समय में इन संगठनों को विकास का अग्रणी बन जाना चाहिए । उनका यह मानना था कि लोगों की सामाजिक और मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी अनिवार्य, जरूरतों को पूरा करना, आय और जीवन स्तर में सुधार लाना विकासात्मक प्रयासों का मूलाधार है । मुख्य मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की कि अब मानव विकास कार्यसूची को तेजी के साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी हो जाना चाहिए ताकि समूचे देश के नागरिकों को एक समुचित जीवन स्तर का आश्वासन दिया जा सके । जिन क्षेत्रों में साक्षरता, बाल उत्तरजीविता, आयु संभाविता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर निम्न है, निवेशों को उन क्षेत्रों की ओर लक्षित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय तथा राज्य-दोनों स्तरों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में उन्होंने सूचित किया कि इन सामाजिक सेवाओं की ओर ध्यान तथा निवेश केन्द्रित करने के प्रयोजन से मध्य प्रदेश राज्य ने स्वतंत्र रूप से एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है । यह दृष्टिकोण नवीं योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए ।

23.6 मुख्य मंत्री ने कहा कि आज लाभकारी रोजगार का सृजन योजना निर्माताओं के समक्ष एक विशाल चुनौती है और इसलिए मूल मानव विकास कार्यसूची के अतिरिक्त नवीं योजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार होने चाहिए । कृषि उत्पादन और उत्पादनशीलता में वृद्धि, जनसाधारण को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना, समुचित रोजगार सृजन, क्षेत्रीय और सामाजिक असन्तुलनों को समाप्त करना तथा उन्नति सम्बन्धी आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाना । अर्थ व्यवस्था में 7 प्रतिशत की त्वरित वृद्धि और सरकारी क्षेत्र के उच्चतर परिव्यय की मांग का समर्थन करने के साथ-साथ केन्द्र और राज्य-दोनों स्तरों पर मांगों के साथ उपलब्ध संसाधनों का मेल बिठाए जाने के निमित्त एक अधिक प्रभावी प्रणाली निर्मित किए जाने की आवश्यकता है । मुख्य मंत्री के कथनानुसार, क्षेत्रीय असन्तुलनों पर काबू पाने की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता प्रदान की जाए और ऐसी सहायता दिए जाने के आधार केवल ये होने चाहिए : राज्यों का आकार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या निर्धनता की मात्रा, मानव विकास संकेतक तथा आधारिक संरचना में कमियां । जो राज्य कृषिक समाज पर निर्भर बने हुए थे, उनके मामले में कृषिक और ग्रामीण विकास को समुचित प्राथमिकता मिलनी चाहिए । क्योंकि पंचायतों को अन्तरित किए जा रहे अधिकांश कार्यक्रम या तो लाभग्राही-उन्मुखी हैं अथवा वे सामुदायिक सहयोजन के सशक्त तत्वों से युक्त है, इसलिए सूचना के प्रसार और समुदाय के भीतर क्षमता निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू किए जाने जरूरी है । क्योंकि भू-स्वामियों का एक बहुत बड़ा अनुपात लघु अथवा सीमान्त भू-स्वामियों का है, इसलिए जिन कृषिक उत्पादन पद्धतियों का वे पालन कर रहे है, उन्हें अन्य ऐसे सम्बद्ध क्रियाकलापों की ओर मोड़े जाने की जरूरत है जिनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता हो जैसे कि पशुपालन, बागवानी, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन आदि । कृषक समुदाय के इस वर्ग को समुचित आर्थिक सहायता, ऋण तथा मूल्य समर्थन तंत्रों के माध्यम से पोषित किए जाने की आवश्यक्ता है

23.7 मुख्य मंत्री का यह कहना था कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सुधार ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का एक महत्वपूर्ण घटक होता है । उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, संचार, खनिज संदोहण, पनढाल प्रबन्ध आदि जैसी लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से राज्यों को वन भूमि का इस्तेमाल करने के लिए अपेक्षित शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र पर चर्चा करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि घरेलू आर्थिक क्रियाकलाप पर से नियंत्रण हटा लिए जाने के फलस्वरूप विनिर्माण क्षेत्रक के दृष्टिकोण में एक गुणात्मक बदलाव आ गया है और आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र ने उत्पादन, रोजगार और यहां तक कि निर्यात में भी काफी उन्नति की है । ग्रामीण उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इन कार्यक्रमों को उपयोगी ढंग से ग्रामीण विकास/निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में शामिल किया जा सके ।

23.8 मुख्य मंत्री ने कहा कि विद्युत, संचार सेवाओं, सड़कों, पूलों, सिंचाई आदि जैसे आधारभूत सुविधाओं के सृजन में भाग लेने के लिए निजी पहल को अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । उनका मानना था कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत की मांग और आपूर्ति में जबरदस्त अन्तराल बना हुआ है । विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण तथा विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता के जरिए इस अन्तराल को पूरा करने का प्रस्ताव है । जबकि पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करके राज्य में पण-तापीय बिजली मिश्रण में वृद्धि के प्रयास किए जा सकते हैं, विद्युत के अन्तरण और वितरण में निजी क्षेत्र का सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है । उनका यह अभिमत था कि शहरी निर्धनता से सम्बन्धित कार्यक्रमों में निर्धनों के लिए रोजगार सृजन तथा बुनियादी सेवाओं के प्रावधान-इन दोनों बातों पर बल दिया जाना चाहिए और उन्होंने शहरी गन्दी बस्तियों के पुनर्स्थापन की दिशा में केन्द्र की पहलों का स्वागत किया । शहरी क्षेत्रों में आवासीय विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण में भूमि की आपूर्ति तथा किराया आवास क्रियाकलाप से जुड़ी कानूनी बाधाओं के हटाए जाने-पर बल दिया जाना चाहिए जिससे मौजूदा कमी और आवास की निरन्तर बढ़ती हुई मांग की पूर्ति की जा सके।

23.9 इसी क्रम में मुख्य मंत्री ने यह कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । समुचित भोजन, सुरक्षा और विकासात्मक कार्यक्रम जो कि समुचित मात्रा में रोजगार सृजित करते हैं, गरीबों का ध्यान रखने वाली कार्यनीति के प्रमुख घटकों में से हैं । अत: विश्वसनीय उपलब्धता का आश्वासन दिया जाना चाहिए और गरीब लोगों को खाद्यान्न आसानी से तथा वहन कर सकने योग्य मूल्यों पर सुलभ हो सके-इस प्रयोजन से उन्हें खाद्यान्न पर और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के सुविधा विहीन लोगों को शेष समाज के बराबर लाया जाना चाहिए।

23.10 अपने वक्तव्य का समापन करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यद्यपि उनके राज्य ने आठवीं योजना के दौरान संसाधन जुटाने की दिशा में पूरे प्रयास किए थे और योजना लक्ष्यों के अनुरूप निवेश किए थे, फिर भी नवें वित्त आयोग की सिफारिश पर योजना राजस्व घाटा अनुदान बन्द किए जाने से राज्य वित्त पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने कहा कि राज्यों को यह छूट होनी चाहिए कि वे अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना के आकार का निर्धारण करें। साथ ही, केन्द्रीय सरकार को भी निधि आबंटनों के जरिए विकल्प निर्धारित करने, निवेश प्रभावित करने के प्रलोभन से ऊपर उठना चाहिए। स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापों के समर्थन की दृष्टि से स्थानीय संस्थानों और सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाए जाने की दिशा में कार्रवाई शुरू की जानी आवश्यक है। लोगों की पहल और सहभागिता विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। सहभागिता-पूर्ण तथा सक्रिय लोकतंत्र की दृष्टि से राज्य ने लोगों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देने का संकल्प किया है।

24.1. मेघालय के मुख्य मंत्री श्री सालसेंग सी मार्क ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये जो पैकेज घोषित किया गया है, उसे समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जाए। यह पैकेज राज्य योजना के अलावा, होना चाहिए तथा राज्य की नौवीं योजना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय परिव्यय विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। बेरोजगारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। उन्होंने योजना आयोग से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय योजनाओं को अन्तिम रूप देने के समय तथा उन्हें कार्यान्वित करने के समय एन.ई.सी. के लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिये, जिससे लोगों की आशाएं पूरी हो सकें।

24.2. अपने लिखित भाषण में उन्होंने इस बैठक को बुलाने के लिए प्रधान मंत्री की प्रशंसा की। आजदी, के 50वें वर्ष में नौवीं योजना की शुरूआत से हमें अवसर मिला है कि हम अपनी योजना प्रक्रिया की सफलताओं और असफलताओं पर विचार करें, जिससे देश के वांछित सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त दिशा निर्देशन प्रदान किए जा सकें। नौवीं योजना में मुख्य कार्य जनोन्मुखी योजना प्रक्रिया की शुरूआत है, जिसमें न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपितु लोग और विशेषकर गरीब लोग सभी को समानता दिलाने के वांछित लक्ष्य को पूरा करने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें और साथ ही अर्थ व्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हो।

24.3. मुख्य मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कारणों, भौगोलिक विलगाव, कठिन भू-भाग तथा अन्य कारणों से मेघालय अभी भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। संसाधन आधार बहुत निम्न है। सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में भी राज्य पिछड़ा हुआ है। नौवीं योजना में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि आवश्यक है, जिससे राज्य को औसत राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके। यही स्थिति उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों की है।

24.4. मुख्य मंत्री ने यह भी कहा से कि मेघालय राज्य में प्राइवेट निवेश है ही नहीं। वित्त संस्थाओं तथा बैंकों के निवेश मामूली हैं तथा ऋण जमा राशि का अनुपात बहुत कम है। सकारात्मक सरकारी निवेश जरूरी है, जिससे मेघालय तथा उत्तर-पूर्व के अन्य राज्य सार्थक प्रगति कर सकें। मुख्य मंत्री ने केन्द्र से अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री ने उत्तर-पूर्व के लिये जिन केन्द्र परियोजनाओं की घोषणा अक्तूबर, 1996 में की थी, उन सभी परियोजनाओं से संबंधित औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए और उन्हें स्वीकार्य किया जाये, जिससे इन समस्त उत्तर-पूर्व क्षेत्र की भलाई के लिए इन परियोजनाओं को इमानदारी से कार्यान्वित किया जा सके। मुख्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर-पूर्व राज्यों तथा विशिष्ट श्रेणी के अन्य स्थानों के लिए योजना नीति तथा निवेश आवश्यकता और समावेशन के आधार पर होना चाहिए। इस समय विशिष्ट वर्ग के राज्यों के लिए जो 90 प्रतिशत अनुदान की केन्द्रीय योजना सहायता तथा 10 प्रतिशत ऋण स्वीकृत करने की जो प्रणाली है, उसे 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में कर दिया जाए।

24.5. मुख्य मंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्व में बिजली, संचार, रेलवे, सिविल विमानन, सड़कों, शिक्षा आदि की कमियों का पता लगाया जाना चाहिए तथा केन्द्र के सहयोग से उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए जिससे यह क्षेत्र देश की आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यक्रम हैं, उनमें रोजगार के अवसरों, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था, भूमि तथा जल प्रबन्धन प्रयासों, बाढ़ नियंत्रण, संचार, ऋण उपलब्धि, औद्योगिकरण, पर्यटन, निर्यातों, परिवहन अवस्थापना, पावर आदि पर जोर दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य– दोनों सैक्टरों में सीमा क्षेत्र विकास तथा चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

24.6. मुख्य मंत्री ने केन्द्र से अनुरोध किया कि खनिज संसाधनों में केन्द्रीय निवेश की त्वरित आवश्यकता पर विचार किया जाए और यह कहा कि इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र विकास परियोजना दृष्टिकोण उपयुक्त रहेगा उन्होंने सुझाव दिया कि वनों की समाप्ति को रोकने के लिये सभी राज्यों को कवर करते हुए केन्द्रीय सरकार को एक समान कानून बनाना चाहिए। केन्द्रीय बजट की 10 प्रतिशत राशि को उत्तर-पूर्व में कार्यक्रमों के लिए निश्चित किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि मेघालय बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से संबंधित स्कीमों तथा कार्यक्रमों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करेगा।

**24.7 अ.ने भाषण के अन्त में मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया कि समस्त उत्तर-पूर्व में पर्यटन के विकास में उत्तर-पूर्वी परिषद् के योगदान देने वाले एक बड़ी शक्ति बना या जाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जब एन ई सी के पुनर्गठन पर विचार किया जाए, जो क्षेत्र से केन्द्रीय एजेन्ट के रूप में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने विकास परिषद् तथा योजना आयोग से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन को अन्तिम रूप देते समय पहाड़ी लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि लोगों की उम्मीदें तथा आकांक्षाए पूरी हो सकें। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा देश की प्रगति एवं आर्थिक विकास के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।**

25.1 मणिपुर के मुख्य मंत्री श्री रिसग किसिंग ने कहा कि भारत की आजादी के स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में राष्ट्रीय विकास परिषद् की इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नौवीं योजना का दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार करने में योजना आयोग ने बड़ा परिश्रम किया है और इस बात की जांच करने की जरूरत है कि देश के भाग्य के निर्माण में यह कितना कारगर सिद्ध होगा तथा हमें अगली सदी में कितने प्रभावी ढंग से प्रवेश कराएगा। इस बात की जांच करने की भी आवश्यकता है कि क्या सरकार द्वारा की गई सामाजिक-आर्थिक पहलें समानता लाने में सफल हुई हैं।

25.2 मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि नौवीं योजना के लिए जो विकास नीतियां तथा नीतिगत पहलें की गई हैं, उनसे दिशा-निर्देश मिलने चाहिएं और समानता के साथ विकास" की पक्की वचनबद्धता होनी चाहिए। अपने बहु-आयामी रूप में इसमें आत्म-निर्भरता, बेहतर जीवन-स्तर, उत्पादनकारी रोजगार तथा संतुलित विकास निहित है। उनका विचार था कि यदि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, जो जरिए अपनाए गए हैं, उनमें लोगों की वास्तविक जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया है, तो यह दस्तावेज सहज इरादों का एक बयान बनकर रह जाएगा।

25.3 मुख्य मंत्री ने सभी लोगों के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए समयबद्ध व्यवस्था करने से सम्बंधित पहल के लिए प्रधान मंत्री को बधाई दी। प्रधान मंत्री की पहल पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया एक उच्च स्तरीय आयोग बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में जो कमी रही है, उसका अनुमान लगा रहा है। यह महसूस करते हुए कि गैर-परम्परागत मदद के बिना बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, मुख्य मंत्री ने कहा कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता के सम्बंध में नौवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र और अधिक स्पष्ट होना चाहिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उत्तर-पूर्व के पिछड़े हुए प्रदेशों के पक्ष में अधिक सकारात्मक रुख प्रदर्शित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश तथा विकास अपर्याप्त था, जिससे सामाजिक-आर्थिक निराशा तथा बेरोजगारी रही है और इस वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है तथा विकास एवं निवेश को आघात पहुंचा है। इस संदर्भ में उन्होंने आशा व्यक्त की, कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री की आर्थिक पहलें वास्तविकता से परिणत होंगी। जीवन स्तर के विभिन्न तथ्यों के प्रति दृष्टीकोण दस्तावेज में जिस प्राथमिकता का वायदा किया गया है, मुख्य मंत्री ने आशा व्यक्त की कि उत्तर-पूर्वी क्षत्र की त्वरित जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा।

25.4. अवस्थापना क्षेत्र के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का विचार था कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध की जाएगी। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की, कि दृष्टिकोण पत्र वांछित क्षेत्रों तथा प्रदेशों में प्रोत्साहन/निरुत्साहनों के उपयुक्त पैकेज के माध्यम से प्राइवेट निवेश पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। विकल्प के रूप में प्राइवेट निवेश से जो कमी रहे, उसे अन्य साधनों से पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ऋण आश्वासन तथा विदेशी निवेश को सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएं।

25.5. मुख्य मंत्री ने कहा कि वे संसाधनों की कमी तथा अधिक संसाधन जुटाने के रूप में वित्तीय अनुशासन की जरूरत को समझते हैं। फिर भी, इस बात की भी जरूरत है कि सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता चैन-अमन तथा क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासकीय मजबूरियों पर अधिक ध्यान देने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले निवेश के कम स्तर तथा कृषि अर्थ-व्यवस्था अपर्याप्त अवस्थापना तथा ठहरे हुए आर्थिक/व्यावसायिक कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के आन्तरिक संसाधनों में आंतिक वृद्धि होने की संभावना सीमित है। इसी कारण से न तो कर राजस्व के मुख्य स्रोत में लचीलापन है और न ही बोयन्सी है, दूसरी ओर, वेतन तथा भत्तों का बढ़ता रहने वाला अतिरिक्त बोझ है तथा योजना/स्कीमों को गैर-योजना क्षेत्र में हस्तांतरण से बढ़ने वाले खर्च की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि योजना निधि प्रदान करने का जो मौजूदा तरीका है, उससे उत्तर-पूर्वी राज्यों पर कर्ज का भारी बोझ आ पड़ा है, जिसे युक्ति-युक्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने अनुरोध किया कि अब समय आ गया है जब संसाधन आबंटन की समस्या का खुले दिमाग से तथा पूर्वाग्रह के बिना हल किया जाए जिससे कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच सार्थक तथा आपस में मेल रखने वाला वित्तपोषण ढांचा तैयार किया जा सके।

25.6. अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व की विकास की जरूरतें तत्कालिक हैं, और यदि इन्हें नजर-अन्दराज किया गया, तो राष्ट्र के लिए राजनैतिक दृष्टि से प्रतिकूल परिणाम होंगे। प्रधान मंत्री के वायदे तथा आश्वासन पूरे होने चाहिएं तथा पर्याप्त परिसम्पत्तियां सृजित की जानी चाहिएं। एक आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य है और यह समयबद्ध होना चाहिए।

26.1. त्रिपुरा के बिजली मंत्री श्री केशम मजूमदार ने कहा कि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री बैठक में भाग नहीं ले सके और उनका भाषण परिचालित कर दिया गया है तथा वे मुख्य मंत्री के भाषण के प्रमुख मुद्दों का जिक्र करेंगे।

26.2. उन्होंने कहा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का विशेष महत्व है, चूंकि इस दौरान हम अगली सदी में प्रवेश करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि इस बैठक में जो विचार-विमर्श होगा, उससे राष्ट्रीय विकास परिषद् में आम राय बनेगी, जिसे अपनाने से हमारा देश मजबूत बनेगा। उन्होंने योजना प्रक्रिया को जनोन्मुखी बनाने तथा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अपनाने और उसके बाद बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की घोषणा से साझा दृष्टिकोण तथा प्रतिबद्धता, जो हमारे संघीय ढांचे की बुनियाद है, से लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। अब समय आ गया है जबकि हमें पूरे देश के स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्धियों का लेखा-जोखा लेना चाहिए तथा आत्म-अवलोकन करना चाहिए तथा सामान्य नीति तैयार करनी चाहिए।

26.3. उन्होंने कहा कि भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कारणों से त्रिपुरा सहित समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। त्रिपुरा में भौतिक तथा सामाजिक अवस्थापना राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम रही है और स्थायी विकास के लिए जितना अपेक्षित है, उससे बहुत कम रही है। उन्होंने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए उपायों के पैकेज की घोषणा करने पर प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी

कहा कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं तथा अवस्थापना में जो मजूदा कमी है, उसके अध्ययन के लिए जो उच्च स्तरीय आयोग गठित किया गया है, वह उपयुक्त सिफारिश करेगा। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्यों से यह अनुरोध भी किया कि वे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की समस्याओं पर सही सन्दर्भ में विचार करें और उपयुक्त निर्णय लें :

26.4. उनका यह भी कहना था कि गरीबी और पिछड़ेपन के कारण राज्य द्वारा खुद के संसाधन जुटाने की गुंजाइश बहुत ही सीमित है और क्षेत्रीय असमानताएं तब ही समाप्त की जाएंगी जबकि जरूरत के मुताबिक पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा विशिष्ट वर्ग के राज्यों की समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्र से पर्याप्त सहायता का आबंटन एक पूर्वापेक्षा है। राज्य के सीमित संसाधन आधार का जिक्र करते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि नौंवी योजना के आरम्भ में ऋण दायित्व को समाप्त करने के लिए एक मुश्त उपबन्ध किया जाए जिससे कि राज्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग वास्तविक विकास के लिए कर सकें तथा विशेषकर अवस्थापना का निर्माण कर सकें।

26.5. इसके अतिरिक्त, कृषि अभी भी राज्य की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है, परन्तु जल संसाधनों का उपयोग न होने के कारण उत्पादकता का स्तर कम रहा है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सिंचाई में अतिरिक्त निवेशों की जरूरत है।

26.6. प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण की नीति के अलावा, भूमि के उपयोग की नीति पर उपयुक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आबादी अधिक होने के कारण भूमि की बहुत कमी है। वन-भूमि के उपयोग के लिए नीति में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है, जिससे वन-भूमि तथा आरक्षित वन से बाहर की भूमि पर प्राकृतिक रबड़ और चाय का उत्पादन किया जा सके। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे, भूतल परिवहन दूर संचार तथा अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों के कार्यकलापों का उपयुक्त पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे उत्तर-पूर्वी राज्यों में उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो।

26.7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को राज्यों को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि इसकी ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए तथा इस समय जितना खर्च सरकार द्वारा उन पर किया जा रहा है, उसके बराबर धनराशि योजनाओं के साथ हस्तांतरित की जानी चाहिए।

26.8. अपने भाषण के अन्त में, उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज्य निकायों की सहायता के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे यह निकाय निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की मजबूत संस्थाएं बन सकें। उन्होंने प्रधान मंत्री जी द्वारा किए गए उत्तर-पूर्वी राज्यों के अपने दौरे के समय क्षेत्र में द्रुत आर्थिक विकास के सम्बन्ध में व्यक्त किए गए विचार का स्वागत किया। उन्होंने परिषद् के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सही सदर्भ से विचार करें तथा क्षेत्र के द्रुत आर्थिक विकास के अनुकूल स्थिति बनाने के लिए नीति तैयार करें जिससे देश के विकास में यह क्षेत्र अधिक सार्थक भूमिका निभा सके।

27. नागालैंड के योजना मंत्री श्री जैड. आबेड ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से नागालैंड के मुख्य मंत्री भाग न ले सके। मुख्य मंत्री का लिखित भाषण परिचालित कर दिया गया है जिसमें विशेष रूप से नागालैंड की समस्याओं तथा सामान्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य मुद्दों पर जोर देते हुए उन्होंने योजना आयोग को इस बात की बधाई दी कि उसने बहुत ही थोड़े समय में नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रभावकारी प्रारूप दृष्टि-कोण दस्तावेज तैयार किया है। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि मसौदा दस्तावेज में जो लक्ष्य नीतियों पर प्राथमिकताएं दी गई हैं, वे देश के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। यह खुशी की बात है कि योजना आयोग को इस बात का एहसास है कि आर्थिक विकास का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को उतना लाभ नहीं हुआ, जितना शेष देश को हुआ है तथा देश की प्रगति के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास बहुत जरुरी है। योजना आयोग का यह संकल्प भी उत्साहवर्द्धक है कि आर्थिक विकास के लाभ गरीब लोगों तक पहुंचने चाहिएं।

27.2 उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन कायम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों और शेष भारत के बीच एकीकरण को बढ़ाने के लिए नौवीं योजना के लक्ष्यों का स्वागत किया। नागालैंड में 90 प्रतिशत से अधिक आबादी जन-जातीय लोगों की है और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ग्रुपों को परिवर्तन तथा विकास के एजेन्ट के रूप में शक्ति प्रदान करने के लक्ष्य का भी स्वागत किया गया। इन सब लक्ष्यों का उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों के लिए विशेष महत्व है, जो लक्षित ग्रुपों की प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। वे इस बात पर खुश थे कि मसौदा तैयार करने वाली समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विशेषकर बिजली, परिवहन तथा संचार, शिक्षा, सिंचाई, कृषि आदि क्षेत्रों में अवस्थापना सम्बन्धी मौजूदा कमियों का संकेत किया है और इस बात को स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन की त्वरित आवश्यकता है।

27.3 उन्होंने यह भी कहा कि अवस्थापना की कमी का अध्ययन करने तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत सेक्टरों का पता लगाने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पढ़े-लिखे लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जो उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया है, वह सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की, कि उच्च स्तरीय आयोग की सिफारिशें जल्दी ही अमल में लाई जाएंगी। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् को याद दिलाया कि करार के अधीन बनाए गए नागालैंड राज्य की भारत संघ के राज्यों में विशेष स्थिति है, अर्थात् 1960 के 16-सूत्रीय करार के अनुसार राज्य के विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए विशेष विचार किया जाना है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि नौवीं योजना के कार्यक्रम को तैयार करने तथा उनके वित्तपोषण के सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरे, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा विशेष वर्ग के राज्यों के वित्त पोषण के लिए अलग फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए जिससे चालू राजस्व से नकारात्मक बकाया की बहुत पुरानी समस्या तथा बहुत ऊंची वार्षिक ऋण-सेवा की समस्या को हमेशा के लिए हल किया जा सके।

27.4 उनका कहना था कि एक दृष्टिकोण नागालैंड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य पहाड़ी राज्यों की अवस्थापना

को कम से कम दूसरे राज्यों के बराबर करने की नीति को अपनाना है। दूसरा दृष्टिकोण दो-आयामी नीति को अपनाना है—(क) अनुरक्षण का पूरा खर्च देना, जिसमें इसके कार्य दलों तथा कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं; तथा (ख) उन विकास कार्यक्रमों के लिए अलग प्रावधान करना, जो जरूरत पर आधारित होने चाहिएं और एक-दूसरे से अलग होने चाहिएं।

27.5 उन्होंने अनुरोध किया कि वर्तमान फार्मूला, जो केन्द्रीय सहायता के बारे में राज्यों द्वारा अपने आन्तरिक संसाधन जुटाने की क्षमता से जुड़ा है, वह समाप्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों के समानता के आधार पर तथा राज्यों के बीच जो हिस्सेदारी है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए और इस प्रणाली को आर्थिक रूप से पिछड़े तथा कम विकसित राज्यों के पक्ष में बदला जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र को चाहिए कि राज्यों के हिस्से के लिए केन्द्रीय कर हैं, उसमें से उचित हिस्सा घाटे वाले राज्यों को दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने घाटे को समाप्त कर सकें। प्राथमिकताओं के मामले में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लचीलापन होना चाहिए, और राज्यों को यह अनुमति होनी चाहिए कि वे अपनी अनुमानित नीतियों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें।

27.6. उन्होंने वित्तीय संकटों से बचने के लिये वित्तपोषण की जो विधि 1988-89 तक जारी की थी, उसे बदलने का पुरजोर आग्रह किया। विशिष्ट वर्ग के राज्यों की आर्थिक समस्याओं के स्थायी हल के लिये गठित रंगाराजन समिति की सिफारिशों की समीक्षा की जानी चाहिये। उन्होंने योजना संसाधनों को पूरा करने के लिये नागालैण्ड तथा विशिष्ट वर्ग के अन्य राज्यों को दिए गए ऋणों को समाप्त करने का एक सशक्त तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाए। फिर भी, उन्होंने कहा कि केन्द्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तांतरित स्कीमों के अनुरक्षण तथा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान की जाएं परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा सातवीं और आठवीं योजना के दौरान पदों के सृजन के कारण योजना निधियों में जो कमी हुई है, उसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक नौवीं योजना में अवस्थापना विकास के लिए एक बहुत व्यापक योजना निवेश नहीं किया जाता, उत्तर-पूर्वी राज्य, विशेषकर नागालैण्ड अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा रहेगा।

27.7 अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर केवल आर्थिक तथा वित्तीय विकास क्षमता की दृष्टि से विचार न किया जाए, अपितु लोगों को मिलने वाले सामाजिक लाभों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित परियोजनाओं तथा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण योजना विधि से अलग होने चाहिएं। उनका यह भी कहना था कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियां होनी चाहिएं तथा निधियां निर्मुक्त करने में जो कठिनाइयां होती हैं, वे कम की जानी चाहिएं और स्थानीय स्थितियों के अनुसार स्कीमों के कार्यान्वयन की छूट होनी चाहिए। कोई विशेष तन्त्र तैयार किया जाना चाहिए जिससे राज्य में औद्योगिकीकरण तेजी से हो तथा नागालैण्ड और अन्य राज्यों में जो असमानता है, उसमें कमी हो। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नौवीं योजना के लिए जो नितियां तथा कार्यक्रम निर्धारित किए जाएं, उनसे नागालैण्ड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों की आशाएं तथा आकांक्षाएं पूरी होंगी।

28.1. मिजोरम के वित्त मंत्री श्री जे० लालसेंग जौला ने कहा कि अप्रत्याशित कारणों से मिजो के मुख्य मंत्री बैठक में नहीं आ सके। उनका लिखित भाषण परिचालित कर दिया गया है।

28.2. मिजोरम के वित्त मंत्री ने कहा कि योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दृष्टिकोण दस्तावेज में देश की अर्थ व्यवस्था की काफी स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की गई है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीतियों की विस्तृत रूपरेखा सुझाई गई है। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षत्रीय विकास देश की विकास नीति का अनिवार्य घटक रहा है तथा अन्तर-क्षेत्रीय तथा क्षेत्र के भीतर जो असन्तुलन है, उसे दूर करना भारत में विकास योजना का मूल उद्देश्य रहा है फिर भी, उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर पिछड़े पहाड़ी राज्य आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं तथा असमानता और वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नौवीं योजना की एक प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उपयुक्त नीतिगत पहल के माध्यम से इन असंतुलनों को ठीक किया जाए। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लगभग सभी राज्यों की अर्थ व्यवस्था के विशेष कारक हैं, जिनके लिए अलग-अलग नीति की आवश्यकता है, जो इन राज्यों से विशिष्ट स्थितियों पर आधारित हों। इनमें स्थानीय, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति भी शामिल है।

28.3 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र द्वारा जताई गई चिन्ता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए नई पहल के लिए प्रधान मंत्री का धन्यवाद किया जो उन्होंने इस प्रदेश के दौरे के बाद घोषित की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि केन्द्र ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास की बाध्यकारिताओं तथा समस्याओं पर इतनी जल्दी और सकारात्मक प्रक्रिया अभिव्यक्त की है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने तथा उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आयोग क्षेत्र के प्रति न्याय करेगा और केन्द्र इन सिफारिशों के कार्यान्वियन की मदद के लिए पर्याप्त तथा सामयिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित मानीटरिंग के लिए तो योजना आयोग अथवा उत्तर-पूर्व सचिवालय से एक अलग सेलतो खोला जाए।

28.4 इस बात से सहमत होते हुए कि संसाधनों की उपलब्धि की समस्या संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि करके ही हल की जा सकती है, उन्होंने कहा कि राज्यों तथा केन्द्र के बीच हिस्सेदारी का जो फार्मूला है, उसमें परिवर्तन करके उसे पिछड़े राज्यों के अनुकूल किया जाए, क्योंकि इस समय करों सहित केन्द्रीय निधि का जो बंटवारा होता है, उसमें पिछड़े राज्यों की तुलना में उन्नत राज्यों को अधिक लाभ होता है। इस विधि में कम से कम नौवीं योजना के दौरान विशिष्ट रूप से विशेष वर्ग के राज्यों को सहायता अनुदान का अधिक हिस्सा दिया जाना चाहिए, जिससे इन राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिले। उन्होंने यह भी कहा

कि जाहिर सीमितता के कारण उक्त राज्य पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं जुटा सकते परन्तु साथ ही उक्त राज्य सदैव के लिए केन्द्रीय सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहते। राज्य में कुछ अवधि के भीतर आत्म-निर्भर बनने की क्षमता है। ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के सुझाव से जो पिछड़े क्षेत्र के अधिक लाभ के लिए है तथा एक राष्ट्रीय जन जाति विकास नीति तैयार करने के आश्वासन से काफी आशाएं बंधी हैं।

28.5 उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर किन्हीं महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सीधे सरकारी दखल के माध्यम से पिछड़े राज्यों में उदारीकृत आर्थिक प्रणाली के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की जानी है। दृष्टिकोण पत्र में दिए गए नौवीं योजना के विस्तृत लक्ष्यों का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कृषि तथा ग्रामीण विकास को जो प्राथमिकता दी गई है, वह सही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जल संसाधनों के प्रबन्धन पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कृषि विकास से जुड़ा है।

28.6 उन्होंने यह भी कहा कि नौवीं योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज में शताब्दी के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाएं मुहैया करने पर जो जोर दिया गया है, वह सही है। फिर भी, इन सेवाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त उपाय खोजने होंगे। जो उद्योग स्थानीय कच्ची सामग्री स्थानीय कौशल पर आधारित है तथा स्थानीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की निधि से मिजोरम जैसे पिछड़े हुए पहाड़ी राज्यों को लाभ होगा।

28.7 भाषण के अन्त में उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण दस्तावेज पत्र में जो विकास दर रखी गई है, वह उचित है और प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि बचतें अधिक हों। उन्होंने अन्य नीतिगत प्राथमिकताओं तथा केन्द्रीय नीतियों एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के बारे में नई विधि तथा पत्र में सुझाए अनुसार राज्य योजना तैयार करने का अनुमोदन किया। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में इसके लिए काफी गुंजाइश है। योजना प्रक्रिया एक सहकारी प्रयास होना चाहिए और केन्द्र तथा राज्यों को मिलकर अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए तथा लाभों के समान वितरण की गारण्टी होनी चाहिए।

29.1 दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री साहिब सिंह ने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अब समाप्त होने जा रही है और यह आशा व्यक्त की कि पहले की योजनाओं में अनुभूत कमियों को नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय दूर कर दिया जाएगा, जिससे योजना के सामाजिक -आर्थिक लाभों का आम आदमी एवं सबसे गरीब लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके। मुख्य मंत्री ने इस बात को देखते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कृषि एवं ग्रामीण विकास, मूल्य स्थायित्व, समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषणिक सुरक्षा, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान, आबादी की वृद्धि दर को रोकने, पर्यावरणिक मुद्दों पर ध्यान देने और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी के द्वारा सुधार करने ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को शक्तियों देन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है।

29.2. तेजी से बढ़ रहे दिल्ली महानगर की समस्याओं का उल्लेख करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों के समय से दिल्ली की आबादी दुगुनी हो गई है और स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य है कि जल आपूर्ति, बिजली, मल जल निष्कासन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत नागरिक सुविधायें इसी अनुपात में उपलब्ध हों, दिल्ली की लगभग आधी आबादी अनधिकृत कालोनियों, स्लम बस्तियों एवं झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। यह स्मरणीय है कि दिल्ली को विधान मण्डल के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिये जाने के बाद योजना आयोग द्वारा तीन वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, परन्तु यह न तो राज्य के और न संघ क्षेत्र के पैटर्न पर दिया गया है। केन्द्र ने 1992 में डा० अर्जुन सेन गुप्ता समिति का गठन किया था, जिसमें जून, 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, परन्तु इस रिपोर्ट पर केन्द्र द्वारा अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है। यह अनिवार्य है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले दिल्ली की योजना के वित्त पोषण की प्रणाली के बारे में एक दृष्टिकोण अपनाया जाए, उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।

29.3. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की देयताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय योजना सहायता की धनराशि को लगाने से योजना संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए मुख्य मंत्री ने केन्द्र से अनुरोध किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार बचनबद्ध है और नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये पर्याप्त वृद्धि निहित है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बहुत अच्छी तरह मानिटरिंग भी की जाएगी।

29.4 मुख्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्र में निवास करता है और अतः कृषि की भूमिका यहां काफी सीमित है। फिर भी, 883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास की एक महत्वाकांक्षी लघु मास्टर योजना 1994 में आरम्भ की गई थी।

29.5 ऊर्जा की स्थिति के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि बिजली की मांग में अत्याधिक वृद्धि का समाधान उत्तरी ग्रिड से अधिक बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि राजधानी शहर के आसपास सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नये विद्युत उत्पादक यूनिटों की स्थापना करना भी है। 421 मे०वा० क्षमता की बवाना गैस टर्बाइन परियोजना के लिए काउन्टर-गारन्टी देने के मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का उन्होंने केन्द्र से अनुरोध किया। ट्रांसमिशन एवं वितरण नुकसानों को कम से कम करने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जा रहे हैं।

29.6. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में पेयजल की वर्तमान उपलब्धता 575 एम०जी०डी० है, जबकि आवश्यकता 700 एम०जी०डी० की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह आवश्यकता बढ़कर 1050 एम०जी०डी० होने की आशा है। मुख्य मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पर्यावरण के अनुकूल "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम" का जो प्रस्ताव केन्द्र के पास लम्बित पड़ा था, अन्तत स्वीकृत कर दिया गया है।

29.7 दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि वह परिचालन के लिए केवल थोड़ी सी बसों के उपलब्ध करने हेतु उत्सुक है, वाहन प्रदूषण की समस्याओं का उल्लेख करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल करने का उन्होंने निर्णय लिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले महीनों में इस बारे में प्रत्यक्ष सुधार नजर आयेंगे, पर्यावरणिक प्रदूषण कम करने की दिशा में कुछ कदम उठाने के लिए सरकार की मदद करने में न्यायपालिका ने भी समर्थक भूमिका निभाई है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि किये जा रहे अच्छे कार्य को आगे जारी रखा जाएगा परन्तु इस बात को भी महसूस किया कि लोगों की सक्रिय भूमिका और सहयोग से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक मदद मिलेगी, उन्होंने कहा कि सड़कों के सुधार आदि जैसे परिवहन तंत्र के विकास के उन्नयन और पुलों तथा फ्लाई ओवर्स के निर्माण को सब से अधिक प्राथमिकता दी जाती रहेगी, यह चिन्ता का विषय है कि यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित है, सरकार ने 16 मल जल शोधन संयंत्रों का निर्माण आरंभ किया है जिनमें 300 करोड़ रु0 का व्यय निहित है और औद्योगिक मलस्राव से उत्पन्न जल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में 15 सामान्य मलस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

29.8 अपने भाषण का समापन करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि उद्योगों के पुन: आबंटन के कारण उद्यमियों एवं कामगारों को कम से कम असुविधा हो यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं, स्वास्थ्य स्कीमों शिक्षा एवं इन समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित समस्याओं को उचित प्राथमिकता दी जा रही है, उन्होंने उल्लेख किया कि दिल्ली से संबंधित विभिन्न समस्याओं को अत्यधिक सकारात्मक दृष्टि-कोण से हल करने में प्रधान मंत्री अत्यधिक सहायक रहे हैं और आशा व्यक्त की कि शहर को साफ सुथरा और रहने लायक स्वास्थ्यप्रद स्थान बनाने में केन्द्र सभी संभावित सहायता प्रदान करता रहेगा जहां आम आदमी और कमजोर वर्ग इसके विकास के फलों में साझेदारी कर सकें।

30.1 श्री आर0 वी0 जानकीरमन, मुख्य मंत्री पांडिचेरी ने कहा कि आठवीं योजना के दौरान समग्र आर्थिक विकास काफी संतोषजनक था परन्तु गरीबी में कमी लाने की दिशा में उप-लब्धि हमारी आशा से काफी कम थी, अच्छी तरह से तैयार किये गये गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार, गरीबों की सहायता के लिए सभी स्तरों पर संपूर्ण वचनबद्धता एवं समर्पण और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना नौवीं योजना के दौरान दृष्टिकोण होना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया कि पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने, मूल्य स्थायित्व के साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को तेज करने, जैसा कि दृष्टिकोण पत्र में निहित है, से आने वाले वर्षों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में काफी मदद मिलेगी।

30.2 उन्होंने आगे बताया कि दृष्टिकोण पत्र में इस बात पर सही रूप से जोर दिया गया है कि नौवीं योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिक श्रमिकों को काम देने वाले पैकेजों पर ध्यान केन्द्रित करके अधिक उत्पादक रोजगार उत्पन्न करना होगा, बेरोजगारी की समस्या को हल करने और श्रमिकों के नैमित्तिक रोजगार को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन स्कीम को कार्यान्वित करने के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया।

30.3 प्राथमिक न्यूनतम सेवाओं को विकास योजना के अति महत्वपूर्ण घटक के रुप में अपनाने के सुझाव का स्वागत करते हुए उन्होंने इस बात का पूरा समर्थन किया कि खाद्य सुरक्षा को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूपों में प्राथमिक पोषणिक आवश्यकता के प्रति लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, उन्होंने कहा कि नौवीं योजना के दौरान 7 प्रतिशत की स्वीकृत वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, दृष्टिकोण पत्र में निहित अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आर्थिक वृद्धि को तेज करने हेतु सरकारी एवं निजी निवेश को सम्मिलित रुप से ईष्टतम बनाने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि समाज के साधनविहीन वर्गों को शेष वर्गों की बराबरी में लाने के लिए उनके अन्तर्गत विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक कमजोरियों को दूर करने हेतु सरकार का हस्तक्षेप परम आवश्यक है। प्रशिक्षण देकर, ऋण सुविधाएं जुटाकर और गरीबी की रेखा से उन्हें ऊंचा उठाने के लिए तैयार की गई स्कीमों की मानिटरिंग के द्वारा इसे प्राप्त किया जाना चाहिए।

30.4 कृषि क्षेत्रक के बारे में उन्होंने कहा कि चालू औद्योगिक क्रिया कलापों और आवासीय एवं गैर कृषि प्रयोजनों के लिए खेती योग्य भूमि के परिवर्तन के कारण कृषि भूमि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए समुचित नीति का उन्होंने अनुरोध किया।

30.5 जहां तक योजना के लिये निधियां देने का प्रश्न है, पूर्ण दर्जा प्राप्त राज्यों के लिये इसका आकार निर्धारण में राष्ट्रीय विकास परिषद् एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परन्तु संघ क्षेत्रों के मामले में आकार निर्धारण के लिए कोई सुस्पष्ट फार्मूला नहीं है, नौवीं योजना के दौरान कम से कम विधान मंडल वाले संघ क्षेत्रों के लिए इस असंगति को दूर करने का उन्होंने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया ताकि अपने योजना कार्यक्रम के निधि पोषण के लिए वह केन्द्रीय सहायता का अधिक हिस्सा प्राप्त कर सके, उन्होंने पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने का अनुरोध किया और आशा व्यक्त की कि सहकारिता संघवाद की भावना से केन्द्र द्वारा इस पर अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा।

30.6 सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री, उप राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री की एक स्थायी समिति गठित करने का उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की तरह पांडिचेरी सरकार की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि कार्यान्वयन में लचीलापन के साथ साथ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान का हस्तान्तरण राज्यों/संघ क्षेत्रों को किया जाना चाहिए।

30.7 अपने भाषण का समापन करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में संघ क्षेत्र की सहायता के लिये केन्द्र द्वारा उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसी सहायता के अनुरोधों पर कार्यवाई करने के लिये या तो केन्द्रीय कृषि मंत्रालय या केन्द्रीय गृह मंत्रालय को एक मात्र प्राधिकारी माना जाना चाहिए।

31.1 **श्री** पवन कुमार चामलिंग, मुख्य मंत्री सिक्किम ने नौवीं पंचवर्षीय योजना का सुविचारित दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए योजना आयोग का धन्यवाद किया और कहा कि यह दृष्टिकोण पत्र अगली शताब्दी में भारत का परिदृश्य प्रस्तुत करता है और भारत के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को मुखर करता है तथा आर्थिक विकास की दर को तेज करने की आवश्यकता एवं समाजके कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच सही संतुलन को प्रदर्शित करता है । लोगों को प्राथमिक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने और अवसंरचना ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्रक को सुदृढ़ करने के संदर्भ में प्रयत्नों का विस्तार करते हुए इस प्रारूप में सकल घरेलू उत्पादों की वृद्धि दर को तेज करने का सही रूप से जोर दिया गया है ।

31.2 मुख्य मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उपाध्यक्ष को भेजे गये विचारों को इस दस्तावेज में स्थान दिया गया है । विशेष रूप से यह मानना कि वृद्धि दर में तेजी लाना गरीबी के स्तर को कम करने का अपने आप में एक प्रभावकारी साधन है और संपूर्ण देश में विशेषकर, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में आबादी की वृद्धि दर को कम करने की मूलभूत आवश्यकता है । ,इसका प्रमाण है, उन्होंने दस्तावेज में दिखाये गये व्यापक उद्देश्यों एवं कार्यनीति संबंधी रूप रेखाओं की पुष्टि की ।

31.3 उन्होंने उल्लेख किया कि देश में सिक्किम सामरिक महत्व का स्थान है और देश की उत्तरी सीमाओं का प्रहरी है, इस राज्य में शांति एवं अमन चैन कायम है और शेष भारत के साथ अपेक्षित स्तर तक भावनात्मक एकीकरण स्थापित करने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयत्न किए हैं, यह राज्य एक अनूठी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है और यहां के लोगों का प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं एकरूपता है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणिक दशाओं का संरक्षण करना यहां की संस्कृति की स्वाभाविक विशेषता है।

31.4 इस तथ्य के बावजूद कि सिक्किम में 1975 से ही योजना विकास आरंभ हुआ इसने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावकारी प्रगति की है। यह प्रगति मुख्यतः सख्त वित्तीय अनुशासन के कारण ही संभव हुई है। फिर भी राज्य को केन्द्रीय सहायता के ऋण घटक की ऋण वापसी और बाजारी-ऋण के बोझ को वहन करना पड़ रहा है जो योजना परिव्ययों की केन्द्रीय सहायता का एक हिस्सा है। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ा दिया जाए और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ऋण पर ब्याज कम करके 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

31.5 मुख्य मंत्री ने कहा कि सिक्किम यद्यपि एक छोटा राज्य है परन्तु विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में यह अपनी शक्ति का योगदान कर सकता है। वहां पर्यटन, विद्युत, बागवानी और विशेष रूप से पुष्पकृषि के विकास की काफी क्षमता है। परन्तु इस क्षमता के उपयोग पर संचार आधारभूत संरचना की अत्यधिक कमियों के कारण प्रभाव पड़ा है, नौवीं पंचवर्षीय 'योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में प्राथमिकता के आधार पर सिक्किम में एक विमान पट्टी के अलावा हैलीकोप्टर सेवा शुरु करने एवं सड़क लिंक का उन्होंने आग्रह किया।

31.6 उन्होंने आगे अनुरोध किया कि बागडोगरा विमान-पत्तन जो सिक्किम के लिए सब से समीप का विमानपत्तन है, में सुविधाओं के सुधार और अंतर्राष्ट्रीय यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे संभवतया उन्नत भी बनाने के मामले पर उचित रूप से विचार किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सिक्किम के लिए रेल लिंक परियोजना को भी नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

31.7 मुख्य मंत्री ने कहा कि सिक्किम विशाल जल भंडार से भरपूर है और अनुमान है कि इससे 8000 मे0 वा0 बिजली पैदा की जा सकती है, यह उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां राज्य पर्याप्त राजस्व अर्जित कर सकता है अतः यह अनिवार्य है कि इस संसाधन का अत्यधिक उचित तरीके से उपयोग करने के लिए सुनियोजित उपाय किये जाएं।

31.8 अपने भाषण का समापन करते हुए मुख्यमंत्री ने संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता की ओर राष्ट्रीय विकास परिषद का ध्यान आकर्षित किया, हिमालय क्षेत्र के संरक्षण के लिए विशेष निधि आबंटित करने का उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रयोजन के लिए पिछले समय में राज्य द्वारा प्राप्त किये गये सभी ऋणों को अनुदानों में परिवर्तित कर दिया जाए, उन्होंने कहा कि समग्र हिमालय संरक्षण प्रयत्नों में हुई प्रगति के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना पर विचार करना बुद्धिमानी होगी, इस बात को देखते हुए कि उदारीकरण के पुनर्निर्धारित आर्थिक दर्शन में देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सहायक वातावरण तैयार किया है, यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि स्थान संबंधी असुविधाओं एवं कमजोर अवसंरचना के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम जैसे राज्यों को इन विकासों से लाभ मिलने की संभावना नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्र को ऐसे साधन विहीन राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के यूनिटों की स्थापना पर विचार करना चाहिए जिनके अंतर्गत उच्च तकनीक वाले इलैक्ट्रोनिक उद्योग, कृषि प्रसंस्करण यूनिट, पर्यटन, चाय आदि शामिल है और उन्हें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणिक स्थितियों के साथ आसानी से समायोजित किया जा सकता है।

32.1 श्री आई.पी. गुप्ता, उप राज्यपाल एव प्रशासक अण्डमान निकोबार द्वीप समूह से दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिये योजना आयोग का धन्यवाद करते हुये कहा कि "साम्यता के साथ वृद्धि" (ग्रोथ विद इक्विटी) प्राप्त करने के लिये इसमे सुपरिभाषित कार्य नीतियां दी गई हैं, देश में क्षेत्रीय सन्तुलन स्थापित करने के लिये विशेष निधि व्यवस्था हेतु इस दस्तावेज में दिये गये जोर का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि संसाधनों के वास्तविक आकलन एंव अनुरक्षण के लिये पर्याप्त निधि व्यवस्था तथा पहले से सृजित परिसंपत्तियों के ईस्टतम उपयोग की आवश्यकता के सम्बन्ध में इस दस्तावेज में उचित रूप से जोर दिया गया है।

32.2 अण्डमान एंव निकोबार दीपसमूह जो मुख्य भूमि से लगभग 1200 कि0 मी0 दूर ऊंचे समुद्र में स्थित है, दूर-दूर फैले हुए हैं और इनका 86 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, भारी वर्षा के बावजूद इस संघ क्षेत्र को पेयजल की अत्यधिक

कमी का सामना करना पड़ता है भारी वर्षा के कारण मिट्टी में लवणता आ जाती है जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती हैं, उच्च समुद्री शुल्क दरों के कारण निर्माण की लागत काफी अधिक है और द्वीप समूह मुख्य भूमि में केन्द्रीय क्षेत्रक में किये गये भारी निवेश से मिलने वाले लाभों से वंचित है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित तटीय विनियमन जोन, जो ज्वार रेखा से 500 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, इस संघ क्षेत्र के विकास के रास्ते में आ रहा है, प्रशासक ने आग्रह किया है कि इस मामले की पुनरीक्षा की जा सकती है और विचार व्यक्त किया कि शायद संघ क्षेत्र के लिये एक विशेष विधान की आवश्यकता है क्योंकि इन विनियमों को लागू करने में निर्माण लागत में भारी वृद्धि हो रही है ।

32.3 प्रशासक महोदय ने आगे बताया कि द्वीप समूहों की अर्थ व्यवस्था को अभी परिपक्वता के स्तर पर पहुचना है और आधार संरचना क्षेत्रक में भारी निवेश की आवश्यकता है । फ्री-पोर्ट (नि:शुल्क पत्तन) अथवा बेकरिंग सुविधायें प्रदान करने वाले पोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव सामरिक कारणों से छोड़ दिये गये हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि इन नुकसानों के लिये द्वीप समूहों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिये उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और पदों के सृजन आदि के लिये उप राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिये । द्वीप समूह में सीमित भूमि की उपलब्धता और कमजोर पारिस्थिति की तंत्र को देखते हुये आबादी को सीमित रखना आवश्यक है ।

32.4 प्रशासक महोदय ने आगे बताया कि नौवीं योजना में मानव विकास को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जारी रखा जायेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शिक्षा पर विशेष जोर देने का प्रस्ताव किया गया । परिवहन एवं संचार क्षेत्रक को सभी योजना अवधियों में अधिकतम आवंटन प्रदान किया जाता रहा है और नौवीं योजना के दौरान इस क्षेत्रक के लिये योजना आबंटनों का लगभग 42 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया । उन्होंने अनुरोध किया कि जलयानों की खरीद के लिये आवश्यक निधियां प्रदान की जानी चाहिये क्योंकि नौवहन तंत्र इन द्वीप समूहों का जीवन आधार हैं । उन्होंने उल्लेख किया कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रक के अधीन कुछ नई स्कीमें आरम्भ करने के लिये संघ क्षेत्र ने एक ब्ल्यू प्रिंट तैयार किया है ।

32.5 प्रशासक ने कहा कि संघ क्षेत्र इन द्वीप समूहों को 21वीं शताब्दी के प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में दिखाने की योजना कर रहा है । इस संघ क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की अत्यधिक क्षमता है जिससे काफी विदेशी मुद्रा की आय उत्पन्न की जा सकती है और युवकों को बड़ी संख्या में स्व रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की गई है ।

32.6 अपने भाषण का समापन करते हुये प्रशासक ने कहा कि अंडमान के जल में उपलब्ध समुद्री सम्पत्ति का निर्यात करके काफी विदेशी मुद्रा की आय उत्पन्न की जा सकती है । पर्यटन एवं मछली उद्योग की सफलता अधिकांशत: बिजली की आपूर्ति की पर्याप्त रूप से उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसे बढ़ाया जाना चाहिये । संघ क्षेत्र में तीन स्तरीय पंचायती राज संरचना स्थापित की गई है और पंचायती राज संस्थाओं को विकासात्मक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये शक्तियां प्रदान की गई है । परन्तु लोगों की आशाओं एव आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये इन संस्थाओं को पर्याप्त निधियां प्रदान करना आवश्यक है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौवीं योजना के दृष्टिकोण के उद्देश्य को राज्य नीति के इन आयामों के संदर्भ मे देखने की आवश्यकता है जैसे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार उत्पन्न करना, क्षेत्रीय संतुलन एवं आत्म निर्भरता । उन्होंने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का समर्थन किया ।

33.1 श्री राजीव तलवार, प्रशासक संघ क्षेत्र लक्षद्वीप ने कहा कि लक्षद्वीप भारत में एक अनोखा स्थान है क्योंकि देश में यह एकमात्र प्रबाल द्वीप है, इस संघ क्षेत्र के लिए यह एक बड़ा पर्याप्त कारण है कि इसे विश्व पर्यावरण विरासत आरक्षित के रूप में घोषित किया जाए, इन द्वीपों की ओर ध्यान देने के दूसरे समान महत्वपूर्ण कारण भी हैं, उत्तर से दक्षिण तक 600 कि. मी. में फैले यह द्वीप आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी तट की निगरानी, मानिटरिंग और सुरक्षा के लिए प्राकृतिक प्रहरी है, यह द्वीप भारत को चार लाख वर्ग कि. मी. का संपूर्ण आर्थिक जोन भी प्रदान करते हैं ।

33.2 इस संघ क्षेत्र को अत्यधिक कम निवेश की समस्या का सामना करना पड़ा है, निवेश मुख्यत: उन क्षेत्रों में किया जाना है जिनसे संघ क्षेत्र के कमजोर पर्यावरण की सुरक्षा हो, सभी लोगों को बुनियादी न्यूनतम सेवायें प्रदान हों, रोजगार मिले और स्थानीय उत्पादों के मूल्य वर्धन में बढ़ोत्तरी हो, उन्होंने आगे बताया कि संघ क्षेत्र, लक्षद्वीप में संपूर्ण रूप से अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, अत: इसे उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाना चाहिए, नौवीं योजना की नीतियों के केन्द्र बिन्दु पारिस्थितिक एवं पर्यावरण बनने जा रहे हैं। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान के लिए अनिवार्य रूप से सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, पेयजल का प्रावधान एक सावधानीपूर्वक मानिटर की गई प्रक्रिया है और संघ क्षेत्र की एक प्रमुख प्राथमिकता समुद्री जल को ताजे जल में परिवर्तित करने और द्वीपों में फेंके गये किसी भी कूड़े-कचरे के परिशोधन के लिए जैव अवशोषकों का उपयोग करना है ।

33.3 स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा का प्रावधान भी द्वीपसमूह के लिए प्राथमिकता वाला मुद्दा हैं । लक्षद्वीप में आवास की समस्या पर्यावरण से संबंधित है । अगाट्टी द्वीप में एक इंडियन एयरलाइंस का विमान प्रदान करने के संघ क्षेत्र के प्रस्ताव तथा छ: द्वीपों को आंतरिक रूप से जोड़ सकने वाले छोटे चार सीटों वाले विमान द्वारा एयर टेक्सी परिचालन कार्यों के लिए केन्द्र का अनुमोदन मिलना चाहिए । संघ क्षेत्र की योजना पांच द्वीपों में प्रत्येक में केवल 500 मीटर की विमान पट्टियां बनाने की हैं जो नौवीं योजना में विकसित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना का एक अभिन्न अंग होगी। द्वीपों की पूर्वी दिशा में "जेटीज" का निर्माण भी महत्वपूर्ण अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा ।

33.4 प्रशासक ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि संघ क्षेत्र के लगभग 86 प्रतिशत क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है और इस उद्योग के मूल्य वर्धन को बढ़ाने और उत्पाद के विविधीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है ।

उन्होंने सुझाव दिया कि संघक्षेत्र में नारियल रेशा बोर्ड नायिरल विकास बोर्ड और कुछ अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के नये कार्यालय खोले जाने चाहिए। मात्स्यिकी विषय कृषि मंत्रालय एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दोनों के अंतर्गत आता है और मछुआरों को बाजार सुविधायें प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्रक एवं भारत सरकार को शामिल करते हुए प्रारंभिक कदम भी उठाये गये हैं। उनका विचार था कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

34.1 श्री बी. के. एन. छिब्बर, लेफ्टि. जनरल (सेवा निवृत्त) प्रशासक, चण्डीगढ़ ने अपने लिखित भाषण में कहा कि विकास के निरंतर प्रयत्नों से लोगों की बेहतर आय और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और चंडीगढ़ देश के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से है। योजना का एक बड़ा उद्देश्य गरीबों और आम आदमी को विकास के लाभ प्रदान करना रहा है। पंचायतों, जिला परिषदों और नगर निगमों के चुनावों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों एवं आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं ने हमेशा ही प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है और पर्यावरणिक प्रदूषण के नियंत्रण और लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति पर जोर दिया जाता रहा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं में भी सुधार हुआ है परन्तु अभी काफी कुछ करना शेष है क्योंकि चंडीगढ़ अभी भी एक विकसित हो हो रहा शहर है।

34.2 इस बात को देखते हुए कि हाल के वर्षों में चंडीगढ़ के योजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। प्रशासक ने आग्रह किया कि नौवीं योजना के दौरान चण्डीगढ़ के योजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। रोजगार में वृद्धि को तेज करने, लोगों को बुनियादी न्यूनतम सेवायें प्रदान करने, गरीबी दूर करने और विकास के लिये संसाधान जुटाने में घरेलू क्षमतायें बढ़ाने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण के अनुसार संघ क्षेत्र ने नौवीं योजना के लिए 622.34 करोड़ रु. के अस्थायी आवंटन का प्रस्ताव किया था जो दिया जाना चाहिए। योजना परिव्यय का बड़ा हिस्सा चण्डीगढ़ के नागरिको को बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है।

34.3 अपने भाषण का समापन करते हुए प्रशासक ने कहा कि अवसंरचना क्षेत्रक के विकास, अनुसूचित जातियों के कल्याण, पंचायती राज संस्थाओं आदि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निहित सुझावों की पुष्टि की और एक मजबूत, आत्म-विश्वासी एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपने पूर्ण सहयोग एवं समर्पित भागीदारी का आश्वासन दिया।

35.1 सरदारनी राजिन्दर कौर भट्टल, मुख्य मंत्री, पंजाब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग नहीं ले सकी परन्तु बैठक में वितरित करने के लिए उन्होंने अपने लिखित भाषण की प्रतिलिपियां भेजी थीं। भाषण में दी गई मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

35.2 उन्होंने लिखा था कि दृष्टिकोण पत्र के अंतर्गत नौवीं योजना को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए उद्देश्यों, नीति प्राथमिकताओं और सहकारिता संघवाद की भावना से क्षेत्रकीय कार्यनीतियों का समावेश किया गया है। परन्तु उद्देश्यों की उपलब्धियां उनके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को उपलब्ध संसाधनों पर अत्यधिक रूप से निर्भर है। मुख्यतः आतंकवाद के वर्षों के दौरान किये गये बढ़ते हुए ऋण के बोझ के कारण वार्षिक योजनाओं के लिए संसाधन प्राप्त करने में गंभीर वित्तीय समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया कि आतंकवाद (1984–95) की अवधि के दौरान राज्य को दिये गये विशेष ऋणों को पूरी तरह माफ कर दिया जाए।

35.3 राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता के वर्तमान फार्मूले की पुनरीक्षा की जानी चाहिये और आबादी एवं प्रति व्यक्ति आय को दी गई वरीयता को कम करने की आवश्यकता है। कम से कम 10 प्रतिशत वरीयता ऐसे राज्यों को दी जानी चाहिये जो आबादी नियंत्रण में सफलता प्राप्त करते हैं और राज्य के वित्तीय निष्पादन को भी महत्व दिया जाना चाहिये। संशोधित फार्मूले में अनुसूचित जातियों की आबादी संपूर्ण साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर जैसे कारणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। छोटी बचतों की अपनी वसूली के अनुसार राज्य को दिये गये ऋण की धनराशि को वर्तमान 75 प्रतिशत के स्तर के स्थान पर कुल वसूली का 100 प्रतिशत किया जाना चाहिये। ब्याज की उच्च दरों से संबंधित राज्य सरकारों की गंभीर समस्या को उठाते हुये उन्होंने सुझाव दिया कि अपने विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के निधि पोषण के लिये केन्द्र द्वारा अच्छी तरह से तैयार की गई नीति के अन्तर्गत राज्य एवं इसकी एजेंसियों को अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से निधियां जुटाने की स्वीकृति दी जानी चाहिये।

35.4 मुख्य मंत्री ने उल्लेख किया था कि शायद पंजाब उस राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से कार्यान्वित करने वाला देश में पहला राज्य है जिसका गठन ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण हेतु सिफारिशें करने के लिये किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के पांच राज्य करों अर्थात स्टैम्प, बिजली शुल्क, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर और प्रदर्शन कर की कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत अगले पांच वर्षों (1997–98 से शुरू होने वाले) में शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे राज्य पर 125 करोड़ रु० प्रतिवर्ष का बोझ पड़ेगा।

35.5 मुख्य मंत्री ने कहा कि गांवों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं जीवन दशाओं के सुधार की दृष्टि से राज्य ने 8वीं योजना अवधि के दौरान "उन्नत ग्राम स्कीम" आरम्भ की थी। खडंजा (पटरियों), नाली के निर्माण ग्रामीम सफाई आदि पर विशेष जोर दिया गया है। पंजाब में 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की गई है। पंजाब की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है और कृषि विस्तार में उत्कृष्ट निष्पादन के लिये राज्य ने लगातार चौथे वर्ष भी राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त किया है पंजाब को खाद्यान्नों पर रायल्टी देने का सशक्त मामला बनता है जिससे किसानों को मदद मिलेगी और कृषि उत्पादन को और भी आगे बढ़ाने के लिये उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

35.6 मुख्य मंत्री ने पंजाब में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र और कृषकों द्वारा स्थानीय नये कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यम पूंजी निधि की स्थापना का अनुरोध किया

था। राज्य विद्युत उत्पादन पर सबसे अधिक जोर देता आ रहा है और कुल योजना परिव्यय का लगभग 40 प्रतिशत विद्युत क्षेत्रक के लिये निर्धारित किया गया है। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि पंजाब में बिजली की दीर्घकालिक मांग को तभी पूरा किया जा सकता है जब राज्य में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाय। स्थल के चयन के बारे में प्राथमिक कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं और इस संबंध में ठोस निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। सिंचाई क्षेत्रक के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि उपलब्ध जल संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न चल रहे हैं ताकि संपूर्ण खेती योग्य क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सके।

35.7 मुख्य मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं में, अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्याओं पर काबू पाने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यावसायिक गतिशीलता प्राप्त करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। राज्य में कुल आबादी की लगभग 12 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्गों की है और राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली में उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिये उनके कार्य कौशल में सर्वोत्तम तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के साथ सुधार किया जा रहा है।

35.8 मुख्य मंत्री ने जरूरतमन्द लोगों के कल्याण के लिये सामाजिक सुरक्षा, शहरी आवास एवं शहरी विकास की समस्याओं का भी उल्लेख किया था और कहा था कि पर्यावरणिक सुधार एवं शहरी गरीब बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिये राज्य सक्रिय कदम उठाना जारी रखेगा। राज्य के चार बड़े नगरों मे घरेलू तरल कचरे के शोधन के लिये एक बड़ी स्कीम भी आरम्भ की गई है।

35.9 अपने समापन भाषण में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया था कि उदारीकरण की नीति के अनुरूप अवसंरचना के विकास एवं नौकरशाही प्रक्रिया के सरलीकरण पर अब जोर दिया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देने से उद्योगों के संवर्धन एवं रोजगार उत्पन्न करने के लिये आवश्यक अर्हता प्राप्त एवं कुशल जनशक्ति उपलब्ध होगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पंजाब में सड़क तंत्र के सुधार के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है और चंडीगढ़ तथा लुधियाना के बीच एक रेल-लिंक का उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने यह भी बताया था कि शिक्षा, आबादी, वृद्धि पर नियंत्रण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा युवा एवं खेल ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी ओर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के साथ-साथ अधिकाधिक संख्या में केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्यों को हस्तांतरित करने के प्रयत्न जारी रहने चाहिये। उनका कहना था कि नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में निहित महत्वपूर्ण आर्थिक निदर्शन काफी आशावादी है और संसाधन लक्ष्य को पूरा करने के लिये अत्यधिक प्रयत्नों की आवश्यकता होगी।

36.1 श्री योगिन्द्र कुमार अलघ, राज्य मंत्री, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी ने अपने भाषण में कहा कि योजना आयोग को देश के सर्वोच्च राजनैतिक निकाय का समर्थन प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है और उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रतिष्ठित सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय योजना आयोग में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।

36.2 राज्य मंत्री जी ने उल्लेख किया कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर दृष्टिकोण पत्र की जिसे प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित मुख्य मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। सभी राज्यों द्वारा पुष्टि कर दी गई है। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं एवं दूसरे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शासित करने वाले व्यावहारिक उपायों को नौवीं योजना में अधिकतर उपयोग में लाया जाएगा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना को कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाएगा। जैसे बुनियादी न्यूनतम सेवायें, जल संसाधन, कृषि संबंधित अवसंरचना, आधार संरचना योजना एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यह कहा जा सकता है कि नीतियां तैयार होने के बाद राज्यों द्वारा लक्ष्यों के कार्यान्वियन की देख-रेख की जाएगी।

36.3 सहकारिता संघवाद की अवधारणा को कार्यान्वित करने के बारे में बोलते हुए राज्य मंत्री ने बताया कि लक्ष्यों पर सम्मिलित रूप से निर्णय लेने के बाद नीतियां निर्धारित करनी होंगी और इसके बाद योजना प्रक्रिया को इन लक्ष्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व लेना होगा और संयुक्त मानिटरिंग भी करनी होगी। उन्होंने आगे बताया कि योजना के लिए ऋण लेने के संपूर्ण प्रश्न पर कुछ चर्चायें हुई हैं। राज्य मंत्री जी ने कहा कि जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा है। कार्यनीति राजस्व घाटों को कम करने की है। उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण लेने को कम करने का उद्देश्य नहीं है बशर्ते यह उचित वित्तीय मानदण्ड को पूरा करता हो। "इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट" में भी आधार संरचना क्षेत्रक के लिए नीति कार्यप्रणाली स्थापित करने हेतु काफी सशक्त मामला प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस वर्ष के बजट में इस देश की आधार संरचना आवश्यता की बड़ी मांग को पूरा करने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।

36.4 विज्ञान एवं प्राद्योगिकी के बारे में राज्य मंत्री ने उल्लेख किया कि कुछ सीमित क्षेत्रकों अर्थात् अंतरिक्ष एवं कुछ दूसरे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे "विजन 20–20 दस्तावेज" में उपलब्धि प्राप्त करने का इरादा है। यह उल्लेखनीय है कि देश की प्रोद्योगिकी शक्ति के निजी उद्योगों के साथ एकीकरण करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने के संदर्भ में इस सरकार ने विश्व में कुछ सर्वोत्तम नीतियों का कार्यान्वियन किया है। तेजी से विकास की दर के साथ सार्वभौमिक स्तर पर प्रौद्योगिकी एवं नये कार्यों को अपनाने और लागत में कमी तथा वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपातों के संबंध में दृष्टिकोण पत्र में जोर दिया गया है।

36.5 राज्य मंत्री जी ने अपने भाषण का समापन करते हुए नौवीं योजना में कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों और संयुक्त मानिटरिंग की इससे भी अधिक कठिन प्रक्रिया के लिए मुख्य मंत्रियों के समर्थन का आह्वान किया।

37.1 श्री एस. आर. बोम्मई, मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में निर्णय दिया है कि 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, न्यायालय ने दिसम्बर, 1996 में एक दूसरी याचिका में निर्देश दिया है कि केन्द्र

और राज्य सरकारों को 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिये अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य करना चाहिए ।

37.2 मंत्री महोदय ने कहा कि न्यायालय ने निर्देश दिया है कि फरवरी, 1997 के मध्य में सुनवाई के अगले दिन ठोस प्रस्ताव उसके सामने लाये जायें जिनके आधार पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपाय करने हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे, मंत्री जी ने कहा कि इस तथ्य को मुख्य मंत्रियों के ध्यान में लाया जा रहा है ताकि न्यायालय के निर्देश पर समुचित कार्रवाई करने के लिये वे मंत्रालय को आवश्यक सूचना भेज सकें ।

38.1 श्री एच०डी० देवेगौडा, प्रधानमंत्री ने इसके बाद परिषद के अनुमोदन के लिये निम्नलिखित संकल्प पढ़ा:—

"राष्ट्रीय विकास परिषद इसके द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दृष्टिकोण पत्र के प्रारूप का अनुमोदन करती है और इस दस्तावेज में उल्लिखित प्राथमिकताओं के आधार पर और इस बैठक में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुये नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिये योजना आयोग से अनुरोध करती है ।"

परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प का अनुमोदन किया ।

38.2 राष्ट्रीय विकास परिषद की कार्रवाईयों का समापन करते हुये प्रधान मंत्री ने दृष्टिकोण पत्र अंगीकार करने से पहले अपने बहुमूल्य सुझावों को प्रदान करने के लिये सभी मुख्य मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, राज्यपालों और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दूसरे भाग लेने वालों का धन्यवाद किया ।

38.3 प्रधान मंत्री ने अपने समापन भाषण में उल्लेख किया कि अनेक मुख्य मंत्रियों ने आबादी एवं बेरोजगारी की समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं जो बड़े मुद्दे हैं, पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार स्वीकार करे इससे पहले प्रधान मंत्री केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लेना चाहते थे ।

38.4 प्रधान मंत्री ने कहा कि संसाधन जुटाने के मुद्दे पर वह मुख्यमंत्रियों से परामर्श करना चाहते थे और इच्छा व्यक्त की कि नौवीं योजना के लिये संसाधन जुटाने की वर्तमान प्रक्रिया के सरलीकरण द्वारा, यदि आवश्यक हुआ, पूंजी निवेश के लिये एक वातावरण और अनुकूल स्थिति बनाई जानी चाहिये ।

38.5 लेखा बाह्य धन के बारे में उद्योगपतियों एवं अर्थ शास्त्रियों द्वारा कुछ सुझाव दिये गये थे । प्रधान मंत्री चाहते थे कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले इन मुद्दों को मुख्य मंत्रियों के ध्यान में लाया जाये ।

38.6 प्रधान मंत्री की राय थी कि अगले आम बजट, 1997–98 में ठोस प्रस्तावों पर कुछ निर्णयों को शामिल करने से पहले मुख्य मंत्रियों एवं राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना होगा ।

38.7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा कि मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लेने का एक प्रयत्न किया गया था और बताया कि जब तक सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में नहीं लिया जाता देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु लिये गये निर्णयों का कार्यान्वियन काफी कठिन होगा ।

38.8 प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष निर्धारित समय के अन्दर दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत करने के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का धन्यवाद किया । उन्होने मुख्य मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, राज्य पालों और दूसरे समागत सदस्यों का पुनः हार्दिक धन्यवाद किया जिन्होंने दृष्टिकोण पत्र को अंगीकार करने में पूरा सहयोग एवं समर्थन दिया । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को सर्वसम्मति से अंगीकार करना एक ऐतिहासिक निर्णय है ।

## बैठक म भाग लेने वालों की सूची योजना आयोग

| | |
|---|---|
| श्री एच०डी० देवेगौडा | –प्रधान मंत्री एवं अध्यक्ष |
| श्री मधु दंडवते | –उपाध्यक्ष |
| श्री पी० चिदम्बरम | –वित्त मंत्री एवं सदस्य |
| श्री चतुरानन मिश्र | –कृषि मंत्री एवं सदस्य |
| श्री योगिन्द्र कुमार अलघ | –राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं सदस्य |
| डा० एस०आर० हासिम | –सदस्य |
| डा० जे०एस० बजाज | –सदस्य |
| डा० एम०आर० श्रीनिवासन | –सदस्य |
| डा० अर्जुन के० सेनगुप्ता | –सदस्य |
| डा० (श्रीमती) चित्रा नायक | –सदस्य |
| डा० जी० थिमैयया | –सदस्य |
| श्री एस०पी० शुक्ला | –सदस्य |
| डा० विमल जालान | –सदस्य एवं सचिव |

### राज्य

**आन्ध्र प्रदेश**

| | |
|---|---|
| श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू | –मुख्य मंत्री |

**अरुणाचल प्रदेश**

| | |
|---|---|
| श्री गेगांग अपांग | –मुख्य मंत्री |
| श्री के० बोरंग | –योजना मंत्री |

**असम**

| | |
|---|---|
| श्री प्रफुल्ल कुमार महन्ता | –मुख्य मंत्री |
| श्री सुरेन मेधी | –पशुपालन मंत्री |

**बिहार**

| | |
|---|---|
| श्री लालू प्रसाद यादव | –मुख्य मंत्री |
| श्री तुलसी सिंह | –योजना मंत्री |

**गोआ**

| | |
|---|---|
| श्री प्रतापसिंह राव जी राने | –मुख्य मंत्री |
| डा. विल फ्रेड डि सूजा | –उप मुख्यमंत्री |

**गुजरात**

| | |
|---|---|
| श्री शंकर सिंह बघेला | –मुख्य मंत्री |
| श्री बाबू भाई मेघजी भाई शाह | –वित्त मंत्री |

**हरियाणा**

| | |
|---|---|
| श्री बंसी लाल | –मुख्य मंत्री |
| श्री चरण दास | –वित्त एवं योजना मंत्री |

**हिमाचल प्रदेश**

| | |
|---|---|
| श्री वीर भद्र सिंह | –मुख्य मंत्री |
| श्री गुलाब सिंह ठाकुर | –राजस्व मंत्री |

**जम्मू एवं कश्मीर**

| | |
|---|---|
| श्री फारुख अब्दुल्ला | मुख्य मंत्री |

**कर्नाटक**

| | |
|---|---|
| श्री जे.एच पटेल | मुख्य मंत्री |
| श्री सिद्दार मैयया | उप मुख्य मंत्री |

**केरल**

| | |
|---|---|
| श्री ई.के. नयनार | मुख्य मंत्री |
| श्री टी. शिवदास मेनन | वित्त मंत्री |
| श्री आई.एस. गुलाटी | उपाध्यक्ष (एस०पी०बी०) |

**मध्य प्रदेश**

| | |
|---|---|
| श्री दिग्विजय सिंह | –मुख्य मंत्री |

**महाराष्ट्र**

| | |
|---|---|
| श्री मनोहर जोशी | –मुख्य मंत्री |
| श्री गोपीनाथ मुण्डे | –उप मुख्य मंत्री |
| श्री एकनाथ राव खडासे | –वित्त एवं योजना मंत्री |
| श्री प्रकाश जावडेकर | –प्रशासकीय अध्यक्ष (एस०पी०बी) |

**मणिपुर**

| | |
|---|---|
| श्री रिसांग किशिंग | –मुख्य मंत्री |
| श्री ई. कुंजेश्वर सिंह | –योजना मंत्री |

**मेघालय**

| | |
|---|---|
| श्री सालसेंज सी. भारक | –मुख्य मंत्री |
| डा. आर. लालू | –वित्त मंत्री |

**मिजोरम**

| | |
|---|---|
| श्री जे. लालसंगजुआला | –वित्त मंत्री |

**नागालैण्ड**

श्री जैड. ओबेद —योजना मंत्री

**उड़ीसा**

श्री जे. बी. पटनायक —मुख्य मंत्री
श्री बसन्त कुमार बिसवाल —उप मुख्य मंत्री
श्री भगवत प्रसाद मोहन्ती —योजना एवं समन्वय मंत्री

**पंजाब**

सरदारनी राजिन्दर कौर भट्ठल - मुख्य मंत्री*

**राजस्थान**

श्री हरिशंकर भाबरा —उप मुख्य मंत्री

**सिक्किम**

श्री पवन कुमार चैमलिंग —मुख्य मंत्री

**तमिलनाडु**

श्री एम. करुणानिधि —मुख्य मंत्री
श्री थमीज कुडि मागन —तमिल संस्कृति मंत्री

**त्रिपुरा**

श्री केशव मजूमदार —विद्युत मंत्री

**उत्तर प्रदेश**

श्री रोमेश भंडारी —राज्यपाल

**पश्चिम बंगाल**

श्री ज्योति बसु —मुख्य मंत्री
डा. असीम कुमार दासगुप्ता —वित्त मंत्री

**संघ क्षेत्र**

**दिल्ली**

श्री साहिब सिंह —मुख्य मंत्री
प्रो. जगदीश मुखी —वित्त मंत्री

**पांडिचेरी**

श्री आर.वी. जानकीरमन —मुख्य मंत्री

**अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह**

श्री आई.पी. गुप्ता —उपराज्यपाल, प्रशासक

**चंडीगढ़**

श्री बी.के. छिब्बर —लेफ्टि. जनरल (सेवा-निवृत्त) प्रशासक

**दमन, दिव और दादर एवं नगर हवेली**

श्री एस.पी. अग्रवाल —प्रशासक

**लक्षद्वीप**

श्री राजीव तलवार —प्रशासक

**कैबिनेट मंत्री**

श्री राम विलास पासवान — रेलवे मंत्री
श्री मुरासोली मारन — उद्योग मंत्री
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया — कल्याण मंत्री
श्री सी. एम. इब्राहीम — नागरिक विमानन मंत्री एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव — खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य, लोक वितरण मंत्री
श्री एम. अरूणाचलम — श्रम मंत्री
श्री एस. आर. बोम्मई — मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री टी. जी. वेंकटरमन — भूतल परिवहन मंत्री
श्री इन्द्रजीत गुप्त — गृह मंत्री
श्री जनेश्वर मिश्र — जल संसाधन मंत्री
श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य — इस्पात एवं खान मंत्री
श्री येरान के. नायडू — ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री
श्री आर. एल. जालप्पा — वस्त्र मंत्रालय

**राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

श्री दिलीप कुमार रे — खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह — पशुपालन एवं डेरी राज्य मंत्री
कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद — पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री
श्री रमाकान्त डी. खलप — विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य राज्य मंत्री
श्री शीश राम ओला — रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री

**राज्य मंत्री**

श्री एस. वेणुगोपालाचारी — विद्युत राज्य मंत्री

**विशेष आमंत्रित सदस्य**

डा. सी. रंगाराजन — गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
डा. वेणुगोपाल रेड्डी — डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

---

* पंजाब के मुख्य मंत्री ने बैठक में भाग नहीं लिया परन्तु बैठक में वितरित करने के लिए अपना लिखित भाषण भेजा था ।

योजना आयोग
Planning Commission
प्रा. सं. C-5739
Acc. No
दिनांक 7/8/97
Date
पुस्तकालय
LIBRARY